हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुद्धवार, दिनांक 16 सितम्बर, 2020 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

शोकोद्‌गार

16-09-2020/1100/**डी.सी.-एन.जी./1**

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी स्वर्गीय श्री रामनाथ शर्मा, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आमतौर पर विधान सभा सत्र के पहले दिन माननीय सदन के पूर्व सदस्यों और राष्ट्रीय स्तर पर या केन्द्र सरकार में बहुत महत्वपूर्ण पद पर रहने वाले व्यक्तियों के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किए जाते हैं। इस सत्र के पहले दिन भी पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री प्रणब मुखर्जी और हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दो पूर्व विधायकों के निधन पर इस माननीय सदन में शोकोद्गार हुए थे। अध्यक्ष महोदय, आज इस सत्र का आठवां दिन है और आज फिर से एक बार हमें शोकोद्गार का प्रस्ताव लाना पड़ रहा है और मुझे इस बात का बहुत खेद है। माननीय सदन को सूचित करते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक, श्री राम नाथ शर्मा जी का दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। स्वर्गीय श्री राम नाथ शर्मा जी का जन्म दिनांक 02 अप्रैल, 1946 को गांव नेरी, डाकघर बुधन, तहसील व जिला ऊना में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री राम नाथ शर्मा जी ने नौसेना में आठ वर्ष तक कार्य किया तथा उसके पश्चात Registered Medical Practitioner के रूप में गरीब लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करते रहे। स्वर्गीय श्री राम नाथ शर्मा जी वर्ष 1977 में पहली बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे तथा वर्ष 1985 में पुनः विधायक चुन कर आए थे। वर्ष 1979 से तीन सालों तक हिमाचल प्रदेश राज्य वन निगम के अध्यक्ष भी रहे। वे वर्ष 1990 के दौरान हिमाचल प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। उनकी सामाजिक कार्य एवं गरीब लोगों की सेवा में तथा संगीत व नाटक में विशेष रूचि थी.....

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

16/09/2020/1105/MS/DC/1
मुख्य मंत्री जारी----

यह माननीय सदन स्वर्गीय श्री राम नाथ शर्मा जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हुए हम ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें, यही प्रार्थना करते हैं।

16/09/2020/1105/MS/DC/2

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली)ः अध्यक्ष महोदय, इस सदन के नेता द्वारा पंडित राम नाथ शर्मा जी का जो बीते रोज़ निधन हुआ, उस पर जो यहां शोक प्रस्ताव लाया गया है, उसमें मैं अपने को तथा अपने विधायक दल को भी शामिल करता हूं। स्वर्गीय राम नाथ शर्मा जी हमारे जिला ऊना से ताल्लुक रखते थे और इस माननीय सदन में वे दो बार चुनकर पहुंचे। अध्यक्ष महोदय, जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं, इस कुर्सी को भी बतौर उपाध्यक्ष वे विभूषित कर चुके हैं। वे नेवी से आए थे और लगभग 40-45 साल का राजनैतिक और सामाजिक सरोकारों का उनका सफ़र रहा। पिछले महीने की 27 तारीख से वे चण्डीगढ़ के एक अस्पताल में एडमिट थे और कल मेरी उनके बेटे से बात भी हुई थी जो कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस कुटलैहड़ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया था कि अचानक उनका ब्लड प्रैशर नीचे गिर गया और उनके पांव में भी काफी समय से तकलीफ़ थी। इसलिए कल सुबह उनका निधन हो गया। आज जब इस सदन में हम शोक प्रस्ताव पेश कर रहे हैं तो इस समय उनका उनके पैतृक निवास स्थान में 11.00 बजे दाह संस्कार चल रहा है। वे फॉरैस्ट कारपोरेशन के चैयरमेन तथा स्मॉल सेविंग के वाइस चैयरमैन भी रहे। शुरू में जब कर्मचारियों के आंदोलन काफी उग्र हुआ करते थे तो उसमें सरकार की ओर से उन्होंने वार्ताकार की भूमिका भी निभाई ताकि कर्मचारियों और सरकार के बीच में कड़ी का काम किया जा सके। उनके अपने चुनाव क्षेत्र में जंगलों का रख-रखाव जो पहले राजाओं के पास होता था, उसके लिए भी उन्होंने संघर्ष किया कि अब स्वतंत्र भारत में जंगल सरकार के होने चाहिए। हालांकि उसका उनको राजनैतिक तौर पर नुकसान भी हुआ। वे बार-बार यहां पर खुदरो दरख्तान मल्कियत सरकार का प्रस्ताव भी लाते थे। एक लड़ाई यह भी उन्होंने लड़ी और वर्ष 2007 में उन्होंने अंतिम चुनाव लड़ा था। आज वे हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हम उनको यहां सदन के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं और जो कार्य उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विकास तथा ऊना जिला की उन्नति और प्रगति के लिए किये हैं, उन्हें भी हम याद करते हैं। जो

प्रस्ताव आपकी तरफ से उनके परिवार को भेजा जाये उसमें हमारा भी उल्लेख किया जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16/09/2020/1105/MS/DC/3

श्री राकेश सिंघा(ठियोग) : अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया है sad demise of Shri Ram Nath Sharma, मैं अपनी तरफ से तथा अपनी पार्टी की तरफ से गहरी संवेदनाएं पेश करता हूं।
जारी जे0के0 द्वारा-----

16.09.2020/1110/JK/HK/1

श्री राकेश सिंघाः------जारी--------

और दो शब्द कहना चाहूंगा कि रामनाथ शर्मा जी उस पीढ़ी में से थे, जो इस सदन तक पहुंचे हैं। उन्होंने बिल्कुल ग्रास रूट लैवल से राइज़ किया है। मैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से बिल्कुल सहमत हूं कि कुटलैहड़ में फोरैस्ट का बहुत बड़ा इशू बहुत ज्यादा समय तक रहा है और उस फोरैस्ट के नैशनलाइजेशन के प्रश्न को ले कर बहुत ही प्रीडिक्ट थे और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। वे वैसे भी बहुत प्लीजिंग पर्सनैलिटी थे। उनका इस तरीके का चेहरा था जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। उनकी मृत्यु को सुनकर मैं बहुत दुखद हूं और मैं अपनी कंडोलेंसिज़ एक्सप्रैस करता हूं । उनके परिवार को इस लॉस को सहन करने की शक्ति मिले।

16.09.2020/1110/JK/HK/2

अध्यक्षः अब शोकोद्गार में माननीय सदस्य, श्री बलबीर जी भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंहः (चिन्तपुरनी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के नेता, माननीय मुख्य मंत्री महोदय, जो शोकोद्गार ले कर आए हैं, मैं भी उसमें अपने शब्द जोड़ने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, श्री रामनाथ शर्मा जी वर्ष 1977 में हमारे विधायक बने थे। आज जो 9 पंचायतें कुटलैहड़ से चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र में सम्मिलित हुई हैं, उस वक्त वे कुटलैहड़ में ही थीं और श्री रामनाथ शर्मा जी पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर कुटलैहड़ से विधायक बने। वे बड़े अच्छे इन्सान थे। मैं भी उस वक्त 8वीं या 9वीं कक्षा का छात्र रहा था। कई बार जब अपने कामों को लेकर हम उनसे मिलते थे तो वे एकदम से देसी भाषा में बात करके, अपनी लोकल भाषा में बात करके, हमारा मन मोह लेते थे। अध्यक्ष महोदय, हालांकि पूर्व सदस्य, ठाकुर रणजीत सिंह जी रजवाड़ाशाही के खिलाफ खड़े हुए। कुटलैहड़ के जंगल को ले कर उन्होंने बहुत जद्दोज़हद की परन्तु वर्ष 1977 में जब श्री रामनाथ शर्मा जी वहां के विधायक बनें तो उन्होंने भी उसी बात को पकड़ा। लोगों की मांग थी कि रजवाड़ाशाही से छुटकारा मिले तो उन्होंने उसे आगे बढ़ाया। वर्ष 1985 में जब वे दूसरी बार इस सदन के सदस्य बने तो उस समय वे कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित थे परन्तु उस मुद्दे को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आखिरकार वहां की राजनीति में कुटलैहड़ के सभी राजनीतिज्ञों ने सहयोग दिया और रजवाड़ाशाही से छुटकारा मिला। वे जब भी मिलते थे, वे एकदम से राजनीतिक दलों की बातों को ध्यान में रखते हुए, मुझे वे एकदम से परिवार के सदस्य के रूप में समझते थे। लगभग साल-डेढ़ साल पहले मैं उनको मिला। कुशल-क्षेम के साथ-साथ उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की कि मेरी उन पंचायतों का एक लड़का गगरेट में, वहां से 50 किलोमीटर जा करके नीचे के क्षेत्र में, दूसरी विधान सभा क्षेत्र से विधायक बना जो कि इतना आसान काम नहीं है। वे बड़े खुश हुआ करते थे और कहते थे कि आप कुटलैहड़ के पिछड़े दुर्गम क्षेत्र से जा करके गगरेट में विधायक बने हो और गगरेट में पार्टी में अच्छा काम किया है ।

16.09.2020/1110/JK/HK/3

आपको चिन्तपुरनी विधान सभा क्षेत्र से फिर मौका दिया जा रहा है, इसके लिए मैं बहुत खुश हूं। वे समय-समय पर मुझे समझाते रहते थे। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं । ईश्वर उनको अपने चरणों में लीन करें। मैं भगवान से यह भी

प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की ताकत दें। आज मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद।

16.09.2020/1110/JK/HK/4

अध्यक्षः श्री सतपाल सिंह रायजादा जी।

श्री सतपाल सिंह रायजादाः (ऊना): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने जो शोक प्रस्ताव श्री रामनाथ जी की मृत्यु पर रखा, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। श्री रामनाथ जी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उनके परिवार में दो बेटे और दो बेटियां हैं जिनके साथ हम खेले-कुदे और उनके साथ ही बड़े हुए । मैं आज इस दुख की घड़ी में अपने आपको उनके परिवार में शामिल करता हूं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

16.09.2020/1115/SS-HK/1

श्री सतपाल सिंह रायजादा क्रमागत :

और भगवान् से यह दुआ करता हूं कि पंडित राम नाथ जी की आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में जो मुख्य मंत्री जी ने शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसमें अपने आपको शामिल करता हूं।

16.09.2020/1115/SS-HK/2

अध्यक्ष : अब श्री विक्रमादित्य सिंह जी शोकोद्गार में भाग लेंगे।

श्री विक्रमादित्य सिंह (शिमला ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री राम नाथ शर्मा जी के बारे में जो शोक प्रस्ताव यहां पर लेकर आए हैं उसमें हम भी अपने आपको सम्मिलित करना चाहते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से उनको इतना नहीं जानता था मगर पिछले कल मैं अपने पिता जी व प्रदेश के पूर्व माननीय मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी इसके बारे में चर्चा कर रहा था तो उन्होंने मुझसे यह निवेदन किया था कि

उनकी ओर से भी मैं उनकी आकस्मिक मृत्यु पर संवेदना प्रकट करूं। इसीलिए मैं आज यहां पर खड़ा हुआ हूं। उनका बड़ा पुराना संबंध मेरे पिता जी के साथ रहा है। समय-समय पर उन्होंने इकट्ठे होकर प्रदेश का और इस क्षेत्र के विकास में बड़ा योगदान दिया है। मैं अपनी ओर से और पूर्व मुख्य मंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी की ओर से उनकी मृत्यु पर गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। हम इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं और उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

16.09.2020/1115/SS-HK/3

अध्यक्ष : अब श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी शोकोद्गार में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल (बड़सर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा स्वर्गीय राम नाथ शर्मा जी के पक्ष में जो शोकोद्गार प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया गया है मैं भी उसमें अपनी संवेदना प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, पंडित राम नाथ शर्मा जी एक बहुत ही जुझारू किस्म के नेता थे और हमेशा जन सेवा में अपने आपको सम्मिलित रखते थे। बड़सर विधान सभा क्षेत्र के साथ लगता कुटलैहड़ विधान सभा क्षेत्र है और वे हमारे नजदीकी रिश्तेदार भी रहे हैं। लेकिन आज वे इस दुनिया में नहीं हैं। आज इस दुख की घड़ी में मैं भी उनके परिवार के साथ अपने आपको सम्मिलित करता हूं और इस शोकोद्गार के माध्यम से उनके परिवार को सांत्वना देता हूं, धन्यवाद।

16.09.2020/1115/SS-HK/4

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी शोकोद्गार में भाग लेंगे।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो शोकोद्गार प्रस्ताव यहां पर लाया है उसमें मैं स्वयं को भी सम्मिलित करता हूं। श्री राम नाथ शर्मा जी ऊना जिला के गांव नेरी, डाकघर बुधन, तहसील व जिला ऊना में 2 अप्रैल, 1946 को पैदा हुए और इनके पिता जी का नाम स्वर्गीय श्री धनी राम जी और माता जी का नाम श्रीमती बिन्देश्वरी देवी जी है। पंडित राम नाथ शर्मा जी की संगीत, नाटक, अभिनय व लोक सेवा में विशेष तौर पर रुचि रही है और वे वर्ष 1977 में पहली बार जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और इस

सम्मानीय सदन के सदस्य बने। उसके पश्चात् 1985 में कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़कर विधान सभा के सदस्य बने। वे लघु बचत योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने इस माननीय सदन में उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहण भी किया है। राम नाथ शर्मा जी बाद में जब पंडित सुख राम जी के द्वारा हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी बनी तो उसमें सम्मिलित रहे। लेकिन 1998 में भारतीय जनता पार्टी और हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी से मिलकर सरकार बनाई तो उसके बाद फिर से राम नाथ शर्मा जी कांग्रेस पार्टी में वापिस चले गए। उसके पश्चात् वे चुनाव जीत नहीं पाए। लेकिन लगातार जनता से जुड़ाव रखना, जनता की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करना और लोगों की बात को सुनना, इन सारे कामों से वे लगातार जुड़े रहे..

जारी श्रीमती के0एस0

16.09.2020/1120/केएस/वाईके/1

शिक्षा मंत्री---जारी

पिछले कल 15 सितम्बर, 2020 को चण्डीगढ़ के सैक्टर-32 के अस्पताल में प्रातःकाल लगभग साढ़े ग्यारह बजे उनका निधन हो गया। मैं उनकी अमर आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं । उनके परिजनों को भी इस असहनीय दुख को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस शोकोद्गार में अपने विचार रखने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.09.2020/1120/केएस/वाईके/2

अध्यक्षः स्वर्गीय श्री रामनाथ शर्मा जी, जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, उनके निधन का उल्लेख इस माननीय सदन में हुआ है। मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करता हूं तथा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं। उनके बारे में इस माननीय सदन में जिन माननीय सदस्यों ने शोकोद्गार में भाग लिया, उनके जीवन के बारे में राजनीतिक जीवन के बारे में और उनकी समाज के प्रति जो संवेदना थी, उसके बारे में यहां पर उल्लेख हुआ है। जल सेना में 8 वर्षों तक सेवाएं देने के उपरांत जब उनकी

सेवानिवृत्ति हुई या वापिस आए तो राजनीति के माध्यम से सेवा करने का ध्येय उन्होंने अपने मन में बनाया और लोगों की भावनाओं को समझते हुए, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए एक आम व्यक्ति की आवाज, आम व्यक्ति की पहचान उस क्षेत्र की बने, इस उद्देश्य से वे राजनीति में आए जिसका परिणाम यह हुआ कि वे दो बार विधायक बने और इस माननीय सदन में उपाध्यक्ष के पद से भी सुशोभित हुए। जैसे कहा गया, वे अलग-अलग बोर्ड और कॉर्पोरेशन्ज़ के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन रहे। उनका जीवन सामाजिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण था। पिछले कल उनकी मृत्यु हुई और आज उनकी अन्त्येष्टी उनके विधान सभा क्षेत्र में, उनके गांव में हो रही है। 74 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर हिम्मत दें, प्रभू उनको अपने चरणों में स्थान दे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए कुछ क्षण अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हो जाएं।

(सभी माननीय सदस्य मौन के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए)

प्रश्नकाल अ0व0 की बारी में--

16.9.2020/1125/av/yk/1

प्रश्नकाल

प्रश्न संख्या : 3174

श्री सुभाष ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, बिलासपुर का बस स्टैंड वर्ष 1956 में बनाया गया था और उस समय वहां पर बहुत सीमित बसें चलती थीं। हमारे हिमाचल प्रदेश में 12 जिलें हैं और आज बिलासपुर से प्रदेश के सभी जिलों को बसें जाने के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लिए भी बहुत सारी बसें आती-जाती हैं इसलिए यह आउटडेटिड हो गया है। वहां पर इस बस स्टैंड के नवीनीकरण हेतु माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की है। यह बस स्टैंड शहर के मध्य में स्थित है और वहां पर साढ़े चार बीघा जगह है। इन सारी चीजों

को ध्यान में रखते हुए वहां पर नया बस स्टैंड बनना अत्यावश्यक है। अतः मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि बिलासपुर के लोगों को मॉडर्न बस स्टैंड की सुविधा जल्दी-से-जल्दी मिले।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यहां पर जैसे माननीय सदस्य कह रहे हैं कि बिलासपुर एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा यह भी सही है कि वहां पर बस स्टैंड का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था। आज की परिस्थितियों को देखें तो वहां पर एम्स का निर्माण हो रहा है और गवर्नमैंट हाईड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने के साथ-साथ दूसरे कई इंस्टिच्यूशन्ज भी आए हैं। यह बिल्कुल ठीक है कि इसका नवीनीकरण होना अत्यावश्क है। इन्होंने अभी यहां पर जैसे कहा कि इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने भी घोषणा की है तो शंका की कोई बात नहीं होनी चाहिए। **अतः मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो निदेशक मण्डल की बैठक होगी उसमें इस वर्तमान बस अड्डे के नवीनीकरण बारे निर्णय लिया जायेगा तथा संबंधित कार्रवाई भी जल्दी करेंगे।**

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी, आप अपना अनुपूरक प्रश्न पूछिए।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवीजी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुभाष ठाकुर जी द्वारा बिलासपुर बस अड्डे के संदर्भ में किए गए प्रश्न के बारे में मैं भी मुख्य

16.9.2020/1125/av/yk/2

मंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब वहां नये बस अड्डे के निर्माण बारे घोषणा कर ही दी है तो कोई शंका नहीं रहती। मगर इसके लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन परिवहन मंत्री बाली जी ने भी घोषणा की थी कि 6 महीने के अंदर-अंदर काम शुरू कर देंगे। वे खुद मौके पर गये, नई सरकार आई तो ठाकुर साहब भी वहां पर गये थे और इनका भी बयान आया था कि बिलासपुर बस अड्डे का शीघ्रातिशीघ्र निर्माण कर दिया जायेगा। यह बस अड्डा वर्ष 1956 में बना था जब बिलासपुर शहर नीचे से उजड़ा और ऊपर न्यू टाऊन के रूप में बसा; तब से इस बस अड्डे की हालत ठीक नहीं है। इस बारे में विभाग का उत्तर आया है कि यह एक सुरक्षित बस अड्डा

है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि बोर्ड कहीं इस उत्तर की तरफ न जाए क्योंकि यह बस अड्डा बिल्कुल जर्जर अवस्था में है और इसका बनना बहुत आवश्यक है। वहां पर पंजाब और प्रदेश के दूसरे जिलों को जाने वाली बसिज के लिए जगह उपलब्ध है। वहां पर वर्कशॉप के पास भी इसके लिए जगह छांटी गई थी इसलिए जहां पर भी हो; अभी जैसे ठाकुर साहब भी कह रहे थे। वहां पर मल्टिस्टोरी बस अड्डा भी बनाया जा सकता है और मेरा निवेदन है कि उसको प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए।

उद्योग मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी ने यहां पर सदन का ध्यान बाली साहब की बातों की तरफ दिलाया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बाली साहब और इस सरकार में बड़ा अंतर है। इसलिए जो आपके मन में है वही हमारे मन में हैं। यदि इस बारे में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है तो जो मुख्य मंत्री जी बोलते हैं वह वर्तमान सरकारी करती भी है। **इसलिए इस बस अड्डे के बारे में जल्दी ही कार्रवाई की जायेगी। आप जो सेफ और अनसेफ विषय की बात कर रहे हैं तो मैं आपकी बात समझता हूं। आप यह कहना चाहते हैं कि वहां से यू-टर्न न हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको अगर कैबिनेट में भी ले जाना पड़ेगा तो लेकर जायेंगे और इस बस स्टैंड बारे काम करेंगे।**

समाप्त

श्री टी सी द्वारा जारी

16.09.2020/1130/टी0सी0वी0/ए0जी0-1

प्रश्न संख्याः 3175

श्री किशोरी लाल (आनी) : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2019-20 में मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सेब की विभिन्न प्रजातियों के जो 47,212 पौधे बांटे गये हैं, मैं उसके लिए माननीय मंत्री

जी का धन्यवाद करता हूं। मैं चाहूंगा कि आगामी वर्ष 2020 में मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में सेब की नई वैरायटी के लगभग एक लाख पौधे उपलब्ध करवाए जाएं।

शिक्षा मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए सेब के पौधों की जो मांग की गई थी उसको पूरा किया गया और वर्ष 2020 के लिए भी सेब के रुट-स्टॉक्स उपलब्ध हैं। **इन्होंने सेब के पौधों की जो मांग रखी है, इनके विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए ये उपलब्ध करवा दिए जाएंगे।**

श्री बलबीर सिंह वर्मा (चौपाल): अध्यक्ष महोदय, सेब के जितने भी पौधे डिस्ट्रिब्यूट किए गए हैं, उनकी ब्लॉक वाइज पूरी लिस्ट दी गई है। लेकिन जो प्लांटेशन डिस्ट्रिब्यूट करते है, इस विभाग में जितने अधिकारी व कर्मचारी हैं, उनको या उनके रिश्तेदारों को सबसे ज्यादा प्लांट्स दिए जाते हैं। इसमें क्राइटेरिया फिक्स किया जाना चाहिए और जो वीकर सैक्शन या बी0पी0एल0 परिवार से संबंधित हैं, उनको भी सब्सिडी पर ये पौधे दिए जाएं।

शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो यह प्रश्न स्पेसिफिक आनी विधान सभा चुनाव क्षेत्र का है लेकिन जो प्लांट्स सब्सिडी पर दिए जाने हैं, विभाग के पास उनकी कोई कमी नहीं है। आपने कहा कि अधिकारी व कर्मचारी इन पौधों को अपने रिश्तेदारों को ही देते है, मेरे ध्यान में ऐसा कोई विषय नहीं है, फिर भी इसको चैक करेंगे।

16.09.2020/1130/टी0सी0वी0/ए0जी0-2

यदि बी0पी0एल0 परिवारों से इन पौधों की मांग आएगी तो उसको निश्चित रूप में पूरा किया जाएगा।

अगला प्रश्न श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ....

16.09.2020/1135/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 3176

श्री हर्षवर्धन चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी सभापटल पर रखी है। पांवटा-शिलाई-हाटकोटी सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है। यह सड़क न केवल शिलाई विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की लाइफ लाइन है अपितु रोहडू, जुब्बल, चौपाल और नेरवा इत्यादि क्षेत्रों के लिए भी एक अल्टरनेटिव सड़क है। यहां के लोग सब्जी और सेब इसी सड़क से मंडियों तक पहुंचाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो इस सड़क के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रकिया चली हुई है वह प्रकिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी? आपने एफ.सी.ए. में जिक्र किया है कि Stage-II approval is awaited. मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण और एफ.सी.ए. की क्लीयरैंस की प्रकिया कब तक पूर्ण कर ली जाएगी और कब तक इस सड़क का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा? दूसरा, आपने प्रश्न के उत्तर के 'ई' भाग में कच्ची ढांक का जिक्र किया है। यह ढांक समय-समय पर गिरती रहती है जिसके कारण यह रोड अवरूद्ध हो जाता है। पीछे भी यह रोड इस ढांक के गिरने के कारण 15 दिन बंद रहा। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह है कि क्या आप लोगों की सुविधा के लिए यहां से कोई अल्टरनेट रोड बनवाने की कृपा करेंगे? कहीं ऐसा न हो कि आप 1350 करोड़ रुपये का प्रोजैक्ट तैयार कर दें और बाद में यह रोड बंद हो जाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप एक अल्टरनेट रोड बनवाने की कोशिश करें। अगर आप अल्टरनेट रोड बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे डिस्टैंस भी 2-3 किलोमीटर कम हो जाएगा।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग-का निर्माण ग्रीन नेशनल हाइवे कॉरिडोर परियोजना के अन्तर्गत विश्व बैंक की सहायता से किया जा रहा है। माननीय सदस्य ने प्रश्न के माध्यम से बहुत विस्तृत जानकारी चाही है। जहां तक फोरैस्ट क्लीयरैंस की बात है इसके लिए कोई निश्चित समय निर्धारित

16.09.2020/1135/RKS/AG-2

नहीं किया जा सकता। इस प्रक्रिया को पूरा करने में बहुत समय लग जाता है और कई बार तो प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद भी कोई-न-कोई आब्जैक्शन लग जाता है। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे देश में विकासात्मक कार्यो को पूर्ण करने के लिए फोरैस्ट की क्लीयरैंस लेना सरल काम नहीं है। जो मैंने प्रश्न के उत्तर में 'डी' भाग का जो जवाब दिया है-'Stage-1 approval of forest land 50.868 hectare for Paonta to Meenus (KM0/00 to KM 88/00) has been obtained and Stage-II approval is awaited from MoEF, Dehradun'. हम इस काम को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। इस राजमार्ग में 15/400 से 15/700 किलोमीटर का अढ़ाई सौ किलोमीटर का भाग स्लाइडिंग जोन है और यह भाग बार-बार गिरता रहता है। यह भाग अक्तूबर, 2019 व अगस्त, 2020 में धंस गया था जिसके कारण यह सड़क अवरूद्ध हो गई थी। इसी संदर्भ में मुझे सांसद महोदय का भी फोन आया था। शायद वे वहां पर विजिट करने के लिए भी गए थे। इस भाग को खोलने के लिए हमने मशीनरी इत्यादी लगाने के आदेश दे दिए थे और वह सड़क रिस्टोर हो गई है। अल्टरनेट सड़के के तौर पर

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

16.09.2020/1140/बी0एस0/ए0एस0/-1

प्रश्न संख्याः 3176 जारी...

मुख्य मंत्री जारी...

सलवाला-बटराग सड़क 7.5 किलोमीटर,130 फुट स्पेन के बैली ब्रिज का लांच करने का कार्य प्रगति पर है तथा अगले दो सप्ताह में इस पुल से ट्रैफिक चालू कर दिया जायेगा। ऐसी हमारी कोशिश है और यह भी कोशिश है कि इसे जल्दी रिस्टोर कर दिया जाए। इस सड़क के लिए 8.00 करोड़ रुपए की डी0पी0आर0 बना करके नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भेजी जा रही है। इसमें दो नए पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित है। जहां तक आप ने भूमि अधिगहण के संबंध में बात कही है इस बारे में मुझे इतना ही कहना है कि 5.800

किलोमीटर की शेष भूमि के अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी तथा इस बारे में हम अलगे सप्ताह तक अधिसूचना भी कर देंगे ताकि इस प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने पहले बताया कि यह बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। यह बहुत से दुर्गम इलाकों को जोड़ती है। इस सड़क को प्राथमिकता के आधार पर बनाने के लिए जो प्रयास करने की आवश्यकता होगी उन्हें हम करेंगे। यह हमारे लिए ग्रीन हाइवे कोरिडोर प्रोजैक्ट है इस दृष्टि से भी हमारी प्राथमिकता है कि यह जल्दी बने।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मुख्य मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से प्रश्न का उत्तर दे दिया है, कृपया संक्षेप में प्रश्न करें।

श्री हर्ष वर्धन चौहान : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी विस्तार से बताया है परंतु यह आपने अल्टरनेट रोड का जिक्र किया है मैंने कच्ची ढांक के बारे में कहा है और आप किसी दूसरे रोड का जिक्र कर रहे हैं जिसका इस रोड के साथ कोई संबंध नहीं है। वह रोड तो तब इस्तेमाल होगा जब इस रोड को बंद किया जाएगा। मेरा प्रश्न यह था कि यह जो कच्ची ढांक है इसे रोकने के लिए स्थाई समाधान क्या है? क्या आपने जो प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई है उसमें इसका स्थाई समाधान किया है या नहीं? क्योंकि बहुत लंबे समय से यह गिरता आया है। उसका स्थाई समाधान करने की आवश्यकता है। अगर आप उसका स्थाई समाधान नहीं करोगे तो यह रोड के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। दूसरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, आपने कंप्नशेसन लैंड एक्विजिशन की भी बात की है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि यह

16.09.2020/1140/बी0एस0/ए0एस0/-2

लोगों को इसमें भूमि अधिग्रहण का कितना पैसा है? आप कौन सा फैक्टर लगा करके लोगों को भूमि अधिग्रहण का पैसा किस आधार पर दोगे? इसे फैक्टर-। पर दोगे या फैक्टर-॥ दोगे ? यह मैं आपसे जानना चाहता हूं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस कच्ची ढांक का माननीय सदस्य ने जिक्र किया है इसका हमने ग्रीन हाइवे प्रोजैक्ट में समाधान करने की कोशिश की है और इसे शामिल

भी किया गया है। लेकिन हम इस बात से सहमत हैं कि मिट्टी का टेरेन वहां इस प्रकार है कि यह हर साल आता है और उसका वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा रहता है। जहां तक आपने भूमि अधिग्रहण की बात कही है उस संदर्भ में अध्यक्ष महोदय मैं यही कहना चाहूंगा कि समय की अवधि के बारे में तो मैंने बता दिया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि यह जल्दी-से-जल्दी पूरा हो। यहां आप फैक्टर-। और फैक्टर-॥ की बात कर रहे हैं। अभी तक अध्यक्ष महोदय, हम उसमें हमने फैक्टर-। का ही प्रावधान किया हुआ है। माननीय सदस्य को भी ये सारी बातें मालूम हैं और उसी के तहत यह सारी प्रक्रिया आगे चल रही है। इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न समाप्त/-

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

16-09-2020/1145/ए.एस.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या - 3177

श्रीमती आशा कुमार (डलहौजी) : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार double lane/Intermediate lane बननी है और यह जे. एण्ड के. की बाउंड्री को छूती है। यह कुल 13.4 किलोमीटर की रोड है जिसमें से 6.2 किलोमीटर Wild Life Sanctuary area में आती है। यह जो लैंड है वह लोक निर्माण विभाग की acquired width है और वर्ष 1960 से पहले की है। इसका म्यूटेशन लोक निर्माण विभाग के नाम पर वर्ष 2016 में हुआ था। territorial division ने इसे accept कर लिया। Chief Wild Life Warden, Shimla ने National Wild Life Committee को इंफॉर्म कर दिया है कि यह लोक निर्माण विभाग द्वारा म्यूटेटड है। लेकिन डी.एफ.ओ. वाइल्ड लाइफ एन.ओ.सी. नहीं दे रहे हैं और यह बड़ी अजीब स्थिति है। क्योंकि जो चीज लोक निर्माण विभाग के नाम म्यूटेटड है उसे न मानना, I don't think this is correct. क्या आप इस म्यूटेशन को एक्सेप्ट करवाकर और जो सिर्फ वाइल्ड लाइफ वाला 6.2 किलोमीटर का भाग है, 7.2 किलोमीटर का भाग तो territorial division ने दे दिया है, लेकिन 6.2 किलोमीटर का जो

भाग है under the same mutation, it is not being accepted. It has been acquired before 1960.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि लोक निर्माण विभाग की जमीन है और इसका म्यूटेशन भी हुआ है। उसके साथ-साथ में 6.2 Km. length (Km. 87/200 to 93/400) की वाइडिनिंग होनी है और इसकी Forest clearance, Wild Life Sanctuary area के कारण रूकी हुई है। **माननीय सदस्य जी ने जो सुझाव दिया है हम इस पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।** मैं मानता हूं कि जब सड़क लोक निर्माण विभाग की है, इसका म्यूटेशन प्रोसेस भी हुआ है और उसके बाद इसकी फोरेस्ट क्लीयरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी लेकिन उसके बावजूद अब सारी चीजें नए प्रोसेस में उलझ कर रह गई हैं इसलिए **मैं इस बात को एंश्योर करूंगा कि वाइल्ड लाइफ वाले इसकी एन.ओ.सी. जल्दी दे दें ताकि इस काम को पूर्ण किया जा सके। क्योंकि अगर सड़क का यह भाग नहीं बनता है तो इस सड़क का कोई लाभ और औचित्य नहीं होगा इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए प्रयास करेंगे।**

समाप्त/-

16-09-2020/1145/ए.एस.-एन.जी./2

प्रश्न संख्या - 3178

श्री विशाल नैहरिया (धर्मशाला) : अनुपस्थित

16-09-2020/1145/ए.एस.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या - 3179

श्री आशीष बुटेल (पालमपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जो उत्तर आया है उसमें बताया गया है कि प्रतिनियुक्ति का खर्च सम्बन्धित विभाग द्वारा ही वहन किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रतिनियुक्ति पर एच.पी.एस.ई.बी.एल. द्वारा किसी प्रकार का परफॉर्मा प्रोमोशन दिया जाता है? इसके अलावा प्रतिनियुक्ति पर गए हुए लोगों के रिटायर्मेंट बेनेफिट्स के खर्च का वहन कौन करता है? इसके अतिरिक्त जब

प्रतिनियुक्ति पर परफॉर्मा प्रोमोशन देते हैं तो उसकी वजह से रिटायर्मेंट बेनेफिट्स में वृद्धि होती है उसका वहन कौन करेगा और उसको कम करने के लिए क्या पग उठाए जाएंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बिजली बोर्ड उसकी सिस्टर ओर्गेनाइजेशन व अन्य गवर्नमेंट ओर्गेनाइजेशन में प्रतिनियुक्ति पर अपना स्टाफ भेजता है जिसकी संख्या 239 है। हां यह सच है कि जो सिस्टर ओर्गेनाइजेशन की रिक्वायर्मेंट होती है उनके अनुसार परफॉर्मा करके उन अधिकारियों/कर्मचारियों को वहां पर भेजा जाता है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

16/09/2020/1150/MS/DC/1

प्रश्न संख्याः 3179 क्रमागत----बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जारी---

तीसरा, इन्होंने पूछा है कि जिस विभाग में वह व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाता है उस समय का वेतन और पैंशन भी वही विभाग देता है। इसमें ऐसा है कि जितने समय प्रतिनियुक्ति पर कोई व्यक्ति रहता है तो उस समय की जो पैंशन बनती है, वह सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमैंट/सरकार के डिपार्टमैंट देते हैं, इसको बिजली बोर्ड नहीं देता है। इन्होंने यह भी पूछा है कि प्रोफार्मा प्रोमोशन की वजह से जो उनकी सैलरी/पैंशन बढ़ती है उसको कौन वहन करता है। इसमें ऐसा है कि जब वह व्यक्ति विभाग में आ जाता है तो उसकी विभाग में भी प्रोमोशन होनी है इसलिए वह ख़र्चा बिजली बोर्ड ही वहन करता है।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आशीष बुटेल जी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा है। जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जाकर रिटायरमैंट के एक महीने पहले विभाग में वापिस आता है फिर उसको पूरी प्रिविलेज, पूरी पैंशन की सुविधा सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। जो व्यक्ति जिस विभाग में प्रतिनियुक्ति पर गया है, वहां पर उसने काम किया और वहां पर प्रतिनियुक्ति भत्ता भी लिया है। फिर उसके बाद बिजली बोर्ड में आकर वह अपनी पैंशन और अन्य लाभ लेता है तो क्या सरकार इस प्रकार का कोई प्रावधान आने वाले समय में नियमों में करेगी कि जो व्यक्ति प्रतिनियुक्ति पर जिस विभाग में गया है, उसकी पैंशन का जो ख़र्चा है; क्योंकि कई लोगों ने तो सारी नौकरी ही प्रतिनियुक्ति पर निकाल दी और रिटायरमैंट के बाद वापिस बिजली बोर्ड में आए हैं, तो क्या वह ख़र्चा संबंधित विभाग वहन करेगा?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी जवाब में कहा है कि जो अधिकारी/कर्मचारी जितने दिन तक प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभाग में रहेगा, उसको उतने समय की पैंशन उस विभाग द्वारा दी जाएगी और जितने समय तक वह बिजली विभाग में काम करेगा, उतने समय की पैंशन बिजली बोर्ड देगा यानी जिस सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में वह प्रतिनियुक्ति पर जाता है, उतने समय की पैंशन वही देगा। जब यह सैटलमैंट हुई उस समय ट्रांसफर

16/09/2020/1150/MS/DC/2

पॉलिसी में यह लिखित में है कि जो मेन डिपार्टमैंट बिजली बोर्ड है, वह अपने सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को ट्रांसफर के माध्यम से कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। परन्तु अब जैसे-जैसे समय बीतता जा रहा है तो जितनी भी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन्ज हैं वे अपनी रिक्रूटमैंट कर रही हैं और बहुत कम अधिकारी/कर्मचारी अब बिजली बोर्ड से सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन यानी गवर्नमैंट की जो दो-तीन ऑर्गेनाइजेशन्ज हैं, उनमें जा रहे हैं। इसलिए प्रतिनियुक्ति के समय का जो पैंशन का ख़र्चा है, वह उसी विभाग से उसको दिया जाता है। उतने समय का बिजली बोर्ड कोई भी ख़र्चा वहन नहीं करता है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य सुखविन्द्र जी, प्रश्न काफी विस्तार से आ गया है। इसमें आप अलग से चर्चा मांग सकते हें।

श्री आशीष बुटेल : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछा था कि जब प्रोफार्मा प्रोमोशन आप किसी को दे रहे हैं तो अगर वह व्यक्ति HPSEBL में ही होता तो शायद उसको वह प्रोमोशन नहीं मिल पाती। जब आप उसको डैप्यूट करके कहीं और भेज रहे हैं तो वहां पर उसको ऐसी प्रोमोशन मिल रही है। जब वह आदमी वापिस HPSEBL में आ रहा है तो जो रिटायरमैंट लाभ हैं उनको तो HPSEBL में जितना समय काम किया है, उसका लाभ प्रोफार्मा प्रोमोशन के हिसाब से मिलेगा। हो सकता है कि अगर वह व्यक्ति HPSEBL में रहता तो उसको यह प्रोमोशन न मिलती। उसके ऊपर हम क्या पग उठा सकते हैं? क्या हम प्रोफार्मा प्रोमोशन को बन्द कर सकते हैं या इस तरह का कुछ कर सकते हैं ताकि यह रिटायरमैंट बैनिफिट का ख़र्चा कम हो सके।?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन्ज हैं वे भी प्रदेश के लिए और प्रदेश के लाभ के लिए काम कर रही हैं। इसमें HPPTCL, HPPCL, Directorate of Energy and SLDC ये सारे प्रदेश के लिए ही काम कर रहे हैं और जब व्यक्ति को प्रोफार्मा प्रोमोशन देकर वहां भेजते हैं तो वह वहां काम करता है। इसलिए इतना ख़र्चा तो हमें ही वहन करना है। जैसा आपने कहा है हमारी इस तरह की कोई नीति नहीं है।

जारी जे0के0 द्वारा-----

16.09.2020/1155/JK/DC/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः------जारी------

जब वह बिजली बोर्ड मे आएंगे, उनको परफॉर्मा प्रमोशन के बैनिफिट भी बिजली बोर्ड देगा क्योंकि यह काम भी प्रदेश के लिए ही सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कर रही है।

अध्यक्षः काफी हो गया और काफी विस्तार से माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी, आप अलग से इसमें चर्चा मांग लें। आप प्लीज़ बैठिए। ....(व्यवधान) आप बैठिए। मैं बोल रहा हूं माननीय सदस्य, प्लीज़ आप बैठिए।

16.09.2020/1155/JK/DC/2

प्रश्न संख्याः 3180

श्री विनोद कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से देश के प्रधान मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत मक्की, धान, गेहूं, जौ, टमाटर, आलू, मटर, अदरक, बन्दगोभी, फुलगोभी, लहसुन, शिमला मिर्च आदि फसलों का बीमा इस योजना के माध्यम से किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आज भी बहुत से किसान ऐसे हैं, जिनको यह पता नहीं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन फसलों का भी बीमा किया जाता है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा

कि इस योजना की एडवर्टाइज़मैंट करवाई जाए और जो भी कृषि विभाग की ओर से कैम्प लगाए जाते हैं,उनमें भी किसानों को इसकी जानकारी दी जाए।

उद्योग मंत्री (प्राधिकृत): माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया और जो इन्होंने प्रश्न किया वह सारी-की-सारी चीजें फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आती हैं। इन्होंने कहा कि इसमें किसानों को पता नहीं चलता है लेकिन मैं इनके ध्यान में यह विषय लाना चाहता हूं कि विभाग लगातार कैम्पों के माध्यम से सारे विषयों को लेकर लोगों के बीच में जाता है। जिस तरीके से यह बात आम किसानों तक पहुंचनी चाहिए, शायद वह नहीं पहुंचती है। विभाग को हम यह निर्देश देंगे कि जब पंचायतों के कार्यक्रम होते हैं, जब बी.डी.ओज़. आफिसिज़ में कार्यक्रम होते हैं या एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट किसी प्रकार के कैम्प लगाता है तो उसमें मैक्सिमम किसान को बीमा योजना के बारे में, उनको जिससे फायदा मिलता हो, उसकी ज्यादा-से-ज्यादा जानकारी दे।

16.09.2020/1155/JK/DC/3

प्रश्न संख्याः 3181

श्री सुरेन्द्र शौरीः अध्यक्ष महोदय, जब बिजली का ट्रांसफार्मर और बिजली की लाइन बिछती है तो किसान लोग अपनी ज़मीन देते हैं। लेकिन जब उसे कोई मकान बनाना हो या किसी अन्य कारणों से ट्रांसफार्मर लाइन चेंज करनी हो तब विभाग के पास आवेदन करने के बाद विभाग एक या डेढ़ लाख रुपये का एस्टिमेट देते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि समाज का जो गरीब तबका है, जिसमें बी.पी.एल. लोग हैं या कोई गरीब परिवार हैं, उनको कोई सुविधा मिले, कोई छूट मिले ताकि जब उन्होंने कभी मकान बनाना है तो उनको इतनी भारी-भरकम राशि अदा न करनी पड़े।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो बिजली की लाइन ट्रांसफर करने की बात है, यह 12-13 व्यक्तियों ने रिक्वैस्ट की थी उसमें से एक व्यक्ति ने वहां पर

जमीन भी उपलब्ध करवाई, पैसे भी जमा करवाए उसकी लाइन शिफ्ट भी कर दी गई बाकी 12 व्यक्तियों ने न अपनी रिक्विजिशन दी न ही उन्होंने पैसे जमा करवाए इसलिए ये लाइनें शिफ्ट नहीं करवाई गईं। मैं, माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर वह किसी भी मद से पैसा बिजली बोर्ड को दे देंगे तो ये लाइनें शिफ्ट कर दी जाएंगी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी------

16.09.2020/1200/SS-HK/1

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री क्रमागत :

बिजली बोर्ड के पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम लाइनों को बिजली बोर्ड के खर्च पर बाहर निकालें। **इन्होंने ठीक कहा है कि बहुत पहले लाइनें खेतों के बीच में लग गईं और अब वहां पर लोगों ने अपना घर डालना है और बसना है, भविष्य में हम इस मसले पर विचार करेंगे।**

प्रश्न काल समाप्त

16.09.2020/1200/SS-HK/2

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राजेन्द्र राणा (सुजानपुर) : अध्यक्ष महोदय, कल जो बेनामी सौदों को लेकर आपने कहा था कि सदन में डाक्युमैंट्स रखें। मैं वे डाक्युमैंट्स अपने साथ लेकर आया हूं, आप मुझे इजाज़त दें कि मैं उन्हें सभापटल पर रख सकूं।

अध्यक्ष : आप सभापटल पर रख दीजिए। ...(व्यवधान)... वैसे एक सैकिंड का प्रावधान नहीं है, आप कागज़ात सभापटल पर रख दीजिए। ...(व्यवधान)... चलो, माननीय सदस्य महोदय आप बोलें।

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, कल जो बेनामी सौदों को लेकर यहां पर चर्चा हुई थी तो आपने कहा था कि अगर आपके पास कुछ डाक्युमैंट्स हैं तो उन्हें टेबल पर ले करें। मैं वे

डाक्युमैंट्स लेकर आया हूं और जो बच गए हैं उनको कम्पाइल कर रहे हैं। जल्दी ही उनको सभापटल पर रख दिया जायेगा।

दूसरा, मैं सदन का विशेष ध्यान इस तरफ दिलाना चाह रहा हूं कि कल एक समाचार पत्र में एक खबर छपी थी कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए पी0जी0आई0 के दरवाजे बंद। आज सवेरे मेरी पी0जी0आई0 के डायरेक्टर साहब से भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। कुल जो मरीज पी0जी0आई0 में आते हैं उनमें से 15 से 20 परसैंट मरीज हिमाचल के हैं। कोविड-19 को लेकर वहां पर कुछ ऑर्ब्जेशन्ज़ हैं। हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे लोगों के हमें फोन आ रहे हैं क्योंकि जो गम्भीर मरीज होते हैं वे पी0जी0आई0 जाते हैं। उन्हें यह लग रहा है कि हमारे लिए पी0जी0आई0 बंद हो गया तो मैं आपके ध्यान में यह लाना चाहता हूं कि पी0जी0आई0 के डायरेक्टर साहब ने यह कहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश का हूं और ऐसा बिल्कुल नहीं है और अगर ऐसी किसी को गलत सूचना मिली है तो उसको दुरुस्त कर दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, मैं ये कागज़ सभापटल पर रख रहा हूं।

अध्यक्ष : ठीक है, आप सभापटल पर रखिये।

16.09.2020/1200/SS-HK/3

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब कागज़ात सभापटल पर रखे जायेंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-

13/2017 दिनांक 27.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.06.2017 को प्रकाशित;

ii. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर(संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2017-लुज़ दिनांक 30.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2017 व 26.12.2017 को प्रकाशित;

iii. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-14/2017 दिनांक 30.06.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2017 व 28.09.2017 को प्रकाशित;

16.09.2020/1200/SS-HK/4

iv. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-17/2017 दिनांक 24.07.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 25.07.2017 को प्रकाशित;

v. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा

कर (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2017 दिनांक 11.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.08.2017 व 05.03.2019 को प्रकाशित;

vi. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-23/2017 दिनांक 11.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 14.08.2017 को प्रकाशित;

vii. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-28/2017 दिनांक 30.08.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.09.2017 व 18.01.2019 को प्रकाशित;

16.09.2020/1200/SS-HK/5

viii. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (छठा संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याःई0एक्स0एन0-एफ(10)-25/2017 दिनांक 01.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.09.2017 व 05.03.2019 को प्रकाशित;

ix. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (सातवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 26.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 03.10.2017 व 13.06.2018 को प्रकाशित;

x. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 26.09.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.10.2017 व 13.06.2018 को प्रकाशित;

xi. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (नौवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-38/2017 दिनांक 15.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017 व 27.06.2018 को प्रकाशित;

16.09.2020/1200/SS-HK/6

xii. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (दसवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-20/2016-वॉल-I दिनांक 15.11.2017

द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.11.2017, 30.11.2017 व 10.08.2018 को प्रकाशित;

xiii. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-31/2017 दिनांक 20.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 व 19.01.2019 को प्रकाशित;

xiv. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-40/2017 दिनांक 20.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2017 व 07.08.2018 को प्रकाशित;

xv. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-41/2017 दिनांक 29.11.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.11.2017 व 19.01.2019 को प्रकाशित;

16.09.2020/1200/SS-HK/7

xvi. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-34/2017 दिनांक 08.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 08.12.2017 व 10.01.2019 को प्रकाशित; और

xvii. हिमाचल माल व सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 164 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (पंद्रहवां संशोधन) नियम, 2017 जोकि अधिसूचना संख्याः ई0एक्स0एन0-एफ(10)-43/2017 दिनांक 27.12.2017 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 29.12.2017 को प्रकाशित;

अध्यक्ष : अब माननीय उद्योग मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

उद्योग मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूंः-

i. हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा-13 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याः इण्ड-(एन्व सैल)ए(3)-1/2019 दिनांक 11.06.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.06.2020 को प्रकाशित;

16.09.2020/1200/SS-HK/8

ii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, अतिरिक्त निदेशक, वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःइन्ड-ए(ए)1-3/2017 दिनांक 22.05.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 06.06.2020 को प्रकाशित; और

iii. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी(रसायन), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2020 जोकि अधिसूचना संख्याःइन्ड-ए(ए)3-1/2018 दिनांक 28.07.2020 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 05.08.2020 को प्रकाशित ।

16.09.2020/1200/SS-HK/9

नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अध्यक्ष : अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। अब माननीय सदस्य श्री अनिरूद्ध सिंह जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और तदोपरांत माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री अनिरूद्ध सिंह (कसुम्पटी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 13 सितम्बर, 2020 को "अमर उजाला" में प्रकाशित शीर्षक "महंत का कमरा बाहर से बंद कर मंदिर से अष्टधातु की मूर्तियां चुराई" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को बोलना चाहूंगा कि हमारे कसुम्पटी विधान सभा क्षेत्र में कुफरी के साथ मुंडाघाट स्टेशन पड़ता है। मुंडाघाट स्टेशन में हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है जोकि बहुत पुराना स्थान है। जिस दिन मंदिर खुले 10 तारीख की रात को और 11 तारीख की सुबह से पहले वहां पर चोरी हो गई। वहां पर अष्टधातु की तीन-चार मूर्तियां थीं। शालिग्राम जी थे और कृष्ण जी का सोने का लड्डू था और काफी सामान था। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, बात पैसे की नहीं है, न केवल हमारे क्षेत्र के लोग बल्कि ठियोग क्षेत्र के लोग भी वहां जाकर पूजा-अर्चना करते हैं और उस मंदिर की बहुत मान्यता है। महंत जी कमरे में अंदर सोये हुए थे जो पिछले 20 साल से वहां पर रहते हैं उन्हें बाहर से कुंडा लगाया गया। चोरों की हिम्मत इतनी हो गई है कि उन्होंने पहले सी0सी0टी0वी0 कैमरे की लाइन काटी और बाहर से महंत जी के कमरे को ताला लगाया और मंदिर में चोरी की। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पुलिस वहां नहीं गई। पुलिस के बड़े अधिकारीगण वहां गए हैं। पूरी छानबीन की है परन्तु कुछ ढिलाई हुई है। मैं समझता हूं कि जहां मर्डर होते हैं वहां पर एकदम क्विक ऐक्शन होता है। मेरा आपसे केवल मात्र इतना अनुरोध है क्योंकि आस्था का सवाल है वहां पर लोग इस कृत्य से बहुत दुखी हैं। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि 10 तारीख की रात को उसके नजदीक जो भी टावर हैं उनमें कौन-कौन से मोबाइल सक्रिय थे

जारी श्रीमती के0एस0

16.09.2020/1205/केएस/एचके/1

श्री अनिरुद्ध सिंह जारी---

उसकी लोकेशन का पता किया जाए कि कौन-कौन से फोन चल रहे थे, ऑन थे क्योंकि जो चोरी करते हैं उनका एक Modus operand भी होता है, वहां से वे लोग पकड़े जा सकते हैं। इस पर शीघ्रातिशीघ्र यह सरकार कार्रवाई करें और दोषियों को पकड़े और मंदिर में मूर्तियां रीस्टोर करवाएं ताकि लोगों की आस्था बनी रहे। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, दिनांक 11.09.2020 को गंगादास, पुत्र श्री माठा राम, महंत, पुराना हनुमान मंदिर, मुंडाघाट, तहसील- शिमला ने पुलिस को एक शिकायत पत्र दिया कि वह पिछले 25 वर्षों से उक्त मंदिर में महंत है तथा मंदिर में ही रहता है। दिनांक 10.09.2020 को मध्य रात्रि समय करीब 3.00 बजे उसे बाहर हल्का शोर सुनाई दिया तो वह मंदिर से बाहर आया और दो व्यक्तियों, जिनके मुंह ढके हुए थे, को पुराने हनुमान मंदिर से भागते हुए देखा। इस पर वह पुराने मंदिर में गया जहां पर उसने मंदिर का ताला टूटा पाया। जब वह वापिस लौटकर हनुमान मंदिर आया तो मंदिर का ताला भी टूटा हुआ पाया। शिकायतकर्ता द्वारा बतलाया गया कि अपराधियों द्वारा मंदिर से 4 प्राचीन मूर्तियां हनुमान, राधा-कृष्ण, शिव-पार्वती तथा नंद गोपाल की जो करीब 4 व ढाई इंच की थी। एक मूर्ति 150 वर्ष पुरानी शालिग्राम की पुरानी अष्ट धातु की करीब 6 इंच तांबे व पीतल की चौकी, चांदी का मुकुट करीब 5 तोला व अन्य श्रृंगार का सामन करीब 500 ग्राम व नए मंदिर से 2 छोटे छत्र चांदी के करीब 10-10 ग्राम, चंवर मोठा चांदी करीब 3 एवं करीब ढाई तोला सोना चोरी करके ले गए, जिनकी कुल अनुमानित कीमत 4.50 लाख रुपये है। अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त शिकायत पत्र पर दिनांक 11.09.2020 को पुलिस थाना ढली में अभियोग संख्या 219, 2020 निम्न धारा 457, 380 भारतीय दंड संहिता पंजीकृत किया गया । उपरोक्त अभियोग का अन्वेषण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,

16.09.2020/1205/केएस/एचके/2

शहर शिमला के पर्यवेक्षण में प्रभारी पुलिस थाना ढली के नेतृत्व में गठित विशेष अन्वेषण के द्वारा अम्ल में लाया जा रहा है। अन्वेषण की प्रगति इस प्रकार से हैः-

अन्वेषण के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। फोटोग्राफ लिए गए व बयान लिखे गए। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करके फिंगरप्रिंट उठाए गए जिन्हें मिलान हेतु ई-मेल के माध्यम से प्रयोगशाला, जुन्गा भेजा गया। अपराधियों व चोरीशुदा सामान का पता लगाने हेतु डॉग् स्क्वॉयड की भी सहायता घटना स्थल का निरीक्षण करने के लिए ली गई। समस्त जिलों

के पुलिस अधीक्षकों को विशेष संदेश द्वारा घटना के संदर्भ में निगरानी हेतु सूचित किया गया। सम्बन्धित क्षेत्र का डम्प डाटा हासिल कर विशेष विश्लेषण किया जा रहा है एवं विश्लेषण हेतु सी.सी.टी.वी. फुटेज भी प्राप्त की गई है। अन्वेषण के दौरान मंदिर परिसर में लगाए गए सी.सी.टी.वी. कैमरे बंद पाए गए एवं घटना में चोरी शुदा चंवर, मुठा एवं एक हैल्मैट को पुलिस ने कब्जे में भी लिया है। सम्बन्धित क्षेत्र में विभिन्न तलाशी टीमों, त्वरित प्रतिक्रिया दल, सी.आई.डी. की डी.एफ.एम.डी. द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस अधीक्षक, शिमला द्वारा दिनांक 11.09.2020 को ही घटना का निरीक्षण कर विशेष अन्वेषण टीम को अन्वेषण से सम्बन्धित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। दिनांकः 12.09.2020 को पुलिस महानिरीक्षक, दक्षिण क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश शिमला द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसके अतिरिक्त इस अभियोग के शीघ्र अन्वेषण हेतु श्री हिमांशु मिश्रा, पुलिस महानिरीक्षण, दक्षिणी खंड की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष अन्वेषण दल गठित किया गया है।

श्रीमती अव0द्वाराजारी---

16.9.2020/1210/av/yk/1

मुख्य मंत्री---- **जारी**

जिसमें श्री वीरेन्द्र कालिया, पुलिस अधीक्षक (अपराध) व प्रवीर ठाकुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) शिमला शामिल है। सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि हम जल्दी-से-जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। हमारा पुलिस विभाग इस बात को सुनिश्चित कर रहा है, विशेष तौर से इस सारी घटना की जांच के लिए जो टीम गठित की गई है और मुझे उम्मीद है कि हम इसमें बहुत जल्दी सफल होंगे।

16.9.2020/1210/av/yk/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा उसके पश्चात माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 3 सितम्बर, 2020 को पंजाब केसरी के "मंडी केसरी" में प्रकाशित शीर्षक "बाढ़ू में नहीं विकास, किससे लगाएं आस" से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की धनियारा पंचायत एक दुर्गम पंचायत है। इस पंचायत में नेरी खड्ड पर पुल का निर्माण होना था। वहां सलापड़ से तत्तापानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण कार्य हो रहा है। इसी सड़क के बीच में नेरी खड्ड पर इस पुल का निर्माण होना है। वर्ष 2009 में इस पुल के लिए नाबार्ड से पहली बार मंजूरी मिली और इसके लिए टैंडर भी हो गया जिसके अंतर्गत वहां पर 68 मीटर लम्बा पुल बनना प्रस्तावित था। वहां पर ठेकेदार ने साइट डवलप की परंतु उसके बाद विभाग ने पाया कि यह पुल 68 मीटर की बजाय 81 मीटर बनना चाहिए। उस समय यह डिविजन करसोग के तहत आती थी। फिर ठेकेदार ने काम करने से मना कर दिया कि मुझे 68 मीटर लंबे पुल हेतु टैंडर अवार्ड हुआ था और अब यह 81 मीटर बनेगा तो मैं इसको बनाने में असमर्थ हूं। उसके बाद विभाग ने वर्ष 2012 में ड्रॉईंग व डिज़ाईन तैयार करके इसकी दोबारा से डी0पी0आर0 बनाकर नाबार्ड को भेज दी। नाबार्ड से 81 मीटर की जगह 70 मीटर लम्बे पुल की मंजूरी के साथ-साथ इसके लिए 231.56 लाख की राशि मिली। वर्ष 2013 में इसके लिए दोबारा से टैंडर हुआ तथा इसका निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। इस पुल का निर्माण कार्य लगभग 70 प्रतिशत हो चुका है। धनियारा पंचायत में यह नेरी पुल पहले करसोग डिविजन के अंतर्गत आता था और सब-डिविजन चुराग थी। लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में नई सरकार बनी तो हमने इनसे निवेदन किया। इनके आशीर्वाद से डिविजन रीऑर्गेनाईज हुई और यह क्षेत्र सुन्दरनगर डिविजन के अंतर्गत आ गया। मगर इस पुल का निर्माण कार्य माह अक्तूबर, 2019 से रुका पड़ा है और इस कार्य की निगरानी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है क्योंकि हमारे वहां कुछ स्थानीय लोगों ने इसके लिए वर्ष 2017 में जन याचिका दायर की थी।

16.9.2020/1210/av/yk/3

इस बारे में विभाग समय-समय पर न्यायालय को स्टेटस रिपोर्ट भी दे रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे विधान सभा का बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और मेरी प्राथमिकता भी है कि यह क्षेत्र सड़क से जुड़े। इस धनियारा पंचायत के लिए अगर हम नेरी से होकर आते हैं तो हमें 125 किलोमीटर दूरी तय करके आना पड़ता है और अगर इस सलापड़-तत्तापानी सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा तो इस पंचायत तक पहुंचने के लिए हमारी आधी दूरी कम हो जायेगी। यहां पर जैसे ही नई सरकार बनी थी तो मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया था और मुख्य मंत्री जी ने इस सलापड़-तत्तापानी सड़क को प्राथमिकता दी। इनके आशीर्वाद से हमें इस सड़क के लिए सी0आर0एफ0 में 219 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई और अब इसका निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है। इस नेरी खड्ड पर अगर पुल का निर्माण हो जाता; क्योंकि अभी जो पंजाब केसरी समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई कि वहां पर एक महिला के ऊपर पत्थर गिरा और पत्थर गिरने से वह घायल हो गई। वह महिला समय पर अस्पताल में नहीं पहुंच पाई क्योंकि

श्री टी सी द्वारा जारी

16.09.2020/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री राकेश जम्वाल ... जारी

उस खड्ड तक पहुंचने में आधा घंटा लगता है, उसके बाद बोट में 15 मिनट लगते हैं और फिर आधा घंटा चढ़ाई चढ़ने के बाद सड़क में पहुंचते हैं। इस प्रकार से अगर वहां की जनता को करला-दोगरी की तरफ आना हो तो लगभग सवा डेढ़ घंटे का समय लगता है। इस क्षेत्र के बच्चे जिनको उच्च शिक्षा के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल दोगरी आना होता है, वे भी इसी प्रोसैस से आते हैं। यदि इस पुल का निर्माण हो जाता है तो सिर्फ पांच मिनट का समय उस नेरी गांव तक पहुंचने में लगेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने सी0आर0एफ0 के तहत 219 करोड़ रुपये इस सड़क के लिए मंजूर किया है। कोलडैम प्रोजैक्ट बनने के कारण वहां जो जल भराव हुआ है, उसके कारण वह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र

बन गया है। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और यह सड़क तत्तापानी से मिलती है। मण्डी, सुन्दरनगर के लोगों को यदि तत्तापानी जाना हो तो उनको भी इस सड़क से लाभ मिलेगा क्योंकि तत्तापानी हमारा धार्मिक आस्था का केन्द्र है। वहां पर गर्म पानी के चश्में हैं और हमारे बहुत-सारे लोग वहां पर सक्रांति के दिन स्नान करने के लिए जाते हैं। इस पुल का 70 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है और 30 प्रतिशत कार्य शेष रहा है। अब उस पुल की लांचिंग होनी है। उसका निर्माण कार्य एक वर्ष से रुका पड़ा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पुल का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र किया जाए। ताकि मेरे विधान सभा चुनाव क्षेत्र के लोगों को इस पुल के अभाव के कारण बड़े लम्बे समय से आ रही समस्या का समाधान हो सकें। धन्यवाद।

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र की दुर्गम पंचायत धन्यारा के नेरी खड्ड पर पुल के निर्माण बारे वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

16.09.2020/1215/टी0सी0वी0/एच0के0-2

सलापड़ तत्तापानी सड़क पर नेरी खड्ड के ऊपर पुल का निर्माण नाबार्ड के तहत (RIDF-XIII) किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति नाबार्ड द्वारा दिनांक 27.09.2007 को मु0 173.82 लाख रुपये प्रदान की गई थी। विभागीय औपचारिकताएं पूरी करने के उपरान्त कार्य श्री राजेश ठेकेदार को अधिशासी अभियन्ता, करसोग मण्डल द्वारा दिनांक 02.12.2009 को मु0 61,79,233/- रुपये में आबंटित किया गया। ठेकेदार द्वारा साइट डवलपमेंट का कार्य करने के उपरान्त अधिशासी अभियन्ता करसोग मण्डल द्वारा पाया गया कि 68.00 मीटर लम्बाई का पुल सम्भव नहीं है। Site condition के अनुसार इस पुल का Span 68.00 मीटर से बढ़ाकर 81.00 मीटर किया गया था, जिसके कारण निर्माण

कार्य रोकना पडा़। कार्य की लागत बढ़ने के कारण ठेकेदार ने कार्य करने में असमर्थता जताई। जिस कारण निविदा अधिशासी अभियन्ता करसोग मण्डल द्वारा निरस्त कर दी गई। इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा CWPIL No. 28/2012 में पारित आदेश दिनांक 21.11.2012 के अनुसार विभाग व नाबार्ड को संशोधित प्राक्कलन बनाने के लिए आदेश जारी किए गए। इसके उपरान्त संशोधित Design व Drawing के Finalization के उपरान्त 70.00 मीटर पुल की संशोधित डी0पी0आर0 बनाकर नाबार्ड को मु0 231.56 लाख रुपये की भेजी गई। जिसकी स्वीकृति नाबार्ड से 25.03.2013 को प्राप्त हुई तथा इस कार्य का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति सरकार द्वारा दिनांक 02.05.2013 को प्रदान की गई।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ....

16.09.2020/1220/RKS/AG-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

जिसकी स्वीकृती नाबार्ड से 25.03.2013 को प्राप्त हुई तथा इस कार्य का संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति सरकार द्वारा दिनांक 02.05.2013 को प्रदान की गई।

उक्त कार्य का दोबारा से टैंडर हि.प्र.लो.नि.वि., मण्डल करसोग द्वारा लगाया गया था। इस कार्य का टैंडर श्री संजय कुमार शर्मा, ठेकेदार, गांव व डा0 पुराना बाजार, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 को अधिशाषी अभियन्ता करसोग मण्डल द्वारा दिनांक 17.05.2013 को 1,82,91,920/-रुपये का अवार्ड हुआ था। ठेकेदार को दिनांक 13.11.2014 तक 18 महीने का समय कार्य को पूरा करने के लिए दिया था। ठेकेदार ने दोनो बाढु और कारला तरफ की abutment तैयार कर दी है। साथ ही 10 पैनल में से 7 पैनल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और 03 पैनल का कार्य आंशिक रुप से पूरा किया गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य धीमी गति से किया जा रहा था। ठेकेदार को बार-बार लिखित रुप से कार्य की गति बढाने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, करसोग मण्डल द्वारा पत्र संख्याः 4296-96, दिनांक 01.08.2014, 7304-6, दिनांक 25.102014, 2121-24

दिनांक 29.05.2015 द्वारा अनुरोध किया गया। इसके उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता, करसोग मण्डल के पत्र संख्याः 7226-29 दिनांक 26.09.2015 द्वारा 10 प्रतिशत जुर्माना रुपये 18,29,192/- एग्रीमैंट के क्लॉज-2 के अन्तर्गत लगाया गया। इसके उपरांत भी ठेकेदार द्वारा कार्य की गति नहीं बढाई गई। अधिशाषी अभियन्ता, करसोग मण्डल द्वारा पत्र संख्याः 10421-24, दिनांक 05.11.2015, 1392-92, दिनांक 12.09.2016 द्वारा कार्य की गति बढाने हेतु कहा गया, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य की गति नहीं ब़ढाई गई। अतः अधिशाषी अभियन्ता, करसोग मण्डल द्वारा पत्र संख्याः 8035-38, दिनांक 02.11.2016 के द्वारा एग्रीमैंट के क्लॉज-3 के अन्तर्गत कार्य निरस्त कर दिया गया। परन्तु ठेकेदार द्वारा अनुरोध करने पर ठेकेदार को पुनः कार्य शुरु करने की अनुमति दी गई। ठेकेदार द्वारा 15 सितम्बर, 2018 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन लिखित में दिया था।

इसके उपरान्त भी ठेकेदार द्वारा कार्य वांछित गति से नहीं किया गया तथा अधिशाषी अभियंता, करसोग मण्डल द्वारा कार्य को तय सीमा में पूर्ण करने हेतु

16.09.2020/1220/RKS/AG-2

कहा गया। इसके उपरान्त सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्रवार पुर्नगठन करने पर यह कार्य अधिशाषी अभियन्ता सुन्दरनगर मण्डल को अगस्त, 2018 को स्थानांतरित किया गया। इसके उपरान्त अधिशाषी अभियन्ता, सुन्दरनगर मंडल के पत्र संख्याः13499- 501 दिनांक 02.11.2018, 14436-38, दिनांक 17.11.2018, 21069-71, दिनांक 20.02.2019, 23639-41, दिनांक 08.03.2019 द्वारा कार्य को तय सीमा में पूर्ण करने हेतु कहा गया, परन्तु ठेकेदार द्वारा कार्य की गति नहीं बढाई गई।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिशाषी अभियन्ता सुन्दरनगर मण्डल के पत्र संख्याः 24113-16, दिनांक 23.03.2019 के द्वारा पुनः 10 प्रतिशत जुर्माना 18,29,192/- रुपये केवल एग्रीमैंट के क्लॉज-2 के अन्तर्गत लगाया गया व कार्य अति शीघ्र पूर्ण करने को कहा गया।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

16.09.2020/1225/बी0एस0/ए0जी0/-1

मुख्य मंत्री जारी...

इसके उपरांत भी ठेकेदार द्वारा कार्य वांछित गति से नहीं किया गया। अतः अधिशासी अभियंता, सुन्दरनगर मंडल द्वारा कार्य की अति शीघ्र पूर्ण करने हेतु कार्यालय पत्र संख्याः 263-65 दिनांक 10.04.2019, 2611-13 दिनांक 10.06.2019, 624-42 दिनांक 08.07.2019, 7737-38 दिनांक 01.08.2019, 10929-31 दिनांक 12.09.2019, 13616-18 दिनांक 16.10.2019, 16238-30 दिनांक 27.11.2019 मैं विभाग को कहना चाहता हूं कि इतने सारे पत्र संख्या को डालने की आवश्यकता नहीं है आने वाले समय में इसे प्रश्न के उत्तर में न डाला करें, केवल तारीख ही डाली जाए यह पर्याप्त है। ठेकेदार द्वारा वर्तमान में कार्य अक्तूबर, 2019 से रोका हुआ है। अधीक्षण अभियंता प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग, मण्डी द्वारा दिनांक 30.12.219 को कॉंट्रेक्ट मेनेजमैंट मिटिंग बुलाई गई जिसमें ठेकेदार भी शामिल हुआ। मिटिंग में ठेकेदार ने आग्रह किया कि उसे कार्य पूर्ण करने का अंतिम अवसर दिया जाए तथा वह दिनांक 09.01.2020 तक कार्य शुरू कर देगा परंतु ठेकेदार से बार-बार आग्रह करने पर भी मार्च, 2020 तक शुरू नहीं किया गया इसके बाद ठेकेदार ने बताया कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उसके कुशल प्रवासी मजदूर पलायन कर गए हैं जिसके कारण वह कार्य शुरू नहीं कर पाया। अध्यक्ष महोदय, ठेकेदार द्वारा 06, अगस्त, 2020 को कुशल मजदूर दूसरे राज्य से लाने के लिए कोविड पास हेतु आवदेन किया था जिसकी स्वीकृति उपायुक्त, मण्डी द्वारा ठेकेदार को मिल गई परंतु आज तक कोई भी कुशल मजदूर नेरी पुल पर इस महामारी के कारण नहीं पहुंच सके। अध्यक्ष महोदय, इस कार्य की निगरानी माननीय उच्च न्यायाल द्वारा जनहित याचिका संख्याः 14/2017 के माध्यम से की जा रही है। विभाग द्वारा समय-समय पर माननीय उच्च न्यायालय में स्टेटस रिपोर्ट दायर की जा रही है। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश दिनांक 28.03.2019 को विभाग द्वारा जो स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई थी उसके तहत क्लॉज-3 के अन्तर्गत निविदा निरस्त करने की अनुमति मांगी गई थी। विभाग द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिए यथा संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मैं माननीय विधान सभा सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस पुल के निर्माण हेतु मैं व्यक्तिगत रुचि ले कर इस कार्य को पूर्ण करने हेतु इस कार्य की जिम्मेवारी तय करूंगा ताकि

जनहित के कार्य को अविलंब पूर्ण किया जा सके। अध्यक्ष महोदय, बहुत विस्तृत उत्तर हमने दिया है। मैं स्वयं इस मामले को देखूंगा और विभाग के अधिकारियां के साथ मिटिंग करूंगा और माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा कि वे स्वयं भी मिटिंग में उपस्थित रहे ताकि इसकी पूरी स्थिति का अवलोकन कर सके और उसके बाद इस कार्य को करने के लिए जो भी कदम उठाने की आवश्कता होगी उन्हें हम उठाएंगे।

अध्यक्ष : माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी, मैं आपको समय दूंगा, कृपया आप बैठ जाइए।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे नहीं चलेगा कि आप विपक्ष को बोलने के लिए समय ही न दें। माननीय सदन में आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि विपक्ष को बोलने के लिए समय नहीं दिया गया हो। हमें भी अपनी बात रखनी है। इससे पहले नियम-62 पर चर्चा हो चुकी है हमने बीच में कुछ नहीं कहा। हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमें बोलने के लिए समय दें।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

16-09-2020/1230/ए.एस.-एन.जी./1

श्री मुकेश अग्निहोत्री जारी.....

(व्यवधान)... ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता को समय न दिया जाए। आज तक हिमाचल प्रदेश विधान सभा में ऐसा कभी नहीं हुआ। हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि हमने अपना पक्ष रखना है और हमें अपनी बात रखने का समय दिया जाए। यह हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य क्या हम आपके अधिकारों को खण्डित कर रहे हैं?(व्यवधान)... माननीय सदस्य आप इस सदन में बार-बार यह कहते हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : बिल्कुल ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ है। (व्यवधान)...

अध्यक्ष : मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं।(व्यवधान)... मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने विपक्ष की मान मर्यादा को हमेशा प्रथामिकता दी है।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : आपका धन्यवाद और अगर ऐसा है तो हमें बोलने का समय दीजिए।(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मैं आपको समय दूंगा।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अब तो नियम-62 पर भी चर्चा हो चुकी है तो अब हमें समय दीजिए।(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मैं आपको समय दूंगा। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको समय दूंगा। सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आया है।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य आने से पहले हमने अपनी बात रखनी है।(व्यवधान)...

अध्यक्ष : क्यों, सरकार का वक्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है क्या?(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : हमने सरकार की सारी बात सुन ली है। सरकार का वक्तव्य दोपहर 12.00 बजे आता है और वह उस समय नहीं आया।(व्यवधान)..

16-09-2020/1230/ए.एस.-एन.जी./2

अध्यक्ष : आप मेरी बात तो सुनिए।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, सारे हिमाचल को खोल दिया गया है और माननीय मुख्य मंत्री की स्टेटमेंट हाऊस में नहीं आई।(व्यवधान)... आपकी स्टेटमेंट पहले आनी चाहिए थी।(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप बैठ जाएं और मेरी बात तो सुनिए।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे आग्रह किया इसलिए आप सरकार की स्टेटमेंट पहले दिलवा रहे हैं।(व्यवधान)...

अध्यक्ष : मेरे पास सरकार की स्टेटमेंट सुबह से आई हुई है और आपने मुझे अभी कहा है।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी की स्टेटमेंट तो दोपहर 12.00 बजे आनी चाहिए थी लेकिन वह अभी तक नहीं आई। सरकार ने हिमाचल को खोलने का फैसला कैबिनेट में लिया(व्यवधान)...

अध्यक्ष : प्लीज़, माननीय सदस्य आप बैठिए तो सही(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आप एक अम्पायर हैं और आपको दो पार्टियों के बीच में खेल खिलाना है। आप यदि हर समय हमारे ऊपर सरकार को प्राथमिकता देंगे तो ऐसा कैसे चलेगा? दोपहर 12.00 बजे माननीय मुख्य मंत्री स्टेटमेंट दे देते तो ठीक था। हमने दो बातें कहनी है और माननीय मुख्य मंत्री जी उन्हें भी अपनी स्टेटमेंट में कवर कर देंगे। इसमें आपको दिक्कत क्या है?(व्यवधान)...

अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनें तो सही।(व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, आज तक माननीय मुख्य मंत्री की स्टेटमेंट दोपहर 12.00 बजे आती रही है। लेकिन आज माननीय मुख्य मंत्री की स्टेटमेंट कोविड पर नहीं आई है। इन्होंने कल कैबिनेट में फैसला लिया, अख़बारों को जारी कर दिया और हाऊस चल रहा है इसलिए हाऊस का फर्स्ट राइट था।(व्यवधान)... 6 महीने हो गए हैं और उसके बाद इन्होंने हिमाचल को खोला है।(व्यवधान)...

16-09-2020/1230/ए.एस.-एन.जी./3

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय आप बैठ जाएं। मुझे भी रूलिंग देने का अधिकार है। आप बैठ जाएं। आप हमेशा यही कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ, पहली बार हुआ। मैं समझता हूं कि यह इस माननीय सदन की मर्यादाओं को गलत प्रमाणित करने का प्रयास किया जा रहा है। आप बैठ जाएं।(व्यवधान)...नियम क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)...

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हम भी इस हाऊस में 20 साल से हैं और मुख्य मंत्री की स्टेटमैंट हमेशा दोपहर 12.00 बजे आती है और आज हमने आपसे समय मांग लिया तो आप सरकार से स्टेटमेंट दिलवा रहे हो।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य महोदय आप बैठ जाएं। आप मेरी बात तो सुनें।(व्यवधान)... कुछ भी रिकॉर्ड न किया जाए।(व्यवधान)... आप बैठ जाएं (व्यवधान)... मैं आपको समय दूंगा(व्यवधान)...माननीय सदस्यगण आप सब बैठ जाएं(व्यवधान)...

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

16/09/2020/1235/MS/AS/1

...(व्यवधान)

अध्यक्ष जारी---

आप लोग मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं। बैठिए।...(व्यवधान) ऐसा है, बार-बार इस माननीय सदन में बातों को दोहराया जाता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ...(व्यवधान) माननीय सदस्य मुकेश अग्निहोत्री जी, आप कह रहे हैं कि मुख्य मंत्री का वक्तव्य दोपहर 12.00 बजे आता है।...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : हां, मुख्य मंत्री का वक्तव्य हमेशा दोपहर 12.00 बजे ही आता है।

अध्यक्ष : कहां दोपहर 12.00 बजे आता है? ...(व्यवधान) आप बात सुनिये, मैं व्यवस्था दे रहा हूं। ...(व्यवधान) आप बैठिये। मैं नियमों के तहत ही बात करूंगा। मेरी बात तो सुनिये। ...(व्यवधान) बैठिये। ऐसा है मंत्रियों और मुख्य मंत्री का वक्तव्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद ही होता है। यह नियमों में प्रावधान है। मैं यह कह रहा हूं कि ये हमारी परम्परायें हैं। ...(व्यवधान)

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल छः महीने के बाद खुल रहा है और आप हमारी दो बातें नहीं सुनना चाहते हैं। हमारी बात सुनने में क्या दिक्कत है? इसमें क्या परेशानी है?

अध्यक्ष : परेशानी तो कुछ नहीं है। ...(व्यवधान) आप अपनी बात रखिये। एक मिनट बैठ जाइये। आप कह रहे हैं कि ध्यानाकर्षण से पहले ही यह सब कुछ होना चाहिए। मैं कुछ बातें आप लोगों के जेहन में डालना चाहता हूं ताकि भविष्य में याद रहे कि मंत्रियों और मुख्य मंत्री का वक्तव्य ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद ही आता है। यह प्रावधान नियमों में है।

श्री मुकेश अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, 23 मार्च, 2020 को हिमाचल में लॉकडाउन लागू हुआ था और असैम्बली समेत सारा हिमाचल बन्द हुआ था। कल लगभग छः महीने के बाद मंत्रिमण्डल ने यह फ़ैसला लिया कि हिमाचल को अब खोल दिया जाए। मुख्य मंत्री जी ने बाहर प्रैस को भी इस बारे में एनाउंस कर दिया। सदन चल रहा है और सदन का यह फर्स्ट

राइट होता है कि सदन को हमेशा ऐसी सूचना देनी पड़ती है। हम कोई आप लोगों के फ़ैसलों के विरोधी नहीं हैं जिस स्पिरिट में आप ले रहे हैं। छः महीने से भी तो यहां पर फ़ैसले लिए जा रहे हैं। जब कोरोना से एक मृत्यु हुई थी तब हिमाचल बन्द हुआ था। आज 100 मृत्यु और 10,000 केसिज हो गए हैं। ...(व्यवधान) आप बता देना। परन्तु आपके पास

16/09/2020/1235/MS/AS/2

तो फिर और भी गलत सूचना है। आप मुख्य मंत्री हैं। लेकिन जो भी मृत्यु हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं उनको देखते हुए आज ऐक्टिव केसिज का 10,000 का आंकड़ा हम पार कर गए हैं और ऐसा आज ही अख़बारों में आया है कि इतना आंकड़ा हम पार कर गए हैं। ...(व्यवधान) आज की अख़बारों में आया है। ...(व्यवधान) इसमें मुख्य मंत्री जी मुझे और आपको उलझने की जरूरत नहीं है। हररोज़ ही आंकड़ों को नैट पर डाला जाता है कि हिमाचल में कितने केस बढ़े हैं। चलो, अभी देख लेंगे और मोबाइल पर ही निकल आएगा कि यहां कितने केस आए हैं तथा कितनी मृत्यु हुई हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब 100 के लगभग मौतें हो गई हैं और आज अख़बारों में आया है कि कोरोना से एक महीने में 24 लोगों की मृत्यु हो गई हैं और 10,000 के आंकड़े पर हम पहुंचने जा रहे हैं तो ऐसे में आपने अब हिमाचल खोला है। अब तक तो हिमाचल जय राम के भरोसे था लेकिन अब आपने हिमाचल को राम भरोसे कर दिया है। ...(व्यवधान)
जारी जे0के0 द्वारा---

16.09.2020/1240/JK/DC/1

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः--------जारी--------

सरकार के अपने हाथ खड़े हो गए कि जो भी है खुद बचो, हम तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। हमें भी मालूम है कि मिनिस्टरी ऑफ होम अफेयर से आपको बहुत दबाव है। आपके ऊपर टूरिज्म इंडस्ट्री का दबाव है, फाइनैंसिज़ का आपके ऊपर प्रैशर है और स्टेट को रन करना है। आपके सामने डिफ्रैंट प्रॉब्लम्ज़ हैं । उसके चलते अंततः आपने यह फैसला कर दिया कि अब कोई कोविड टैस्ट की ज़रूरत नहीं होगी, कोई क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप प्रदेश में खुलेआम आ-जा सकते हैं। वह तो मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि

आपने कल क्या फैसला लिया? हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं कि जब एक डैथ हुई थी तो बहुत बंदिशें थी और अब स्थिति ऐसी है कि मामले 10 हजार तक पहुंच गए हैं तो अब आपने सारा प्रदेश ही खोल दिया है। आपकी रणनीति क्या है, आपकी सोच क्या है, कैसे आप प्रदेश को रन करना चाह रहे हैं, हम तो आपसे वह स्थिति जानना चाह रहे हैं। क्या जनता को भी आपको साउंड करना पड़ेगा कि आप अपना बचाव खुद रखो क्योंकि अब हमारे हाथ खड़े हैं?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा मसला यह है कि कैग की रिपोर्ट यहां पर रखी गई। अब कैग की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई, जो आपकी सरकार की है। जो वर्ष 2017-18 में आपके समय में काम हुए, उसकी रिपोर्ट आ गई है। अब वह रिपोर्ट ऐसे गायब कर दी कि हम किसी के पास रिपोर्ट ही नहीं है। उसकी एक सी.डी. भेज दी। जो किताब छप कर हमेशा आती थी, क्योंकि उसमें रूल-30 की बातें आई हैं। पैसा बहुत सी स्कीमों का खर्च नहीं हुआ है, वह भी इसमें आया है। बहुत पैसा ऐसा है जो स्कीमों पर खर्च ही नहीं हुआ। सैंकड़ों योजनाएं ऐसी हैं जहां पर आपने पैसा खर्च ही नहीं किया। 10 प्रतिशत खर्चा आपने बढ़ा दिया है। जो आपने कर्ज़े लिए हैं, उसमें सारा मैंशन है। मेरा आपसे दोनों हाथ जोड़ कर आग्रह है कि विपक्ष को उसकी प्रिंटिड कॉपियां उपलब्ध करवा दें। आपके समय की बातें आनी शुरू हुईं तो आप हमारे से नाराज़ हो गए और आपने कॉपियां ही गायब कर दी। ऐसा तो आप न करो। ये दोनों मसले आपके ध्यान में लाना चाहता था।

16.09.2020/1240/JK/DC/2

अध्यक्षः अब माननीय मुख्य मंत्री कोविड-19 वैश्विक महामारी से सम्बन्धित वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस विषय पर हम इस माननीय सदन में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लगभग ढाई दिन नियम-67 के अन्तर्गत इस माननीय सदन में चर्चा हुई है। जब हमने उत्तर दिया तो उस वक्त हमारे मित्रों की सोच ऐसी थी कि इसमें खलल डाला जाए। बहुत सारी चीजों को ले कर हमारे मस्तिष्क में स्पष्टता हो जाती यदि वह उत्तर आप लोगों ने आराम से सुना होता। उसके बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुसार जो कुछ भी आपको करना था, वह आपने किया होता तो अच्छा होता। हालांकि मैंने उस

समय डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश की है। लगभग डेढ़ घंटे का मेरा रिप्लाई रहा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, आज मैं विशेषतौर पर वैश्विक महामारी कोविड-19 पर स्टेटमैंट माननीय सदन में देने जा रहा हूं। जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं, उनको रखते हुए मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले कल हमारी केबिनैट की मीटिंग थी और केबिनैट के बाद यह निर्णय हुआ कि आज हम ऑफिशियल स्टेटमैंट भी दें और केबिनैट के दो महत्वपूर्ण निर्णय कोविड से रिलेटिड हुए हैं। और भी निर्णय हुए हैं, उसमें बहुत सारी डिटेल में कहने की ज़रूरत नहीं है। कोविड से रिलेटिड जो 3-4 निर्णय हमने पिछले कल लिए हैं, उस बारे में इस माननीय सदन में जानकारी उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। हमने नोटिस दिया था लेकिन एक व्यवस्था है, आमतौर पर क्या होता है कि अगर सरकारी स्टेटमैंट का ज़िक्र मुख्य मंत्री या मंत्रियों की ओर से आता है तो प्रश्नकाल के बाद उसमें व्यवस्था रहती है लेकिन जब नियम-62 के अन्तर्गत इस माननीय सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पहले ही लगा होता है तो प्रायोरिटी उसके बाद आती है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी-----

16.09.2020/1245/SS-DC/1

मुख्य मंत्री क्रमागत :

तो उसके अनुरूप आपने इस माननीय सदन में जो अपना निर्णय दिया है अध्यक्ष महोदय, हम उसका स्वागत करते हैं। हम ऐसा अनुभव कर रहे हैं कि कोविड-19 का इम्पैक्ट इन दिनों पूरे देश भर में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और स्वाभाविक रूप से प्रदेशों में भी बदस्तर वही स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, इसमें भी दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। लगातार बढ़ोतरी हो रही है और बढ़ोतरी भी काफी ज्यादा व तेजी से हो रही है। उसकी तैयारी से संबंधित कल हमने कैबिनेट में मीटिंग की और उससे पहले परसों भी हैल्थ डिपार्टमैंट के सभी अधिकारियों और स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 राजीव सैजल के साथ बैठकर चर्चा की है। कुछ हमने उसमें भी निर्णय किये हैं। लेकिन पिछले कल जो कैबिनेट में निर्णय किये हैं पहले मैं उसकी जानकारी दूंगा और उसके बाद कोविड से रिलेटिड स्टेटमैंट दूंगा। जिसमें मैं चाहूंगा कि सब को मिल करके बहुत ज्यादा सावधानी

बरतने के साथ-साथ हम अपनी भूमिका किस प्रकार से लोगों का जीवन संक्रमण से बचाने के लिए निभा सकते हैं उन सारी चीज़ों को लेकर मैं आपसे अपील करूंगा।

अध्यक्ष महोदय, पिछले कल जो हमारा निर्णय हुआ उसमें भारत सरकार द्वारा बार-बार अनुरोध किया गया था और कई वर्गों की ओर से भी इसमें आग्रह आया था कि इंटर-स्टेट मूवमैंट को रैस्ट्रिक्ट न किया जाए, उसको खोल दिया जाए। पूरे देश भर में तकरीबन सभी राज्यों ने इंटर-स्टेट मूवमैंट खोल दी है। किसी के आने-जाने पर कोई रैस्ट्रिक्शन नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हमने एक मैकेनिज्म जारी रखा था। हम उसको पास तो नहीं कह सकते लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन जारी रखी थी कि जो भी आदमी प्रदेश में आयेगा उसकी रजिस्ट्रेशन हो ताकि रजिस्ट्रेशन में कम-से-कम यह पता लगे कि कौन आदमी कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है ताकि आने वाले समय में अगर कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो हमको उसके कंटैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल सके। उसमें मकसद सिर्फ इतना ही था। उस दृष्टि से हमने उस प्रक्रिया को जारी रखा था। इस बीच में बहुत सारे लोगों की ओर से इस बात को लेकर आग्रह आता रहा कि इसके कारण हमको बॉर्डर पर एंटरी में असुविधा हो रही है इसलिए इस रजिस्ट्रेशन को बंद कर दिया जाए। हमारा आना-जाना बिना रैस्ट्रिक्शन के शुरू

16.09.2020/1245/SS-DC/2

हो जाए तो वह सुविधाजनक रहेगा। कई बार हम देखते हैं कि कोई मजदूर आ रहा है तो उसको उस रजिस्ट्रेशन प्रोसैस को पूरा करने में कठिनाई आ रही है। कोई मरीज आ रहा है और जा रहा है तो उसको भी कठिनाई आ रही है। इसलिए उस प्रक्रिया को सरल करने की दृष्टि से हमने पिछले कल कैबिनेट में निर्णय लिया कि जो हमने अभी तक ई-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी रखी थी उसको तुरन्त प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

दूसरा अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की ओर से हमको इस बात के लिए आग्रह किया गया था कि अब रैस्ट्रिक्शन को फ्री कर दें और इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि बाकी राज्यों ने भी आना-जाना फ्री कर दिया है। इससे मैं समझता हूं कि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए जिन लोगों को अकसर आना-जाना है उनको काम-काज करने में कठिनाई आ रही थी तो उसमें मुझे

लगता है कि एक सुविधा मिलेगी। एक तो हमने यह निर्णय लिया कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बंद कर दिया है।

तीसरा अध्यक्ष महोदय एक और विषय है। वह यह था कि जो आई0सी0एम0आर0 व भारत सरकार द्वारा निर्धारित कोविड-19 मरीजों की जो डिस्चार्ज पॉलिसी है वह हर राज्य द्वारा फोलो की जा रही है। लेकिन हमने अपने राज्य में उससे थोड़ा अलग प्रावधान रखा था। हमारे राज्य में इसमें भिन्नता यह थी कि हम 10 दिन बाद मरीजों का टैस्ट करने के उपरांत उन्हें डिस्चार्ज करते थे। यानी कि अगर कोई कोविड पॉजिटिव निकलता था तो उसको अस्पताल में रखते थे और उसके 10 दिन के बाद कोविड टैस्ट लेने के उपरांत डिस्चार्ज करते थे।

जारी श्रीमती के0एस0

16.09.2020/1250/केएस/एचके/1

मुख्य मंत्री जारी----

किन्तु कोविड पॉज़िटिव मरीज 10 दिन बाद अगर निर्देशों के अनुरूप ए-सिंप्टोमैटिक है, तो उसका टैस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती और उसे 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जाए ।वह रोगी अवधि के बाद नॉन इन्फैक्टिव होता है यानि वह दूसरों को इन्फैक्शन नहीं फैला सकता इसलिए आई.सी.एम.आर. द्वारा निर्धारित नीति प्रदेश में अपनाई जाएगी। हम तब तक कोशिश करते थे जब तक मरीज की रिपोर्ट नैगेटिव न आ जाए। आई.सी.एम.आर. ने कहा कि अगर मरीज पॉज़िटिव हो गया, उसके बाद उसको आइसोलेशन में रख दिया, 10 दिन के बाद उसको बिना टैस्ट के 7 दिन की होम क्वारंटीन की अनुमति देनी चाहिए और उसको हॉस्पिटल में रखने की ज़रूरत नहीं है बशर्ते उसको लास्ट के तीन दिनों में बुखा़र या अन्य किसी प्रकार के कोई सिंप्टम डवलप न हो।

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां तो यह भी स्थिति रही कि कई बार तीन-तीन, चार-चार टैस्ट करने के बावजूद भी पॉज़िटिव आते गए और मरीजों के हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रहने की अवधि बहुत लम्बी हो जाती थी। कोई 21 दिन, कोई 25 दिन और कोई 30 दिन भी रहे

और एक उदाहरण तो हमारे मण्डी जिला का ऐसा है कि एक व्यक्ति लगातार 9 बार टैस्ट करने के बावजूद भी नैगेटिव नहीं आया। 9वीं बार भी उसकी रिपोर्ट इनकन्क्लूसिव आई। इसलिए फिर यही उचित लगा कि आई.सी.एम.आर. की जो गाइड लाइन्ज़ हैं, 10 दिन के बाद अगर सिंप्टम नहीं हैं तो उसको होम आइसोलेशन में भेज दिया जाए और होम क्वारंटीन करके वह 7 दिन का अपना समय पूरा करें और उसके बाद वह अपने काम-काज में जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय प्रदेश सरकार ने मरीजों की बढ़ती संख्या के मध्यनज़र सी.एस.आई.आर. के माध्यम से 5 स्थानों पर makeshift hospital बनाने का निर्णय लिया है। ये अस्पताल शिमला, टांडा, नालागढ़, ऊना व नाहन में बनेंगे। शुरू में ये 50 बिस्तर वाले होंगे व सुविधाओं से सुसज्जित होंगे व सीवीयर व मॉडरेट मरीजों के प्रबन्धन में सहायक सिद्ध होंगे। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से नम्बर बढ़ता

16.09.2020/1250/केएस/एचके/2

जा रहा है और नम्बर बढ़ने में कई जगह ऐसा आ रहा है कि जो सिंप्टोमैटिक पेशेंट्स आ रहे हैं, जिनको लक्ष्ण है, उनको हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत पड़ती है और कई बार ऑक्सीज़न की भी ज़रूरत पड़ती है हालांकि यहां पर उनका नम्बर बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन ऐसी परिस्थिति में वेंटिलेटर्ज़ की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए हमने एक अलग से व्यवस्था की है कि अगर यह नम्बर बढ़ जाता है तो समय रहते हम उसमें कदम उठा लें और उस दृष्टि से हमने शिमला, टांडा, नालागढ़, ऊना और नाहन में 50-50 बिस्तरों, यानि 250 बिस्तर के लिए अलग से makeshift hospitaL की व्यवस्था की है और बहुत जल्दी, 15 दिन के भीतर इस व्यवस्था को हम वहां पर खड़ा कर सकते हैं जिनमें प्रीफेब स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेज से सम्बन्धित नई नीति का अनुमोदन भी किया। इसके अनुसार मुख्यतः प्रदेश में नए नर्सिंग कॉलेज तभी खोले

जाएंगे अगर उस संस्थान का अपना कम से कम 100 बैडिड हॉस्पिटल हो। भारत सरकार के आदेशों के अनुरूप जी.एन.एम. कोर्स को 2021-22 के सैशन से बंद किया जाएगा और पुराने संस्थानों को इस कोर्स को बी.एस.सी., नर्सिंग में बदलने के लिए आवेदन करना होगा। ऐसे संस्थानों को खोलने के लिए पात्रता में भी कुछ बदलाव किए गए। मौजूदा कॉलेजिज़ को अलग-अलग कोर्सिज़ के लिए सीटों की वृद्धि का सशर्त अनुमोदन किया जाएगा व एम.एस.सी. नर्सिंग कोर्स के अलावा किसी और कोर्स के लिए किसी भी मौजूदा कॉलेज को सरकारी अस्पताल के साथ फ्रैश अटैचमैंट नहीं दी जाएगी। हालांकि पहले दी गई अटैचमैंट यथावत रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, हमने हिमाचल प्रदेश में ये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। दूसरे, अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन में जो स्टेटमैंट देना चाह रहा हूं वह मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। आपने इसके लिए हमें इजाज़त दी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.9.2020/1255/av/hk/1

मुख्य मंत्री ---- जारी

प्रदेश सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आवश्यकतानुसार सभी प्रकार के उचित कदम उठाये हैं तथा कोरोना महामारी के संक्रमण को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में यह देखा गया है कि प्रदेश में कोविड-19 से ग्रसित मरीज़ों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यह हम सब के लिए चिंता का विषय अवश्य है परंतु मैं इस बारे में सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार बढ़ते हुए मरीज़ों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार है और मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से इस महामारी से लड़ने के लिए सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं यह भी अवगत करवाना चाहूंगा कि जब इस महामारी की हमारे दरवाजे पर आहट सुनाई दी थी तब से हमारी सरकार का हर कर्मचारी चौकीदार की तरह इस पर काबू पाने के लिए

निरंतर प्रयास करता रहा है। मार्च माह में प्रदेश में कोविड-19 की टैस्टिंग की सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं थी। उस समय यहां से टैस्ट पुने भेजना पड़ता था। आप कल्पना कीजिए, टैस्ट जाता था और फिर रिपोर्ट आने में लगभग 7 दिन का समय लग जाता था। उसके बाद पुने की बजाय एम्स, दिल्ली भेजना पड़ता था क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश में हमारे पास इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी। लेकिन हमारी सरकार ने दिन-रात एक करके कोविड-19 की टैस्टिंग की सुविधा के लिए 8 आर0टी0-पी0सी0आर0 लैब, 25 ट्रूनेट लैब एवं 2 सी0बी0एन0ए0ए0टी0लैब की स्थापना बहुत ही कम समय में की है। इसके साथ ही, प्रदेश में रेपिड एंटिजन टैस्टिंग द्वारा भी लोगों की जांच आरम्भ की गई है जिससे प्रदेश में कोविड-19 के आंकड़े काफी हद तक बढ़े हैं। साथ ही, कोविड-19 से ग्रसित मरीज़ों को उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तीन स्तरीय ढांचा भी विकसित किया गया है जिसके अंतर्गत विभिन्न समर्पित डेडिकेटिड कोविड केयर सैंटर, कोविड केयर हैल्थ सैंटर

16.9.2020/1255/av/hk/2

एवं कोविड अस्पतालों में निर्धारित क्लीनिकल प्रोटोकोल के अंतर्गत उचित उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। मैं यहां यह जरूर कहना चाहता हूं कि शुरू में टांडा और शिमला में जब हमें आई0सी0एम0आर0 की ओर से टैस्टिंग की अनुमति मिली तो उस समय हमारे पास एक दिन में ज्यादा-से-ज्यादा 120 से130 टैस्टिंग की सुविधा थी। लेकिन आज हमारी टैस्टिंग सुविधा लगभग 5000 तक पहुंच गई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं सभी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ते हुए कोविड-19 के मरीज़ों के उचित उपचार के लिए पर्याप्त मात्रा में आई0सी0यू0, बैड, ऑक्सिजन, स्पोर्टिड बैड एवं अन्य जरूरी उपकरण की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। अभी तक बहुत कम कोविड-19 से ग्रसित मरीज़ों को ऑक्सिजन या वैंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी है। इस समय भी स्वास्थ्य विभाग बढ़ते हुए मरीज़ों की देखभाल और उचित उपचार के लिए पूर्णतया तैयार है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए और उन सभी के लिए उपचार की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए तीन मेक शिफ्ट अस्पताल शिमला, टांडा एवं

नालागढ़ में स्थापित करने का निर्णय लिया है जिसे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान परिषद भारत सरकार सी0एस0आई0आर0 द्वारा बहुत ही कम समय में तैयार कर दिया जायेगा। यह संस्थान भविष्य में आवश्यकतानुसार और जगहों पर भी स्थापित किए जायेंगे। इसके साथ-साथ प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता को होम आईसोलेशन के प्रति भी जागरुक करने के प्रयास किए हैं एवं होम आईसोलेशन के प्रति लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसके लिए माननीय सदन के सभी सदस्यों का सहयोग भी चाहूंगा। मैं यह भी चाहूंगा कि मीडिया के माध्यम से भी यह बात आम जनता तक पहुंचे। पहले हम होम आईसोलेशन नहीं करते थे, जो भी कोविड-19 से संक्रमित मरीज़ आता था चाहे उसको लक्षण नहीं होते थे तब भी उसको अस्पताल में ऐडमिट किया जाता था। लेकिन देश के जिन राज्यों में कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है वहां पर अस्पतालों की सारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमर्रा गई है। आखिरकार उन्होंने तय किया कि जिनको लक्षण नहीं है उनको अस्पताल में रखना सम्भव नहीं है।

श्री टी सी द्वारा जारी

16.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

माननीय मुख्य मंत्री ... जारी

ऐसी परिस्थिति में उनको यही सलाह दी गई कि आप होम आइसोलेशन करें और जो नियम, सावधानियां बताई गई हैं आप उनका पालन करें। उनको घर पर ही हॉस्पिटल से डॉक्टर्ज व पैरामैडिकल की टीम भेज कर चैक करने के लिए कदम उठाए गए। इसके कारण हम हॉस्पिटल में भीड़ को रोकने में कामयाब हुए और जिन लोगों को संक्रमण के साथ-साथ और भी गम्भीर बीमारी जैसे शुगर, किडनी या ऐज फैक्टर था, उनके लिए इलाज करने की सुविधा मिल पाई। कोविड को लेकर शुरू में हिमाचल प्रदेश में भी बहुत कठिनाई आई। कोविड का पेशेंट घर से बाहर तो होना ही चाहिए, गांव में रहने की भी उसको इजाजत नहीं थी। लोगों में कोविड का ऐसा भय व्याप्त था कि अगर वह मरीज गांव में रह जाएगा तो पता नहीं उसका वायरस कहां से हम तक पहुंच जाएगा। कुछ लोग हमारे से संपर्क करने लगे और कहने लगे कि हमारा घर बिल्कुल अकेला है और घर के सभी

सदस्य संक्रमित हो गए हैं। हम गांव में किसी जगह नहीं जाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हमें अपने घर में रहने दिया जाए। लेकिन गांव के लोग इकट्ठा हो गए और उनको वहां से तुरन्त लेने जाने के लिए कहने लगे। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में ऐसी परिस्थिति हुई है। जबकि अकेला घर था, वे आराम से रह सकते थे लेकिन गांव वालों ने कहा कि हमें कोविड का पेशेंट गांव में नहीं चाहिए। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। आज पूरे देशभर में कोविड का इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है, आइसोलेशन कोविड के पेशेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। अब हमारी प्राथमिकता संक्रमण के साथ दूसरी किसी बीमारी से ग्रस्त पेशेंट्स को बचाने की होनी चाहिए। वह तभी हो पाएगी जब हम हॉस्पिटल के लोड को थोड़ा कम करेंगे। होम आइसोलेशन के इस कंसैप्ट को लोगों के बीच पहुंचाने की आवश्यकता है। यदि किसी आदमी को कोविड के लक्षण नहीं है तो उसको घर पर ही सरकार की ओर से ट्रीटमैंट करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली के मुख्य मंत्री के अनुसार पिछले कल तक दिल्ली में

16.09.2020/1300/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

95000 कोविड के पेशेंट्स होम आइसोलेशन में ही स्वस्थ हुए। हिमाचल प्रदेश में इस व़क्त 3,800 कोविड के एक्टिव केस हैं और 1,655 केस होम आइसोलेशन में हैं। अब लोग स्वयं कह रहे हैं कि हमारे पास घर पर आइसोलेशन की सुविधा है। आप हमें आइसोलेशन के लिए हॉस्पिटल या कोविड सेंटर में न भेजें। इसके लिए समाज में जागरुकता लाने की जरूरत है और हम सबको मिलकर इस काम को करने की आवश्यकता है। इसमें विधायक व पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों व एंजियोज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ....

16.09.2020/1305/RKS/YK-1

माननीय मुख्य मंत्री... जारी

सदन के सभी माननीय सदस्य यह सुनिश्चित करें कि हम अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में इस बात की जानकारी पहुंचाने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित करेंगे। लोगों के बीच में यह जानकारी दी जाए कि अगर किसी व्यक्ति में कोविड-19 के लक्षण नहीं है और वह सिम्पटोमैटिक पाया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन में रखने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आप सभी को ज्ञात है कि भारत सरकार बार-बार सभी प्रदेशों को अनलॉक करने के लिए निर्देशित कर रही है। हमारी सरकार ने भी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चरणों में अनलॉक किया है। पिछले कुछ समय में इंटर स्टेट मुवमैंट भी बढ़ी है जिससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश सरकार ने परिवहन सेवाओं, पर्यटन इत्यादि में सामन्य स्थिति को बहाल करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि यह क्षेत्र पहले जैसी स्थिति में कार्य कर सके। इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों का रोजगार भी सुनिश्चित किया जा सके एवं लॉकडाउन से हुए आर्थिक नुकसान को जहां तक संभव हो कम किया जा सके। आर्थिक गतिविधियों को सामान्य करने के लिए उठाए गए कदमों से संभावित था कि कोविड-19 मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जब हमारी इंटर स्टेट मूवमैंट चल पड़ी है तो स्वाभाविक रूप से हमारी आर्थिक गतिविधियां भी चल पड़ी हैं और इसके कारण आज हम पूरे देश व प्रदेश में संक्रमण बढ़ने की संभावना भी देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इन सबके बावजूद मैं सदन को यह भी बताना चाहूंगा कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में हिमाचल प्रदेश की स्थिति काफी नियंत्रण में है। उदाहरण के तौर पर प्रदेश में कोविड-19 के मरीजों की कुल संख्या 10,335 है जबकि यह संख्या महाराष्ट में 10,97,856, दिल्ली में 2,25,796, राजस्थान में,1,05,898, पंजाब में 84,482, जम्मू-कश्मीर में 56,654 एवं हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 34,407 है। इस प्रकार कोविड-19 के सक्रिय मरीजों की संख्या हिमाचल प्रदेश में 3,802 है। यही संख्या महाराष्ट्र में 2,91,797, दिल्ली में 29787, राजस्थान में 16,761, पंजाब में 21,154, जम्मू-कश्मीर में

16.09.2020/1305/RKS/YK-2

18,678 एवं हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में 10,739 है। मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ यह भी देखा गया है कि दुर्भाग्यवश मृत्यु की दर में बढ़ोतरी हुई है। यह भी देखने में आया है कि बहुत से लोग शुरूआती लक्षण जैसे बुखार, खांसी, जुकाम, इत्यादि होने के बावजूद घर में ही इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जांच नहीं करवा रहे हैं। लेकिन लक्षणों में एकदम बढ़ोतरी के उपरांत वे स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंच रहे हैं जब तक की बहुत देर हो चुकी होती है। उचित उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद भी उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है जोकि बहुत ही चिंता का विषय है। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति की मृत्यु होना भी दुर्भाग्यपूर्ण है परंतु हमारे राज्य में स्थापित सुदृढ़ चिकित्सा प्रणाली के कारण कोविड-19 से होने वाली मौतों की दर अन्य राज्यों की तुलना से कम है। यदि मैं दूसरे प्रदेशों में कोविड-19 से हुई मृत्यु की बात कहूं तो यह संख्या महाराष्ट्र में 30,409, दिल्ली में 4,806, राजस्थान में 1,264 पंजाब में 2,514, जम्मू-कश्मीर में 914, उत्तराखंड में 438 है जबकि हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 68 है। हमारे प्रदेश में मृत्यु दर 0.8 प्रतिशत है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह आंकड़ा 1.64 प्रतिशत है। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में यह आंकड़ा 2.98 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सभी साथियों से सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं। यह संकट बड़ा है और ऐसी परिस्थिति में हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उसमें सभी माननीय सदस्य यथासंभव सहयोग दें।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

16.09.2020/1310/बी0एस0/ए0जी0/-1

मुख्य मंत्री जारी.

लोगों को इस बात को समझाते हुए कि उनको किस प्रकार से गाइड कर सकते हैं, किस प्रकार से जागरुक कर सकते हैं। उस भूमिका को सुनिश्चत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी

से आग्रह करना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता को इस बात के लिए जागृत करें कि कोविड-19 के लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, जुकाम इत्यादि को बिल्कुल भी हल्के में न लें एवं शीघ्र ही स्वास्थ्य संस्थान में जा करके अपनी जांच करवाएं व यथा उचित उपचार सुनिश्चत करें और घरेलू उपचार में समय नष्ट न करें। इसके लिए मैं आप सभी जनता के प्रतिनिधियों से आग्रह करूंगा कि यह संदेश जनजन तक पहुंचाएं। मैं सभी को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा कि सरकार प्रदेश में कोविड-19 की टैस्टिंग को और भी बढ़ा रही है एवं लोगों को होम आइसोलेशन व कोविड-19 के उपचार व बचाव के प्रति हर माध्यम से जागरूक कर रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अनावश्यक चिंता की जगह सजग और सर्तक रहने की आवश्यकता है। साथ-ही-साथ सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों जैसे कि परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथों को निरंतर समय-समय पर धोना इत्यादि का पालन करने की आवश्यकता है। मैं आप सब के माध्यम से यह संदेश भी देना चाहूंगा कि इस सिम्टोमेटिक व मार्जनली सिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने के लिए प्रोत्साहित करें। आप सबके सहयोग से निश्चित तौर से हम इस महामारी पर विजय हासिल करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं जरूर यह कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है और हमें इस बात को मान करके चलना चाहिए कि अब जिस तरह से कोविड-19 का ग्राफ सब जगह बढ़ रहा है, अचानक ही एक साथ एक-एक गांव में 40-50 मरीज पॉजिटिव आ रहे हैं यह चिंता का विषय है। हमने पॉजिटिव केसिज का एक मैकेनिज्म तैयार किया है उससे हमें निश्चित रूप से मदद मिली है। लेकिन अब पूरे देश और प्रदेश में ऐसी परिस्थिति बन गई है कि कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग करना भी सरल नहीं रह गई है। हम फिर भी कॉन्ट्रेक्ट ट्रेसिंग के उस अभियान को नहीं छोड़ेंगे और न ही छोड़ने की आवश्कता है। जो भी आदमी कोविड पॉजिटिव पाया जाता है उसकी पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं कब कहां जाना हुआ, किस से वे मिले, हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों का हम जल्दी टैस्ट कर सकें और उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके इस तरह का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैं विशेष

16.09.2020/1310/बी0एस0/ए0जी0/-2

तौर से यह निवेदन जरूर कहना चाहूंगा कि होम आइसोलेशन के बारे में अभी तक हमारे समाज में मन से उस तरह की स्थिति नहीं बन पाई है। जहां जिसके घर में परिवार में सुविधा है वहां पर कमरा अलग से है, शौचालय अलग से है, वहां पर होम आइसोलेशन की उचित व्यवस्था के अनुरूप उसका पालन कर सकता है। हम चुने हुए प्रतिनिधियों को सुनिश्चित करना है कि हम जरूर उसमें लोगों को जागरूक करें और जागरूक करने के साथ-साथ उन्हें सहयोग करें। अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग इस कोविड-19 के दौर में हमको दिया है। मैं प्रदेश की जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से हमारे फ्रंट लाइन काम करने वाले जो वॉरियर्स हैं जिसमें डॉक्ट्र्स हैं, पैरा मैडिकल स्टाफ हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं होमगार्ड के जवान हैं। वे भी बड़ी संख्या में संक्रमित हुए हैं लेकिन उसके वाबजूद भी मैं इस माननीय सदन के माध्यम से उनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि वे संक्रमित हुए फिर उसके बाद आइसोलेशन में गए फिर ठीक हुए और संक्रमित लोगों के इलाज के लिए पी.पी.ई. किट पहन कर फिर से लग गए। यानी अपने जीवन को जोखिम में डाल करके भी वे काम करने के लिए लग गए हैं। मैं हृदय से उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। अंत में मेरा सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से विनम्र निवेदन है कि जो ये दौर है यह काफी संकट का है और ऐसे में हम सब साथी बन कर, सहयोगी बन कर किसी का जीवन बचाने में अपनी भूमिका निभाएं यह मैं कहना चाहता हूं। अंत में मुझे श्रद्धेय अटल जी की कुछ लाइनें याद आ रही हैंः-

बाधाएं आती हैं आएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पांव के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं।
निज हाथों में हंस्ते-हंस्ते, आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिला कर चलना होगा, कदम मिला कर चलाना हो॥

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

16-09-2020/1315/ए.जी.-एन.जी./1

शेर के पश्चात..... मुख्य मंत्री जारी.....

इस दौर में अध्यक्ष महोदय, पूरे समाज व प्रदेश की आवश्यकता है कि हम सब लोगों द्वारा इस संकट के समय में जो भी योगदान हो सकता है, उसे सभी बातों से ऊपर हो कर, देने की कोशिश करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप जो कुछ कहना चाहते हैं कृपया संक्षेप में बोलिए। आपके पास कोई बड़ा सुझाव है तो उसके बारे में बोलिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन): अध्यक्ष महोदय, पिछले कल ही कैबिनेट ने फैसला किया है कि आवाजाही को पूर्ण रूप से खोल दिया जाए। मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि समाज में जागरुकता की बहुत जरूरत है और इसके लिए आप एक बुकलैट छापें तथा वह सभी पंचायतों में बांटी जाए। उसमें लिखा जाए कि कोविड से किन-किन लोगों को ज्यादा खतरा हो सकता है और उसके बारे में अन्य सारी चीजें भी बताई जाएं ताकि हम उस बुकलैट के माध्यम से लोगों को जागरुक कर सकें। वह बुकलैट ऐसी हो जो जेब में भी आ सके और उसमें बतया गया हो कि अनलॉक में क्या करना है, होम आइसोलेशन में क्या करना है, अगर कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो उसे क्या मैडिसिन लेनी हैं, आदि-आदि। लोगों को यदि जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो यह बहुत अच्छी बात होगी। यह बुकलैट जल्दी-से-जल्दी पंचायत लेवल तक पहूंचनी चाहिए। सभी विधायकों और पत्रकार बंधुओं को भी यह बुकलैट देनी चाहिए। आपने एक छोटी-सी बात कही है कि हमने जी.एन.एम. कोर्स को बंद कर दिया है। उससे पहले एक ए.एन.एम. कोर्स होता था और सरकार ने उस पर भी ध्यान दिया कि हम बी.एस.सी. नर्सिंग करवाएंगे, यह अच्छी चीज है क्योंकि बी.एस.सी. नर्सिंग से रोज़गार के साधन अच्छे मिलते हैं। लेकिन जिन्होंने ए.एन.एम. कोर्स के लिए प्राइवेट संस्थान चलाए थे क्या उन्होंने वे बंद कर दिए हैं? बस यह दो बातें आपसे करना चाहता था। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया आपका धन्यवाद।

16-09-2020/1315/ए.जी.-एन.जी./2

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री जी।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने जो सुझाव दिया है, वह अच्छा और वैसे तो हमने पहले भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से काफी लिट्रेचर बांटा है। लेकिन इस बात की जरूरत महसूस हो रही कि लोगों को और भी अधिक

जानकारियां उपलब्ध करवाई जाएं **तो हम सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से इस बुकलैट को बनाएंगे और इसके साथ-ही हम कोशिश करेंगे कि जल्दी-से-जल्दी लोगों तक इस बुकलैट को पहुंचाया जाए।** इसके अलावा माननीय सदस्य ने ए.एन.एम. की बात कही है, वह तो यथावत है और उसमें किसी प्रकार के बदलाव की जरूरत नहीं है तथा न ही कोई बदलाव किया गया है।

समाप्त/-

अध्यक्ष : अगर माननीय सदन की अनुमति हो तो हमारे दो सरकारी विधेयक हैं उन पर विचार-विमर्श एवं पारण कर लिया जाए।

माननीय सदस्यगण : जी हां।

16-09-2020/1315/ए.जी.-एन.जी./3

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 विधेयक का अंग बने।

16-09-2020/1315/ए.जी.-एन.जी./4

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार।

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष.....श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

16/09/2020/1320/MS/AG/1

अध्यक्ष जारी-------

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9)" को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9)" को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9)" को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि "हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9)" को पारित किया जाए?

(**प्रस्ताव स्वीकार**)

"हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 9)" ध्वनिमत से पारित हुआ।

16/09/2020/1320/MS/AG/2

अब माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा प्राधिकृत माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि "हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3)" पर विचार किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3)" पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि "हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3)" पर विचार किया जाए।

इस पर कोई सदस्य बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री जगत सिंह नेगी : अध्यक्ष महोदय, "हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3)" पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, आपका धन्यवाद। देश और प्रदेश में एक तो कोरोना की मार पड़ी है और ऊपर से यहां संशोधनों-पर-संशोधन आ रहे हैं। आपने कोई दर्जन-भर संशोधन इस माननीय सदन में लाए हैं। लेकिन इनमें से कोई एक भी संशोधन जनता के हित में नहीं है। ये जो संशोधन आप ला रहे हैं इनको ऐसे समय में लाया जा रहा है जब गरीब और मज़बूर आदमी को साहूकारों से कुछ-न-कुछ ऋण लेना पड़ रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से तो कोई व्यवस्था नहीं है। अब आप यह कह रहे हैं कि पैसे भी आपके कहने के अनुसार 20,000 से ऊपर नहीं लेंगे। अगर 20,000 से ज्यादा पैसा लेना है तो आपको चैक के माध्यम से या जो ई-व्यवस्था है, उसके माध्यम से लेना होगा। अब रात के 12.00 बजे अगर मुझे कहीं आपातकाल में किसी साहूकार से पैसा लेना है तो क्या उस समय मैं बैंक की तरफ जाऊंगा? कभी किसी ने अस्पताल या अन्य किसी जरूरी काम से कहीं जाना है तो कम-से-कम इसमें तो आप बख्श दीजिए। आपके ए.टी.एम. खाली पड़े हैं। यहां विधान सभा के सामने जो ए.टी.एम. लगा हुआ है उसमें 20,000 रुपये भी नहीं निकलते हैं। जो 6000 करोड़ रुपये लेकर भागता है उसको तो जहाज में बिठाते हैं। आप हर जगह हम पर पाबन्दी क्यों लगा रहे हैं? क्या इस देश में आपातकाल में पैसा लेना भी गुनाह हो गया है? इसलिए इस किस्म के कानून मत लाइए। हमने जो पैसा लेना है वह अपनी मर्जी से लेना है और हमने ही उसको वापिस भी करना है। उसमें एक भी पाई का हमारे ऊपर आपका अहसान नहीं होने वाला है। इसलिए इस किस्म के संशोधनों का हम भरपूर विरोध करते हैं क्योंकि ये आम जनता के हित में नहीं हैं।

16/09/2020/1320/MS/AG/3

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, देर आए, दुरुस्त आए। मनी लैंडर्ज ऐक्ट काफी वर्षों बाद आया है। सैक्शन-iv में पहले रजिस्ट्रेशन होती थी और

जारी जे0के0 द्वारा----

16.09.2020/1325/JK/AS/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः-------जारी----------

सैक्शन-5 में लाइसैंस इशू होता था और साहूकार महाराज बैठ जाते थे कि अंगूठा लगाओ, हमने इतने पैसे आपको दे दिए हैं। आपने सैक्शन- 5 ए इन्सर्ट किया, जिसमें आपने मिनिमम लिमिट 20,000 से नीचे जो भी व्यक्ति किसी भी साहूकार के पास कैश के लिए जाता है, वह पैसा ले सकता है। 20,000 से ऊपर जो भी आएंगे, वे या तो चैक के थ्रू देंगे या जो आजकल इलैक्ट्रोनिक मोड चले हैं, उसके थ्रू देंगे। हिमाचल प्रदेश में सहकारी समितियां हैं। वहां भी मिनिमम लिमिट 10,000 रुपये कर दी गई है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हिमाचल में छोटे-छोटे गांव हैं, अगर इस लिमिट को, इसमें क्या होता था, इसमें प्रैक्टिकल रूप में बड़ा फ्रॉड होता था। मैंने साहूकार से 40,000 रुपये लिए। उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, उसका कोई कारण नहीं होता था क्योंकि सरकार ने कोई ऐसा नियम बनाया ही नहीं था कि लिमिट कितनी होगी कि इससे ऊपर चैक के थ्रू पैसे जाएंगे या इलैक्ट्रोनिक मोड के थ्रू पैसे जाएंगे और साहूकार उसको पैसे दे देता था। साहूकार 40,000 की जगह उसको बढ़ा देता था। लेकिन इसके माध्यम से जो रैगुलेट करने की, साहूकार की रजिस्ट्रेशन, बैंक नहीं है, साहूकार है, एक रजिस्ट्रेशन करने की जो प्रक्रिया है, यह देर आयद, दुरूस्त आयद, सरकार का इस दिशा में सही कदम है। क्योंकि जो एक्ट कह रहा है, जो मनी देने वाला होता है, उसको अपनी मनी का ध्यान होता है लेकिन मनी लेने वाले के पास भी रिकॉर्ड होना चाहिए । सरकार को इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे-जैसे बदलाव आया, भौतिकवाद की तरफ हम बढ़ते गए और यह साधन भी ज्यादा बढ़ते गए, लेन-देन की प्रक्रिया भी ज्यादा बदलती गई। यह ठीक है कि आर.बी.आई. ने गाइड लाइन्ज़ दी होंगी, इन्कम टैक्स एक्ट के तहत कुछ चीजें चाहिए होंगी। हम चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को छोड़ कर 20,000 की जगह अगर 10,000 के ऊपर जो भी लेन-देन होता, चाहे वह इन्कम टैक्स से था या

इलैक्ट्रोनिक मोड से था तो यह अच्छा होता क्योंकि हिमाचल में 10,000 और 20,000 से होता। इस एक्ट के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी, लॉ मिनिस्टर भी है, अगर आज ही आप इसमें अमैंडमैंट लाते 10,000 से ऊपर का, तो यह अच्छा होता। यही मेरा सुझाव है।

16.09.2020/1325/JK/AS/2

अध्यक्षः अब श्री राकेश सिंघा जी इसमें भाग लेंगे।

श्री राकेश सिंघाः माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर बिल पेश किया कि The Himachal Pradesh Registration of Money-Lenders' (Amendment) Bill, 2020, Bill No. 3 of 2020, इस पर बोलने के लिए मैं उठा हूं। मुख्य तौर पर मैं सहमत हूं। यह होना चाहिए और आज मैंने प्रश्न भी किया था। यह कोइंसिडैंस है कि जो सरकार का ज़वाब आया कि हिमाचल प्रदेश में as per the information of the Government 202 Non-banking financial institutions exist in the State. कर रहे हैं। यह बहुत लूट का काम कर रहे हैं। Therefore, they need to be regulated as per the directions of the RBI and जो भी इन्कम टैक्स एक्ट के तहत उसकी औपचारिकताएं हैं, वे होनी चाहिए। लेकिन जिस समय यह अमैंडमैंट तैयार की गई है और श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने भी यह प्वाइंट आउट किया है कि हम Registration of the Money-Lenders' कर रहे हैं under Section-4 और जो अमैंडमैंट सरकार की तरफ से मूव किया जा रहा है, उसकी ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगी, वह हम उसको सेक्शन 5-ए में डाल रहे हैं। असहमति कहीं नहीं है। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, हर सैक्शन का they must follow each other और इसलिए मैं इतना ही संशोधन चाह रहा हूं। एक्चुअली सेक्शन 5-ए में यह बात जमती नहीं है। सेक्शन 5-ए क्या कह रहा है? Section-5 is Licencing of the Money Lenders, Section-6 में Cancillation of the Licence. यह जो हमने इन्सर्ट करना है यह कोई तुक नहीं बनता है कि हम यह Licencing of the Money Lenders में हम उसका फिर बताएं कि तौर-तरीका क्या होगा? एक्चुअली यह सेक्शन 4-ए होना चाहिए not Section-5 A, अदरवाइज जो Section-5 का फ्लो है

श्री एस.एस. द्वारा जारी---------

16.09.2020/1330/SS-DC/1

श्री राकेश सिंघा क्रमागत :

followed by उसकी रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसिजर है, then followed by कि कैंसलेशन का क्या प्रोसिजर है इसलिए it should come जहां हम रजिस्ट्रेशन ऑफ मनी लैंडर कर रहे हैं उसके बाद फ्लो करेगा कि उसकी रेगुलेशन कैसे होगी। क्या तौर-तरीका हम अख्तियार करेंगे जो उसने लेन-देन का काम करना है, वह किस तरीके से फ्लो करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इसमें इतनी अमैंडमैंड होनी चाहिए। Instead of it being entered as Section 5(A), it should be entered as Section 4(A) so that वह एकदम सिक्वैंस बाई सिक्वैंस फ्लो करे। नहीं तो ऐसा लगेगा कि सैक्शन-"4" आया, फिर उसके बाद हमने लाइसैंस तय किया, फिर हमने बता दिया कि मोड क्या है और फिर हमने बता दिया कि उसकी कैंसलेशन का प्रोसिजर क्या है। यह एक बात है।

दूसरी बात यह है कि मैं सोचता हूं कि जब भी हम लॉ लाते हैं जैसे इससे पहले हमने विधेयक लाया जिस पर मैं नहीं बोला हूं और बोलने का औचित्य भी नहीं है। It is based on experience. जो हमारे सामने अनुभव आता है उसके आधार पर लॉ बनाते हैं। जो तजुर्बा है और प्रैक्टिस से निकलती कमियां हैं उनको हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं through amending the laws from time to time. उसको टाइम एंड स्पेस में देखने की ज़रूरत है। यह हमें फ्रदर स्टडी करने की ज़रूरत है कि जो नॉन-फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्ट्टियूशन्ज़ हैं क्योंकि मैं समझता हूं कि नॉन-फाइनेंशियल बैंकिंग इंस्ट्टियूशन्ज़ या कम्पनीज़ को जिस तरीके से रेगुलेट करने में गम्भीरता होनी चाहिए थी, उसको वैसे नहीं किया है। जो ये चिट फंड कम्पनीज़ हैं जो कहती हैं कि पांच साल में दुगुना कर देंगे या तीन महीने में दुगुना कर देंगे, बहुत लोग इनके शिकार बन रहे हैं। खास तौर पर गांव का गरीब आदमी सोचता है कि बैंक में पैसा काहे के लिए रखना वहां पर 4 परसैंट या 6 परसैंट ब्याज मिलेगा। 10 साल रखेंगे तो इंट्रस्ट रेट जो पहले 10 परसैंट होता था वह अब 6 परसैंट पर आ गया इसलिए वह नॉन-फाइनेंशियल कम्पनीज़ के पास जा रहा है और लूट का शिकार बन रहा है। बहुत-सी कम्प्लेंट्स जो रजिस्टर भी होती हैं उनका कहीं लॉजिकल एंड नहीं

होता है। वे लोग मायूस हो जाते हैं और फिर इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो based upon the experiences यहां सदन के बहुत से लोगों के पास

16.09.2020/1330/SS-DC/2

भी शिकायतें आती होंगी और आपके पास ज्यादा आयेंगी क्योंकि लोगों की आशाएं सरकार से ज्यादा होती हैं। विपक्ष से तो आशा यह होती है कि हमारी बात सदन में रख लेना और हम कह देते हैं कि हम आपकी बात वहां रखेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर आप उसके लिए टाइम देंगे तो आपकी मेहरबानी है। इसी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं चलती हैं। तो मैं मंत्री महोदय का इस विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी मैं उन बातों को नहीं देना चाहता हूं मेरा ख्याल है कि इनका दरवाजा सब के लिए खुला रहता है और मेरे लिए भी खुला ही रहेगा। जो कम्प्लेंट्स अलग-अलग किस्म की आई हैं और क्या अमैंडमैंट्स आने वाले समय की हो सकती हैं जो मेरी समझ बनती है मैं उनको देना चाहूंगा।

इतना कहकर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

16.09.2020/1330/SS-DC/3

अध्यक्ष : अब माननीय शहरी विकास मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और मैं जब इन विधेयकों को यहां पर रखता हूं तो हमारे सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय जगत सिंह नेगी जी, सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी और राकेश सिंघा जी से बहुत कुछ सीखता हूं। यह विधेयक 1976 में पास हुआ था और 1976 में हिन्दुस्तान में एमरजैंसी लगी हुई थी। क्योंकि माननीय जगत सिंह नेगी जी एमरजैंसी का बड़ा नाम ले रहे थे कि एमरजैंसी में पैसे इकट्ठे करने होते हैं। उस एमरजैंसी में इन्होंने सारे देश को जेलखाने में परिवर्तित कर दिया था।

जारी श्रीमती के0एस0

16.09.2020/1335/केएस/डीसी/1

शहरी विकास मंत्री जारी---

और सारी प्रैस के गले घोंट दिए थे। ...(व्यवधान) मैं उसी पर बोल रहा हूं। लेकिन उस समय यह एक्ट पास हुआ। मैं यह कह रहा था कि इमरजैंसी के समय बहुत कुछ हुआ लेकिन कुछ अच्छी चीज़े भी हुईं जिनमें से एक यह भी थी। उस वक्त साहूकारों का गला भी घोंटा गया और यह उसके बाद भी लगातार चलता रहा। उसमें एक अच्छा प्रोविज़न हुआ क्योंकि साहूकार गरीबों का किस प्रकार से शोषण करते थे, नेगी जी ने भी देखा होगा अगर किन्नौर में साहूकार होते होंगे परन्तु जब मैंने भी वकालत शुरू की तो ऐसे कुछ साहूकार शिमला की कोर्ट्स में पर्मानैंट जाते थे । वे कैसे-कैसे दावे करते थे, और किस प्रकार से ब्याज पर ब्याज लेते थे, यह एक प्रचलन था। उसके बाद यह कानून बना जो कि बहुत अच्छा कानून है। इसमें सेक्शन-4 में साहूकारों का रजिस्ट्रेशन होता है और सेक्शन-5 में उस साहूकार को लाइसैंस लेना होता है। अब जो हम अमैंडमैंट कर रहे हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। हिन्दुस्तान का इन्कम टैक्स एक्ट 1961 जो है, उसके सेक्शन्ज़ 269 एस,एस और 269 टी के प्रावधान के अनुसार 20,000 रुपये से अधिक राशि का लेन-देन कैश के रूप में नहीं किया जा सकता। यह तो अमैंडमैंट हो गई है। हिन्दुस्तान का जो इन्कम टैक्स एक्ट सबके ऊपर लागू होता है, उसमें यह प्रोविज़न है। दूसरा, सारे जो मॉनिटरी प्रोविजन्ज़ हैं, उनको हिन्दुस्तान भर में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रैगुलेट करता है । उन्होंने भी अपने पत्र संख्या आर.बी.आई./2016-17/245 दिनांक 9 मार्च, 2017 द्वारा गैर वित्तीय कम्पनियों को लेन-देन में कैश के लिए 20,000 रुपये की सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। हमारे एक्ट में यह प्रोविज़न नहीं था जो साहूकार एक्ट है, इसलिए वह इनकंप्लीट था और जो सैंटर गवर्नमैंट के एक्ट हैं, उनसे वह अलग नहीं हो सकता, उनके विरोध में नहीं हो सकता है तो इसलिए इसको कम्पलीट करने के लिए सेक्शन 5-ए हमने इसमें जोड़ा है जिसमें हमने प्रोविज़न किया है कि अगर साहूकार एक्ट में भी उसने पैसा

देना है, लोन वापिस लेना है, जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, वह पेज अकाउंट के द्वारा, पेइंग अकाउंट ड्राफ्ट के द्वारा ही हो सकती है।

16.09.2020/1335/केएस/डीसी/2

20,000 से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन इस एक्ट में भी नहीं हो सकेगी । केवल मात्र इस एक्ट को कम्पलीट करने के लिए इसका प्रावधान, इसमें करना ज़रूरी है क्योंकि यह इन्कम टैक्स एक्ट या बाकी जो हमारे आर.बी.आई. के प्रावधान हैं, उससे अलग नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सिंघा साहब ने, क्योंकि ये इसका विरोध नहीं कर सकते। ये इसके पक्ष में होंगे। इन्होंने कहा कि सेक्शन-4 में होना चाहिए था, सेक्शन- 5 में नहीं होना चाहिए था । असल में सेक्शन-4 में सिर्फ रजिस्ट्रेशन है। साहूकार की रजिस्ट्रेशन सेक्शन-4 में होगी और सेक्शन-5 में लाइसैंस उसको कलैक्टर से लेना होगा। इसलिए उस सेक्शन-5 में ही हमने प्रोविज़न किया है। सेक्शन-4 में नहीं हो सकता था इसलिए सेक्शन -5 में एक अडिशन 5-ए हमने डाला है जिसमें किस प्रकार से यह कैश का लेन-देन होगा, वह उस लाइसैंस के साथ, जो लाइसैंस दिया है, यह इसके अंदर रैगुलेट होगा, उस हिसाब से यह हमने डाला है। यह बहुत ही प्रोग्रैसिव लैजिस्लेशन है । मैं समझता हूं कि हर चीज़ में, जो इन्होंने ठीक बात की है,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.9.2020/1340/av/yk/1

शहरी विकास मंत्री क्रमागत

इसमें अगर उसका प्रावधान करने की ज़रूरत होती तो हम जरूर करते। लेकिन सिर्फ इसलिए कि विरोध करना है तो मैं समझता हूं कि वह लैजिस्लेशन में आवश्यक नहीं होता। यह प्रोग्रैसिव लैजिस्लेशन है और मेरा सदन से निवेदन है कि इस विधेयक को इस अमैंडमैंट के साथ पास किया जाए। धन्यवाद।

अध्यक्ष : तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2 विधेयक का अंग बना।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने?

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

16.9.2020/1340/av/yk/2

अब माननीय शहरी विकास मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

शहरी विकास मंत्री : मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

हिमाचल प्रदेश साहूकारों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 3) ध्वनिमत से पारित हुआ।

अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.45 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

लंच के बाद श्री टी सी द्वारा जारी

16.09.2020/1450/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरान्त 14.50 बजे अपराह्न पुनः आरम्भ हुई)

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी आप क्या कहना चाहते हैं, कहिए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर माननीय मुख्य मंत्री जी के विभाग से संबंधित है लेकिन वे अभी सदन में नहीं बैठें हैं। इसलिए मैं अपनी बात बाद में रख लेता हूं।

अध्यक्षः नहीं, आप कहिए। आपकी बात को यहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को इसे प्रस्तुत कर देंगे।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल पर्यटन निगम के कर्मचारी चाहे वे वेटर, कुक, क्लर्क या अन्य कार्य करते हैं, उनको पिछले तीन महीने से वेतन नहीं मिला है। मैंने यह बात पहले भी कही थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ कार्रवाई की उसके बाद उन्हें एक महीने का वेतन मिला। आज हम जब लंच में खाना खाने गए तो वहां जो कर्मचारी खाना सर्व कर रहे थे, उनमें से कुछ कर्मचारियों को एक महीने की सैलरी भी नहीं मिली है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जो कर्मचारी वर्ग है, वे महीने की सैलरी पर निर्भर करते हैं, उनको तुरन्त प्रभाव से सैलरी दी जाए। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं और जब वे हाउस में आएं तो इसका उत्तर भी दें । धन्यवाद।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ....

16.09.2020/1455/RKS/AG-1

<u>नियम-130 के अंतर्गत प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-130 के अंतर्गत दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत प्रस्ताव 'नई शिक्षा नीति' पर आगे चर्चा होगी। जो माननीय सदस्य इस चर्चा में हिस्सा लेंगे उन सभी से मेरा आग्रह है कि वे अपनी चर्चा 5-7 मिनट के अंदर पूर्ण करें। अब माननीय सदस्य, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री इन्द्र दत्त लखनपालः माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो माननीय सदस्य, डॉ0 राजीव बिन्दल द्वारा 'नई शिक्षा नीति ' पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, इसमें हिस्सा लेने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं। यह एक महत्वपूर्ण विषय है लेकिन आपने बोलने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी है। यदि यह सदन इस विषय पर कम-से-कम दो दिन और चर्चा करता तो जो साकारात्मक पहलू है वह भी सामने आ जाते। माननीय अध्यक्ष जी, जो आपने व्यवस्था दी है, मैं उसी समय के भीतर अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करुंगा। 34 वर्ष के बाद राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा नीति में बदलाव किया जा रहा है। लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने शिक्षा नीति का दस्तावेज़ प्रस्तुत किया है इसमें बहुत ज्यादा संशय है। यह नीति पढ़ने के लिए तो बहुत अच्छी है लेकिन इसे कैसे क्रियान्वित किया जाएगा, यह बात इसमें स्पष्ट नहीं की गई है। इस नीति को देश व प्रदेश में कैसे और कब इम्प्लीमैंट किया जाएगा, इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आज हमारे अध्यापक और विद्यार्थी अपने आपको ऑक्वर्ड स्थिति में पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि इस नई शिक्षा नीति का सैशन कब आरम्भ होगा? इस शिक्षा नीति के लिए जो जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत रखा गया है, वह बहुत कम है। वर्तमान में हमारी शिक्षा का आधारभूत ढांचा बहुत दयनीय स्थिति में है। सन् 1947 के बाद जो स्कूल बने हैं वे आज जर्जर स्थिति में हैं लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो आपने स्कूलों में नियुक्तियां करनी हैं उनके ऊपर भी कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आ रही है। हमारे जे.बी.टी. अध्यापकों का भविष्य क्या होगा, यह बात भी स्पष्ट नहीं है? आपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के ऊपर ज्यादा भार डालने की कोशिश की है। ये लोग तो पहले ही मानदेय पर काम कर रहे हैं। क्या सरकार इन लोगों को नियमित करने का विचार रखती है?

16.09.2020/1455/RKS/AG-2

उनका मानदेय हर वर्ष थोड़ा-बहुत बढ़ा दिया जाता है और इसके बदले में उनसे दोगुना या तीन गुना काम लिया जाता है। दूसरा,

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

16.09.2020/1500/बी0एस0/ए0जी0/-1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल जारी...

आप एक स्तर और समान शिक्षा की बात कर रहे हैं यह कैसे होगा? आप बोल रहे हैं विदेशी विश्वविद्यालयों को यहां पर लाएंगे, इससे तो हमारी शिक्षा गुलामी की ओर जाएगी। जब आप आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो हमें अपने देश के अंदर ही आधारभूत ढांचा तैयार करना चाहिए न कि विदेशियों को यहां पर बुला करके शिक्षा दी जानी चाहिए। यह सब हमारी समझ से बाहर है कि किस प्रकार की नीति आप लाने जा रहे हैं। आपने बी.ए. का चार वर्ष का स्टंडर किया है आपने बच्चे को यह छूट दे दी है कि वे अपनी अच्छा अनुसार कुछ भी पढ़ सकता है। बच्चे को यही समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या करना है? एक वर्ष का जो आप उसको सर्टीफिकेट देंगे, दो वर्ष का सर्टीफिकेट देंगे, तीन वर्ष का सर्टीफिकेट देंगे और चार वर्ष के बाद उसे डिग्री प्रदान करेंगे। यह सब समझ से परे है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि अध्यापकों को तैयार करने में ही चार वर्ष लग जाएंगे । आप जो आधाभूत ढांचा तैयार करेंगे उसे ही चार वर्ष का समय लग जाएगें और उसके बाद पढ़ाई शुरू होगी। इस बात को भी इस नीति में स्पष्ट नहीं किया गया है। आपने यह कहा कि इसमें हम वर्चुअल सिस्टम से जाएंगे, डिजिटल सिस्टम से जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपका डिजिटल सिस्टम है कहां? हमारे पूरे देश में जो अति पिछड़े गांव हैं वहां पर आज भी कोई मोबाइल का सिस्टम नहीं है, कोई डिजिटल का सिस्टम नहीं है। वे बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कैसे उन तक शिक्षा पहुंचेगी। मैं तो समझता हूं कि इस नीति के पीछे एक बहुत सोची-समझी गहरी साजिश है और जिस प्रकार से हमारे देश की शिक्षा का जो ढांचा है उसको तोड़-मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है और इसमें संघ का छुपा हुआ एजेंडा सामने आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक माननीय प्रधान मंत्री जी ने जुमले-ही-जुमले हमें दिए हैं धरातल में कुछ नहीं है जितने भी सरकारी संस्थान थे उन्हें तो आपने बेच दिया है। आपने सबसे बड़ी बात यहां पर वोकेशन अध्यापक की की है और कहा है कि वोकेशन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। जो वर्तमान समय में हमारे वोकेशन अध्यापक लगे हुए हैं

उनका भविष्य क्या रहेगा? आज भी उनका भविष्य अधर मे है। मात्र 15 हजार रुपए में आउटसोर्स के माध्यम से वे कार्य कर रहे हैं। उन्हें 6-6 महीनों तक सैलरी नहीं मिली है।

16.09.2020/1500/बी0एस0/ए0जी0/-2

वैसे ही आपके कंप्यूटर के अध्यापक हैं, वे भी लंबे समय से संर्घष कर रहे हैं। सरकार के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन उनके बारे में भी सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। उन कंप्यूटर अध्यापकों को कंपनी के द्वारा समय पर पैसा नहीं दिया जाता।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

इस प्रकार से एक अध्यापक का किस प्रकार से शोषण हो रहा है यह देखने की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, आज के वर्तमान समय में इसमें सबसे ज्यादा पीसेगा तो वह मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग के बच्चे के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रह जाएगी। जो भी आज इसमें अध्यापक नियुक्त हो रहे हैं उसमें भी बहुत सारी त्रुटियां है उन्हें भी ठीक करने की आवश्यकता है क्योंकि आज 15 हजार रुपए में एक वोकेशन अध्यापक रखा है उसमें वह कैसे गुजारा करेगा। उसे अपना परिवार भी पालना है, सामाजिक जिम्मेवारियां भी निभानी हैं। यह सारी बातें इसमें स्पष्ट होनी चाहिए थी। जो आपने ड्रॉपअप की बात की है कि इसमें 100 प्रतिशत एनरोलमैंट होगी वह कैसे होगी? उस बारे में भी कोई स्पष्ट नीति नहीं है। हमारा ग्रामीण परिवेश है वहां पर इतनी ज्यादा समस्याएं हैं कि बच्चे पांचवी कक्षा के बाद पढ़ नहीं पाते हैं। आठवी कक्षा के बाद वे स्कूल छोड़ कर ही चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने परिवार का पोषण करना होता है। उपध्यक्ष महोदय, यह विषय है जो अभी आप लाए है और इसमें आपने पाचं मिनट का समय निर्धारित किया है। लेकिन फिर भी आपने हमें समय दिया आपका धन्यवाद। मैं इस शिक्षा नीति समर्थन नहीं कर सकता ।

उपाध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री कर्नल इन्द्र सिंह जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

16-09-2020/1505/ए.जी.-एन.जी./1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल के पश्चात जारी.....

उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य कर्नल इन्द्र सिंह भाग लेंगे।

कर्नल इन्द्र सिंह (सरकाघाट) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के तहत इस माननीय सदन में "नई शिक्षा नीति" पर प्रस्ताव माननीय सदस्य डॉ. राजीव बिन्दल व श्री राकेश जम्वाल जी लाए हैं, मैं उसमें भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्य बोले हैं और अपनी-अपनी व्यवस्थाओं के अनुकूल सबने प्रतिक्रियाएं दी हैं। किसी ने कहा कि गिलास आधा भरा हुआ है और किसी ने कहा कि गिलास आधा खाली है। मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्यों ने इस माननीय सदन में टैन प्लस टू सिस्टम की कमियां कही हैं और वे भूल रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति पर विचार कर रहे हैं। इस नीति को हमने वर्ष 2040 तक इम्पलीमेंट करना है, that is the last time. हमारे पास समय है और हम इसे करेंगे। यदि आप सोच रहे हैं कि अभी हो जाएगा तो the boy is just born. आप अभी से उसका गला घोंट रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं।

Deputy Speaker: No running commentary please.

कर्नल इन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमारे पास टाइम है और हमारा सिस्टम कैपेबल है कि हम इसे इम्पलीमेंट कर सकें तथा वर्ष 2040 से पहले इसे इम्पलीमेंट करेंगे इसमें भी कोई शक् नहीं है। आज हम भारतीय शैक्षिक परिदृष्य में देखें तो पिछले कुछ दशकों में शिक्षा प्रणाली में बहुत से बदलाव आए हैं। हमारे पास काफी संख्या में स्कूल खुले हैं, शैक्षिक कार्यक्रम बने हैं, बेहतर बुनियादी ढ़ांचा है, लेकिन अभी भी मांग और उपलब्ध्ता में बहुत अंतर है। मैं समझता हूं कि यह नई शिक्षा नीति इस अंतर को पूरा करेगी।

व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का निर्माण, इसका मजबूत आधार शिक्षा है और समुचित शिक्षा जन-जन तक पहूंचे यह काम शिक्षा विभाग की व्यवस्था का है। शिक्षा का मतलब केवल रोज़ी-रोटी कमाना नहीं है बल्की जीवन को किस ढ़ंग से जीया जाए वह सब हमें शिक्षा ही सिखाती है।

उपाध्यक्ष : बहुत बढिया।

कर्नल इन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक विद्यार्थी जब अपने शिक्षण संस्थान से निकलता है तो वह अध्यातमिक, बोद्धिक, शारीरिक और नैतिक दृष्टि से परिपूर्ण होना चाहिए। वह समाज को देने की स्थिति में होना चाहिए न कि समाज से मांगने की स्थिति में। मैं समझता हूं कि यह सब बातें हमारी नई शिक्षा प्रणाली पूरा करेगी। मैं मौजूदा शिक्षा प्रणाली के एतिहासिक पृष्ठभूमि में जाना चाहता हूं। अग्रेजों के आने से पहले भारत में मदरसों, हिन्दु पाठशालाओं व अन्य धार्मिक संस्थानों के माध्यम से हमें नैतिक व संस्कार युक्त शिक्षा दी जाती थी। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने अपने सिस्टम से शिक्षा प्रणाली को मोडिफाई किया। उन्होंने यह कार्य लॉर्ड मैकाले को दिया और वह बहुत चतुर राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और कानूनविद था। उसने इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था भारत में लाने की कोशिश की, मैं कोट कर रहा हूं कि "अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने का हमारा अभिप्राय, भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना है जो रक्त और रंग में तो भारतीय हो पर रूचियों में, नैतिकता में और विचारों में अंग्रेज जैसा हो।" इसके लिए उन्होंने बहुत से कॉनवेंट स्कूल खोले। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 35 हज़ार कॉनवेंट स्कूल इस प्रकार की शिक्षा भारत देश में दे रहे थे। वर्ष 1947 के बाद शिक्षा में बहुत बदलाव आए हैं जिसका विवरण माननीय सदस्य डॉ. राजीव बिन्दल ने विस्तृत रूप से किया है। आज की शिक्षा का जो विस्तार हुआ है उसमें टेन प्लस टू शिक्षा प्रणाली लागू है और इस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हम विद्यार्थी को क्लास रूम से बाहर नहीं ला सके जिसे लाने की बहुत जरूरत थी।

हम इस शिक्षा प्रणाली को रोज़गार से कनैक्ट नहीं कर सके। हमारे पास बहुत पढ़-लिखे युवा हैं जो ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं लेकिन जब वे हमारे पास आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम कर क्या सकते हो? उनका जवाब आता है कि मैं ग्रेजुएट हूं। वह ग्रेजुएट तो है लेकिन उसके हाथ में कुछ-न-कुछ कौशल भी तो होना चाहिए जिसके माध्यम से वह काम कर सके। इसलिए यह कमी जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली में है इस कमी को नई शिक्षा नीति के माध्यम से दूर किया जाएगा।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

16/09/2020/1510/MS/AS/1

श्री कर्नल इन्द्र सिंह जारी----

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को नई शिक्षा नीति के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। आज इस बात की जरूरत है कि इस शिक्षा नीति को जल्दबाज़ी में थोपने की बजाए हम लोगों को समझाने और बताने में जल्दबाज़ी करें। जो टास्क फोर्स बनी है और उसके जो मैम्बर्ज बने हैं, उनके माध्यम से इस कार्य को करें। वे अपने-अपने क्षेत्र में जाएं और लोगों को समझाएं कि नई शिक्षा नीति के अंदर हम लोगों को क्या दे रहे हैं। जिस तरह से रुसा में जल्दबाज़ी हुई थी उसी तरह की जल्दबाज़ी हम इसमें न करें क्योंकि उस समय पब्लिक के बीच में यह इम्प्रैशन गया था कि केंद्रीय सहायता लेने के लिए हमने यह काम किया है। हम प्रदेश में न केवल इस शिक्षा नीति को लागू करने में पहल करें बल्कि बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने वाला यह पहला राज्य बनें, ऐसा मैं शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री जी इस संदर्भ में कुछ दिन पहले आपने एक बहुत बढ़िया और प्रशंसनीय बात कही थी कि प्रदेश में आपसी सहमति से शिक्षा नीति की कड़ी को लागू करेंगे। यह बहुत ही सराहनीय बात हुई है।

उपाध्यक्ष जी, नई शिक्षा प्रणाली में जो वर्तमान में जमा-दो का सिस्टम है, उसकी जगह पर 5+3+3+4 स्कूल सिस्टम का प्रावधान है जिसे हम अपनाने जा रहे हैं और इसमें स्टेजिज हैं। फाऊंडेशन स्टेज में तीन से आठ साल के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और यह प्ले बेस्ड लर्निंग होगी। प्रैपरेटरी स्टेज आठ से ग्यारह साल तक होगी जिसमें तीसरी से

पांचवीं क्लास तक एक्सपैरिमेंटली लर्निंग होगी और उसके बाद मिडल स्टेज में 11 से 14 साल की उम्र तक के बच्चों के लिए सब्जैक्ट ओरियंटिड लर्निंग होगी। सैकेण्डरी स्टेज में 14 से 18 साल तक के बच्चे नौवीं से बारहवीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगे जिसमें एक ही स्ट्रीम होगी। जैसे पहले साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स की स्ट्रीम होती थी, अब वह नहीं होगी यानी अब एक ही स्ट्रीम होगी।

उपाध्यक्ष जी, फाऊंडेशन स्टेज में हम छः साल के बच्चे को पहली कक्षा में दाखिल करेंगे। जमा-दो सिस्टम में भी ऐसा ही है। लेकिन इसमें जो पहले तीन साल हैं यानी 3, 4 और 5 साल का जो एज ग्रुप है, उनको हम पहले आंगनबाड़ी में शिक्षा देते थे, अब हम उनको स्कूल में सीधे तौर पर शिक्षा देंगे जिससे उनमें विश्वास पैदा होगा। ऐसा मैं समझता हूं। राइट टू एजुकेशन में पहले दस जमा दो में 6 से 14 साल का एज ग्रुप होता था, अब तीन से अठारह साल का एज ग्रुप कवर किया है। यह इस सिस्टम की खासियत है। यह फॉर्मूला सरकारी और निजी दोनों में लागू होगा। यह तीन भाषाओं का फॉर्मूला है। हां, जो तीन से पांच साल के बच्चे हैं उनको घर में जिस भाषा में पढ़ाया या बातचीत की जाती है, उसी

16/09/2020/1510/MS/AS/2

भाषा में अध्यापक उनको समझाएंगे, जिससे उनकी समझ में जल्दी आएगा। जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वह पिछले दस जमा-दो सिस्टम में, मैं अपने प्रदेश की बात करूं तो नौवीं से बारहवीं क्लास तक जो कम्प्यूटर शिक्षा दे रहे थे, वह फीस बेस्ड थी। हम इसके लिए 110 रुपये देते थे। जो फीस देने में सक्षम होते थे उन्हीं को वह ट्रेनिंग दी जाती थी। मैं अगर फीस नहीं दे पाता हूं और मैं सीखना चाहता हूं तो मैं नहीं सीख सकता था क्योंकि मैं फीस देने में सक्षम नहीं था। लेकिन इस सिस्टम में क्लास छः से कौशल ट्रेनिंग देंगे और उसके साथ में इंटर्नशिप भी दी जाएगी।

जहां तक ग्रेडिंग या परीक्षा की बात है, इस सिस्टम में तीसरी, पांचवीं और आठवीं में एप्रोप्रिएट लैवल पर, लोकल लैवल पर इनकी ग्रेडिंग होगी और यह ग्रेडिंग मेमोरी बेस्ड नहीं होगी बल्कि क्षमताओं के आधार पर होगी। यह इस शिक्षा नीति का प्लस प्वाइंट है। जो दसवीं और बारहवीं में बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें मेन परीक्षा भी होगी और अगर किसी ने इम्प्रूवमैंट की परीक्षा देनी है तो उसकी भी व्यवस्था है। ...(घण्टी) उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट का समय और लूंगा। एक बहुत बढ़िया एस्पैक्ट इस सिस्टम का है; जो शंकाएं

माननीय सदस्य ध्वाला जी ने उठाई थीं। अब इसमें क्लस्टर होगा। जमा-दो स्कूल के पांच से 10 किलोमीटर के दायरे में जितने हाई, मिडल या प्राइमरी स्कूल हैं,
जारी जे0के0 द्वारा---

16.09.2020/1515/JK/AS/1

कर्नल इन्द्र सिंहः------जारी------

वह एक क्लस्टर बनेगा, जहां एक-दूसरे के रिर्सोसिज़ में एक्सचेंज किए जाएंगे और उस स्कूल का प्रिंसिपल इस बात को बताएगा। इसमें मल्टीपल एन्ट्री और एग्जिस्ट का भी प्रावधान है अगर किसी ने बीच में किसी वज़ह से क्लास छोड़ देनी है और कुछ समय के बाद वह फिर एन्टर होना चाहे तो सिस्टम में यह व्यवस्था भी है। अगर किसी ने ड्रॉप करना है तो एक साल के बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल के बाद डिप्लोमा और फिर उसके बाद उसको डिग्री मिलेगी। चार साल का जो डिग्री प्लान है, अगर किसी ने रिसर्च परसू करनी है तो उसकी भी व्यवस्था है। एक साल पी.जी. के लिए है लेकिन इसमें एम.फिल. की व्यवस्था नहीं है। टीचर के लिए चार साल का इंटीग्रेटिड बी.एड. कोर्स है और TET सब को करना पड़ेगा। इसमें इस सिस्टम की खूबियां हैं। मैं समझता हूं इस सिस्टम को सीधे रिजैक्ट करना और जिस ढंग से विपक्ष के हमारे मित्र इस सिस्टम को बिना पढ़े, बिना सोचे-समझे इसको सीधे रिजैक्ट कर रहे हैं, यह सिस्टम ठीक नहीं है। अभी तो सिस्टम टेबल पर रखा है, टेबल फॉर्म में है। जब इम्पलीमेंटेशन फॉर्म में आएगा तो इसके बारे में किसने यह थिंकिंग की है, लांग टाइम कन्सिड्रेशन के बाद, , एक्सपट्र्स को इन्वॉल्व करने के बाद यह पोलिसी जब जमीन पर उतरेगी तो मैं समझता हूं कि this will be one of the best education system, as I can see.

(माननीय सभापति, श्री रमेश चन्द ध्वाला जी पदासीन हुए)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.09.2020/1515/JK/AS/2

सभापतिः अब माननीय उपाध्यक्ष, श्री हंस राज जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री हंस राज, उपाध्यक्ष (**चुराह**)ः माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उस पर बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद करता हूं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय नियम-130 के अन्तर्गत माननीय डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री राकेश जम्वाल जी लाए हैं, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। जैसा कि यहां पर सब लोगों ने कहा है कि the first education policy was adopted in 1986 and after that this policy slightly modified in 1992. But after 34 years, Hon'ble Prime Minister desire to adopt new policy for the sake of .....(interruption)

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः सभापति महोदय, हाउस का कोई डेकोरम होता है। उपाध्यक्ष नीचे हैं और सभापति ऊपर बैठे हैं। उपाध्यक्ष उस स्थिति में बोल सकते हैं जब अध्यक्ष ऊपर बैठे हों। हाउस का कोई डैकोरम होता है।

सभापतिः माननीय सदस्य, प्लीज़ बैठ जाएं और माननीय श्री हंस राज जी को बोलने दें।

श्री हंस राजः माननीय सभापति जी, मुझे कहा जहा रहा है कि हिन्दी में बोलें। इसलिए मैं अपनी बात हिन्दी में कहता हूं। 34 सालों के बाद यह पॉलिसी प्लेस हुई है और जो प्रधान मंत्री जी का एक लक्ष्य था कि एजुकेशन में कुछ नई चीजों को लाया जाए, जो इसका ऑब्जैक्टिव था कि हिन्दुस्तान एक vibrant Hub of knowledge बनें, उसके लिए प्रधान मंत्री जी ने स्ट्रैस दिया। मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं कि उसमें फाइव पिल्लर्ज़ जो निकल करके सामने आए हैं कि इसमें assess, equity, quality, affordability and accountability हो। इस तरह का एजुकेशन सिस्टम इण्डिया में एस्टैब्लिश हो, उसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रयत्न किए। मैं समझता हूं कि यह सारा मसौदा तैयार करने में, जो वर्ष 2015 से शुरू हुआ और वर्ष 2017 में जा कर जब कस्तूरी रंजन जी ने इसकी जिम्मेवारी ली और इसको जब सबमिट किया तो एक नेशन वाइज ड्रॉफ्ट बन करके तैयार हुआ। मैं जब यह पढ़ रहा था तो मैंने पाया कि जब 2019 में इन्होंने इसको इन्ट्रोड्यूस किया

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

16.09.2020/1520/SS-DC/1

श्री हंस राज, **माननीय उपाध्यक्ष क्रमागत :**

तो लगभग 2 लाख सुजैशन्स 2.50 लाख ग्राम पंचायतों से ली गईं और 66 हजार ब्लॉकस, 6 हजार अर्बन एरियाज एवं 676 जिलों से अलग-अलग तरह की सुजैशन्स ली हैं। एक बहुत अच्छी पॉलिसी निकल कर आई है। The policy of the people aspirations है। इस तरह से हम इसको समझ रहे हैं कि यह लोगों की आकांक्षाओं पर खरी उतरेगी।

माननीय सभापति जी, मैं इस ड्राफ्ट पॉलिसी को इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा, बाकी तो सब लोग बोल चुके हैं लेकिन मैं शिक्षा के एक अलग कंटैंट को रखने की कोशिश करूंगा। हम सब लोग अलग-अलग तरह से पढ़े हुए हैं। कोई दसवीं पढ़ा है, कोई बारहवीं पढ़ा है, कोई ग्रैजुऐट है और कोई पोस्ट ग्रैजुऐट है। शिक्षा को लोगों ने डिग्री लेने मात्र से लिया हुआ है या लोगों ने शिक्षा को जोब ओरिएंटिड समझा हुआ है कि हम लोग शिक्षा इसलिए ग्रहण कर रहे हैं कि हमें एक बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और उस नौकरी को चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करूंगा तथा समाज में अपने स्टेट्स को कायम कर लूंगा। मेरा अच्छा रोल तैयार हो जायेगा। लेकिन मैं एजुकेशन को और तरीके से लेता हूं जोकि माननीय प्रधान मंत्री जी का भी विजन है। पिछली बार जब हम विपक्ष में थे और शिक्षा पर बोल रहे थे उस वक्त कर्नल इंद्र सिंह जी ही प्रस्ताव लाए थे। हमने उस टाइम कहा था कि अगर हम 20-22 किलोमीटर दूर जाकर क्वार्टर रख कर पढ़ सकते हैं और यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अच्छा प्रॅफोर्म कर सकते हैं तो हम क्यों न जो कॉम्पलैक्स ऑफ स्कूल है जो अभी कंसैप्ट इस पॉलिसी में आया है और जो हम लोग कॉलेज ऑफ एक्सीलैंस की बात करते थे कि एक कॉलेज जिले में ऐसा हो जिसकी पैरीफरी में दो-तीन कॉलेजिज हों जो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करें। जो मेन उसका एथिक्स या फंडा हो, वह यह हो कि समाज का सुधार कैसे होगा। अब लोगों ने इसको अलग-अलग तरीके से लिया हुआ है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा आई0ए0एस0 या आई0पी0एस0 की होती है या बच्चे आई0आई0एम0 या आई0आई0टी0 में जाते हैं, इतना कम्पीटिशन करने के बाद जो व्यक्ति छंटकर आता है वह एक अच्छा डी0सी0 तो बन जाता है लेकिन जब वह घर या समाज में आता है तो कई बार हमने देखा है कि वह भी फेल हो जाता है। इस तरह से हममें से कई पॉलिटिशन हैं जो हाउस में बड़ा अच्छा प्रॅफोर्म कर लेते हैं या चुनावी रण में बहुत अच्छा प्रॅफोर्म कर लेते हैं लेकिन जो उसका व्यक्तिगत परिवार है उसमें बहुत अच्छा प्रॅफोर्म नहीं कर पाते हैं। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में या नॉलेज गेन करने की स्थिति में क्या कमियां

16.09.2020/1520/SS-DC/2

रह गईं? हमने अच्छी डिग्री तो ली, जो आजकल हम देखते हैं कि "ए" ग्रेड किसका है या जब भी रिजल्टस निकलते हैं तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि जब भी बच्चों से पूछा जाता है कि तुमने 99.91 परसैंट मार्क्स लिये हैं तो जीवन में क्या बनना चाहोगे। तो बच्चा रट्टा रटाया यही उत्तर देता है कि आई0ए0एस0 या आई0पी0एस0 या डॉक्टर या इंजीनियर बनूंगा परन्तु कभी बच्चा यह नहीं कहता है कि मैं समाज के लिए अच्छा नागरिक बनूंगा और जो भी करूंगा वह समाज के भले के लिए करूंगा। उसके पास जो अपना धर्म है और जो वैल्यूज़, रिचुअल्ज़, ट्रेडीशन्ज़ व कल्चर है उसको आगे स्प्रैड करके प्रिजर्व करने में कामयाब रहूंगा। ये सारे लूप्स रह रहे थे और बहुत भारी लूप्स थे। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, कुछ लोग यहां पर कह रहे थे कि यह संघ का फंडा है। अगर वह संघ फंडा भी लगा है तब भी मैं इसकी भरपूर प्रशंसा करना चाहूंगा कि आज एक ऐसी पॉलिसी निकल कर सामने आई है कि आपकी जो मातृ भाषा होगी, जब बच्चा कुछ नहीं सीखता है तो मातृ भाषा आपको पढ़ने में सुविधा प्रदान करेगी। उसके साथ-साथ आपका बोझा भी उतार दिया गया है कि आपको ख़ामख़ाह के बस्ते और टीचिंग लर्निंग मैटीरियल भी साथ लेकर नहीं चलना पड़ेगा। तो प्ले वे मैथेड जिसकी कल्पना हम सब लोग करते थे लेकिन उसे ग्रासरूट पर नहीं उतार पाते थे।

माननीय सभापति जी, जो यह ड्राफ्ट बना है इसके लिए मैं दिल से बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा। अब इस पॉलिसी को 2040 तक इम्प्लीमैंट करने की बात कही है लेकिन मैं हिमाचल प्रदेश में मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा कि हमने आपके समय में भी बहुत अच्छे गोल्स चेज कर लिये हैं। हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब पिछली बार जब रूसा आया था तो हम सब लोगों ने उसका विरोध इसीलिए किया था कि अगर उसका सिलेबस या एक्स्ट्रा कैरीकुलम एक्टिविटीज़ के लिहाज से देखा जाए...

जारी श्रीमती के0एस0

16.09.2020/1525/केएस/डीसी/1

उपाध्यक्ष जारी---

तो हम लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए था लेकिन उस समय जो हमारी बेसिक ज़रूरत थी, इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं था और हमने रूसा लागू कर दिया। एक असिस्टैंट प्रोफैसर जो एक विषय पढ़ाता था, उसको एक दिन में ही एक विषय को, एक क्लास को 10 पीरियड्स लेने होते थे और पीरियड की अवधि 40 मिनट से एक घंटा कर दी गई। तो एक टीचर अगर लगातार चार क्लासिज़ भी अटैंड करे तो यह सम्भव ही नहीं था लेकिन ग्रांट अच्छी थी और सारी सुविधाएं थी, इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं है, टीचर और स्टूडैंट रेशो क्या है, उस पर भी हम लोगों ने फोकस नहीं किया। मेरा यहां पर सिर्फ इतना ही कहना है कि जब हम इस पॉलिसी को अडॉप्ट किए हैं, और बहुत अच्छा मसौदा तैयार हुआ ह।, माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, जिस तरह से आशा कुमारी जी ने कहा था, अपने समय में जब शिक्षा मंत्री थे तो कर नहीं पाए थे। लेकिन जो उन्होंने सजैशन दी, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि यहां पर अभी जब हम इसकी इम्पलीमेंटेशन में जाएंगे तो हम लोगों ने, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पूरे देश से कंटेंट लिया हुआ है और हम लोग अभी भी कुछेक प्रोफैसर्ज़ को, कुछ कुलाधिपतियों को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो मेरा यह मानना है कि हम एक ऐसी कमेटी एस्टेब्लिश करें कि आने वाले 5 सालों में एजुकेशन सैक्टर में हमारे क्या गोल होंगे, उसको हम लोग एक ड्राफ्ट बनाकर उसकी इम्पलीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। जो हिमाचल आज केरल के साथ और उसके आगे-पीछे चला हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री जी का जो विज़न है, toward the sake of interest of the State, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि हम एजुकेशन को और भी बेहतर कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बेसिक चीजें हैं, सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है।

सभापति महोदय, हम कई बार चर्चा करते रहते हैं कि हम इसका भी मूल्यांकन करें, हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या आज हिमाचल में ज़रूरत है कि हम बच्चों को फ्री में किताबें दे, वर्दी दें या फ्री में उनको अन्य सुविधाएं दें क्योंकि फ्री की जो हमारी पैरालाइज्ड सोसायटी होती जा रही है, उसको क्या हमें आगे वीयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अन्य राज्यों के मुकाबले सामाजिक स्तर पर हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में है। उससे क्या

16.09.2020/1525/केएस/डीसी/2

हो रहा है कि एक परिवार के मुखिया होने के नाते, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूं, एक मज़दूर चार-चार बच्चों को पढ़ा देता है लेकिन एक आई.ए.एस. ऑफिसर या हमारे जैसा विधायक एक बच्चे को सही तरह से ओरिएंट नहीं कर पाता है या एक अच्छा सामाजिक प्राणी नहीं बना पाता है, what is the reason behind it? यह हम लोगों को सोचना पड़ेगा। इसीलिए मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जब हम इसकी सम्पूर्ण तरीके से इम्पलीमेंटेशन में जाएंगें तो हम सारी चीजों को ध्यान में रखेंगे और जो विधायकगण इसमें इंट्रस्ट लेते हैं, नहीं तो वह बात हो जाएगी कि मैं कर तो सकता हूं फ्लां चीज़ और मुझे दे दिया फ्लां काम, तो उसमें मेरा इंट्रस्ट नहीं रहता है और आप ये भली-भांति जानते हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

16.09.2020/1525/केएस/डीसी/3

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र शौरी जी अपने विचार रखेंगे।

श्री सुरेन्द्र शौरी (बंजार)ः माननीय सभापति महोदय, नियम-130 के अंतर्गत जो प्रस्ताव डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री राकेश जम्वाल जी ने नई शिक्षा नीति पर इस सदन में चर्चा के लिए लाया है, उसमें बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, इस देश के अंदर नई शिक्षा नीति,

श्री मुकेश अग्निहोत्रीः सभापति महोदय, हाउस कैसे चल रहा है? यह क्या व्यवस्था है? उपाध्यक्ष जी हाउस में बैठे हैं और सभापति महोदय हाउस का संचालन कर रहे हैं। यह क्या है?

सभापतिः माननीय सदस्य, उपाध्यक्ष जी आ ही रहे हैं। ये लीजिए, उपाध्यक्ष जी आ गए।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य शौरी जी, कृपया आप अपनी चर्चा जारी रखें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.9.2020/1530/av/hk/1

उपाध्यक्ष : ऐसा है, मुझे बड़े दिनों के बाद बोलने का समय मिला था इसलिए सोचा कि बोल ही लेता हूं।

श्री मुकेश अग्निहोत्री (हरोली) : आप तो वैसे भी कई इतिहास बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष : हां, कानून और इतिहास तो यहीं बनते हैं। ...(व्यवधान) कायदे से तो यह होना चाहिए कि जो माननीय सदस्य सुबह यहां पर उपस्थित थे वे अभी भी यहीं होने चाहिए थे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। ...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र शौरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ईसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ0 कस्तुरी रंगन के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति बनाई गई है जिसमें इस देश के लगभग 2.25 लाख लोगों के सुझाव के साथ 1,000 वाईस चान्सलर और सैंकड़ों शिक्षाविदों ने पिछले 3-4 वर्षों में एक गहन मंथन करने के बाद इस देश में यह नई शिक्षा नीति लाई है। यह शिक्षा नीति 21वीं सदी में देश को एक नई दिशा देने वाली है। प्राचीन समय में भारत अपनी शिक्षा नीति के कारण विश्व गुरू कहलाता रहा है। पौराणिक काल में चीन, बर्मा, कोरिया, श्रीलंका, तिब्बत, नेपाल इत्यादि देशों से छात्र अपनी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भारत आया करते थे। यहां पर तक्षिला, नालन्दा जैसे विश्व प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान थे जहां पर विभिन्न देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। लेकिन कालांतर में कुछ विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण और लम्बी गुलामी की जंजीरों के कारण हमारी देश की शिक्षा नीति तहस-नहस हुई और स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा के विषय में कहा है कि "We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet." यानी हमें एक ऐसी शिक्षा नीति चाहिए जिसके तहत चरित्र का निर्माण हो, मन की

शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और व्यक्ति अपने पांव पर खड़ा हो सके। ये केवल विवेकानन्द जी के विचार नहीं बल्कि भारतीय विचार व चिंतन था। लेकिन लॉर्ड मैकाले ने इस भारतीय चिंतन को तहस-नहस किया तथा आज़ादी के बाद कांग्रेस व कम्युनिस्टों ने इसको और ज्यादा बढ़ावा दिया। इस देश के अंदर बाबू खड़ा करने की शिक्षा पद्धति शुरू

16.9.2020/1530/av/hk/2

की गई। देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने शिक्षाविदों से चिंतन करने और विभिन्न देशों से आंकड़े लेने के बाद यह पाया कि इस देश में बेरोज़गारी बढ़ रही है क्योंकि हमारे पास इस देश के अंदर स्किल फोर्स नहीं है। यहां पर जो शिक्षा दी जा रही है उससे यहां केवल बेरोज़गारों की फौज़ खड़ी हो रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर आज की स्थिति में स्किल फोर्स के नाते यानी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो अपने पांव पर खड़ा हो सकते हैं वह मात्र 4.69 प्रतिशत है जबकि अगर हम दुनिया के दूसरे देशों का आंकड़ा देखें तो चीन में 24 प्रतिशत, यू0एस0ए0 में 52 प्रतिशत, यू0के0 में 61 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, जापान में 80 प्रतिशत और साऊथ कोरिया में 96 है। यानी इन देशों में पढ़ाई के साथ-साथ वोकेशनल ऐजुकेशन अर्थात स्किल ऐजुकेशन भी दी जाती है। वहां पर बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ-साथ अपने परम्परागत हुनर को भी सीखते हैं। इस नई शिक्षा नीति के अंदर जिसके संदर्भ में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि भारत को भी दुनिया के अग्रणी राष्ट्रों में खड़ा करना है तो उस नाते 6वीं कक्षा से वोकेशनल ऐजुकेशन शुरू की है।

श्री टी सी द्वारा जारी

16.09.2020/1535/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री सुरेन्द्र शौरी ... जारी

इससे पहले वर्ष 1986 में जब शिक्षा नीति में वोकेशनल शिक्षा की जरूरत समझी गई और शिक्षा नीति शुरू की गई लेकिन जिस तरह से वह लागू होनी चाहिए थी, वह नहीं हो पाई।

यह नई शिक्षा नीति जॉब सीकर नहीं होगी, जॉब प्रोवाइडर होगी। इस शिक्षा नीति के तहत मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होगा यानी छात्र किन्हीं चुनिंदा विषयों को पढ़ने के लिए बाध्य नहीं होगा। वह किसी भी सब्जैक्ट को चुन सकता है। उसकी पांचवीं तक की पढ़ाई मातृभाषा में होगी। अब 5+3+3+4 सिस्टम शुरू होगा। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत भिन्नताएं थीं, कोई बच्चा तीन साल का स्कूल में जाता था और कोई छह साल में स्कूल जाता था लेकिन अब नई शिक्षा नीति लागू होने के कारण समानता आएगी। अब बच्चा पांच साल तक आधारिक शिक्षा प्राप्त करेगा उसके बाद छट्ठी कक्षा से वोकेशनल पढ़ेगा और उसके बाद सेकेंडरी की शिक्षा प्राप्त करेगा। जब छट्ठी का बच्चा बारहवीं कक्षा में पहुंचेगा तो सात साल में वह किसी-न-किसी फील्ड में एक्सपर्ट होगा यानी वह अपने कदमों पर खड़ा हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यशस्वी मुख्य मंत्री, श्री जय राम ठाकुर जी और शिक्षा मंत्री को बधाई देना चाहूंगा, जैसे ही केन्द्रीय कैबिनेट ने इस शिक्षा नीति को स्वीकृति दी, ये इसको तुरंत हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में लाए। एक टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया और हिमाचल प्रदेश का नाम देश के अग्रणी राज्य में दर्ज किया। इसके पश्चात् विभिन्न घटकों पर रणनीति बनाकर इसका रोड मैप तैयार किया । इससे जाहिर होता है कि प्रदेश सरकार इस नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए कितनी गम्भीर है, कितनी सजग है । इस नीति को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने डेढ़ महीने के अंदर वैबिनार के माध्यम से प्रदेश के हजारों शिक्षाविदों को जोड़कर उनसे सुझाव लेकर इस शिक्षा नीति को प्रदेश में लागू करने का

निर्णय लिया है। यह शिक्षा नीति व्यापक परामर्श करने के बाद तैयार की गई है। मैं इस शिक्षा नीति का पुरजोर समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब इस चर्चा में वरिष्ठ सदस्य, श्री बलबीर सिंह जी भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री बलबीर सिंह (चिंतपूर्णी) : उपाध्यक्ष महोदय, बन्दे को बन्दा बनाने का काम शिक्षा करती है। बन्दे में अनेकों प्रतिभाओं का भण्डार होता है और उन प्रतिभाओं को निखारने और विकसित करने का काम भी शिक्षा ही करती है।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, वैसे तो आपने दो ही शब्दों में पूरी शिक्षा नीति को डिसकस कर दिया है।

श्री बलबीर सिंहः भारत को ज्ञान आधारित महाशक्ति और विश्व गुरु बनाने की दिशा में शिक्षा नीति 2020 मील का पत्थर साबित होगी। इस शिक्षा नीति के प्रारूप और इस प्रारूप को तैयार करने वाली समिति के बारे में जानकर ही समझ आता है कि यह शिक्षा नीति बहुत दमदार है। इससे पहले वर्ष 1968, 1986 और 1992 में भी शिक्षा नीतियां बनाईं गईं।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ...

16.09.2020/1540/RKS/HK-1

श्री बलबीर सिंह... जारी

वर्ष 2009 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 लागू किया गया था जोकि एक बहुत ही अच्छा निर्णय था। इसमें सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कानूनी आधार उपलब्ध करवाया गया था। पिछले कल कुछ सम्माननीय सदस्य इस चर्चा में हिस्सा लेते हुए कह रहे थे कि वर्तमान शिक्षा नीति का सारा श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है। श्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद सन् 1947-1958 तक इस देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मनमर्जी चलाई। अंग्रेजों के समय जो शिक्षा नीति बनी थी उन्होंने इससे भी हटकर अलग शिक्षा नीति अपनाने के लिए मजबूर किया। बाबर,

हुमायूं, गजनी जैसे विदेशी आक्रमणकारियों के इतिहास को पढ़ाया जाता रहा और इसका श्रेय भी कांग्रेस पार्टी को ही लेना चाहिए। हमारे देश के महान योद्धाओं महाराणा प्रताप, पृथ्वी राज चौहान और रानी झांसी के इतिहास को गौण कर दिया गया। कल यह भी चर्चा की जा रही थी कि इस नीति में आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है। आज आरक्षण राजनीति का हथियार बन गया है और राजनीतिक रोटियां सेंकने के लिए आरक्षण का नाम बार-बार लिया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि आरक्षण संविधान से मिलता है न कि शिक्षा नीति से। अगर इसका प्रावधान संविधान में होगा तभी आरक्षण शिक्षा नीति में लागू होगा। कल यह भी चर्चा की गई कि कोठारी कमीशन के तहत जी.डी.पी. का 10 प्रतिशत इस शिक्षा के क्षेत्र में खर्च किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब इतने समय तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही तो इसे लागू क्यों नहीं किया गया? कल चर्चा की जा रही थी कि जी.डी.पी. का जो 6 प्रतिशत बजट शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, वह बहुत कम है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि यह 10 प्रतिशत खर्च आपको आज क्यों याद आ रहा है? जब आप सत्ता में थे तो उस समय यह बात क्यों नहीं याद आई? कल चर्चा में इस बात का भी जिक्र हुआ कि कॉलेज एजुकेशन में शेड्यूल्ड कास्ट के 7 प्रतिशत, मुस्लिम के 9 प्रतिशत और ओ.बी.सी. के लगभग 10 प्रतिशत बच्चे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह तब

16.09.2020/1540/RKS/HK-1

हो रहा है जब वर्ष 2009 में कानूनी तौर पर अधिनियम लाकर यह कहा गया था कि हर किसी को शिक्षा दी जाएगी। वर्ष 2017-18 के एक विशेष सर्वे के अनुसार इस देश में 6 से 17 वर्ष तक की आयु के 3 करोड़ बच्चे ऐसे थे जो विद्यालयों में नहीं जा रहे थे। वर्ष 2020-21 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की पहली शिक्षा नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। इस शिक्षा नीति के अनुसार भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी भाषा में उच्च स्तर के गुणवत्ता वाले कोर्स के अलावा विदेशी भाषाओं का अध्ययन उपलब्ध होगा ताकि विद्यार्थी विशेष संस्कृतियों के बारे में जान सकें तथा अपनी रुचियों व आकाक्षाओं के अनुसार अपने वैश्विक ज्ञान को दुनिया भर में घुमने-फिरने

में सहजता से बढ़ा सकें। नई शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। इस महान कार्य से ऐतिहासिक रूप में हाशिये पर रह रहे समुदायों, वंचितों एवं अल्प प्रतिनिधित्व वाले समूह पर विशेष ध्यान दिया गया है। शिक्षा समानता सुनिश्चित करने का बड़ा माध्यम है तथा इसके द्वारा समाज में समावेशन और सामाजिक व आर्थिक रूप से गतिशीलता हासिल की जा सकती है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उत्कृष्ठ महाविद्यालय और सरकारी स्कूलों में नर्सरी की क्लासें चलाने का जो निर्णय लिया है उसमें इस शिक्षा नीति ने पहल की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस शिक्षा नीति पर चर्चा शुरू करवाई। मैं समझता हूं कि यह देश का पहला राज्य होगा जहां पर यह शिक्षा नीति लागू की जाएगी। जो शिक्षा नीति वर्ष 2020-21 लाई गई है, मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्या, श्रीमती कमलेश कुमारी इस चर्चा में भाग लेंगी।

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

16.09.2020/1545/बी0एस0/वाई0के0/-1

श्रीमती कमलेश कुमारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिंदल जी और माननरीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने यहां पर रखा है मैं उसमें चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ी हुई हूं। आपने मुझे समय दिया मैं आपका तहेदिल से धन्यवाद करती हूं। माननीय सदन में दो दिन से नई शिक्षा नीति पर चर्चा की जा रही है और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए नई शिक्षा नीति माननीय मोदी जी ने 16 जुलाई, 2020 को मंजूरी दी है। इसमें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे 1992 में संशोधित किया गया और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से एक जगह रुका हुआ पानी बदबू मारने लगता है उसी तरह से एक पुरानी पद्धति जिसे हम रटू तोते वाली शिक्षा कह सकते हैं। इससे पढ़ाई करने पर बच्चों को शिक्षा का लाभ मिलना बंद हो जाता है। भारत की नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 में

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको 34 वर्षों के बाद मंजूरी दी है। कल यहां पर चर्चा हो रही थी तो कुछ माननीय सदस्य इसको चुड़ेल की संज्ञा दे रहे थे और कुछ बोल रहे थे कि यह लाग-लपेट है। यहां पर बहुत सारी बातें कही गई लेकिन माननीय उपाध्यक्ष जी मैं यह बताना चाहती हूं कि यह जो नई शिक्षा नीति का मसौदा है इसे इसरो प्रमुख के.कस्तुरी रंगन जी की अध्यक्षा में विशेषज्ञों ने तैयार किया है और इसमें 2,25,000 लोगों के सुझाव लिए गए। इसमें एक हजार विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के सुझाव लिए गए। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा से ले करके उच्च शिक्षा तक महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल कर पुनः शिक्षा मंत्रालय किया गया है। इसके लिए हिन्दुस्तान के यशसस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने यह जो लंबे समय से शिक्षा नीति चली आ रही थी उसमें नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है। मैं आप सब के सामने यह बात रखना चाहती हूं कि जो मेरा जीवन का तुजुर्बा है उसमें मैंने यह पाया कि हमारे देश के पहले प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोजी जी हैं जिन्होंने बच्चों के साथ मन की बात की और बच्चों के साथ अपने विचारों का आदान-प्रदान किया और इतना ही नहीं बच्चों के साथ अपनी बात सांझा की और बच्चों के जो सुझाव थे उनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुना। इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करती हूं। पंडित दीनदयान उपाध्याय जी कहा करते थे कि कोई बात अपनी भाषा में जितने प्रभावशाली तरीके से कही जा सकती है दूसरी भाषा में नहीं कही जा सकती है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

16-09-2020/1550/ए.जी.-एन.जी./1

श्रीमती कमलेश कुमारी जारी.....

इसलिए इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृ, क्षेत्रिय या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। इसमें भारतीय भाषाओं के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है। इसमें जो प्रमुख बिन्दु हैं मैं उन पर बोलना चाहती हूं। अब पांचवी कक्षा तक की शिक्षा मातृ भाषा में होगी और इसके साथ ही छठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को छठी कक्षा के बाद से इंटर्नशिप करवाई जाएगी। इसके साथ ही म्यूसिक

व आट्र्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। ई-पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेकनोलॉजी फॉरम (N.E.T.F.) बनाया जा रहा है जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। उपाध्यक्ष महोदय, नई शिक्षा नीति में वर्ष 2020 का सबसे महत्वपूर्ण प्वाइंट मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू होना है।

उपाध्यक्ष : जी।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, अभी की शिक्षा प्रणाली में यदि कोई छात्र इंजिनियरिंग के तीन साल या 6 समैस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है तो उसको कुछ भी हासिल नहीं होता है।

उपाध्यक्ष : अच्छा।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, इस नई शिक्षा नीति में मल्टीपल एंट्री और एग्ज़िट सिस्टम लागू होता है जिसमें एक साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर सर्टीफिकेट मिलता है।

उपाध्यक्ष : मैडम प्लीज, वाइंडअप करें

16-09-2020/1550/ए.जी.-एन.जी./2

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, इस नई शिक्षा नीति के अनुसार किसी छात्र को दो साल के बाद पढ़ाई छोड़ने पर डिपलोमा और तीन व चार साल के बाद पढ़ाई छोडने पर उसे डिग्री मिल जाएगी। जिससे देश में ड्रोप आऊट रेशो कम होगी। अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़ कर किसी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है तो वह पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है और दूसरा कोर्स ज्वाइन कर सकता है। वह दूसरा कोर्स पूरा करने के बाद फिर से पहले कोर्स को पुनः जारी कर सकता है।

उपाध्यक्ष : प्लीज, वाइंडअप करें।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री, युवा, विकास पुरुष और गरीबों के मसीहा एवं मददगार, आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी को और माननीय शिक्षा मंत्री श्री गोविन्द सिंह ठाकुर जी को इस देश की नई शिक्षा नीति को हिमाचल प्रदेश में लागू करने के लिए बधाई देती हूं।

उपाध्यक्ष : थैंक्यू मैडम। आपका बहुत धन्यवाद।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति लागू की गई है इससे हमें यह पता चलता है कि हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के लिए कितनी सजग है।

उपाध्यक्ष : हो गया, हो गया।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही सरकार ने टास्क फोर्स का गठन किया और उसकी बैठक भी करवाई। इसी के साथ नई शिक्षा नीति को लेकर माननीय डॉ. राजीव बिन्दल जी और भाई राकेश जम्वाल जी ने इस माननीय सदन में प्रस्ताव लाया है।

16-09-2020/1550/ए.जी.-एन.जी./3

उपाध्यक्ष : धन्यवाद जी, हो गया।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आप जी-जी बोलते रहेंगे तो मैं और भी ज्यादा बोलूंगी।

उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएं।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इसका समर्थन करती हूं।

उपाध्यक्ष : बीच में रनिंग कमैंट्री नहीं चलेगी। माननीय विधायकगण कृपया शांत रहें।

श्रीमती कमलेश कुमारी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नई शिक्षा नीति लाई गई है यह बहुत बढ़िया है। आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

समाप्त/-

(**व्यवस्था का प्रश्न**)

श्री राम लाल ठाकुर (**श्री नैना देवी जी**) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जो बीच में हां, हूं, जी आदि बोलते रहते हैं क्या यह भी कार्यवाही में आएगा?

उपाध्यक्ष : जी हां, कार्यवाही में लगेगा। इसमें ऐसा होता है कि जो भी माननीय सदस्य बोलता है उसके साथ सम्मानित आसन एग्री कर रहा है या नहीं कर रहा है और जो प्वाइंट अच्छे लगते हैं उसके लिए हां, हूं, जी आदि बोला जाता है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सभापति मूकदर्शक बन कर थोड़े न रहेंगे। (व्यवधान)... माननीय मंत्री जी ने इस पर गंभीर चर्चा की हुई है और राष्ट्र व प्रदेश हित में एक अच्छा मसौदा तैयार करेंगे, ऐसी कल्पना की जा सकती है।

अग्ला वक्ता....श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

16/09/2020/1555/MS/AG/1

उपाध्यक्ष : अब चर्चा में माननीय सदस्य, श्री हीरा लाल जी भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री हीरा लाल : उपाध्यक्ष जी, नियम 130 के तहत जो हमारे वरिष्ठ माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी और राकेश जम्वाल जी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर यह सदन विचार करें, बारे प्रस्ताव लाए हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद।
उपाध्यक्ष जी, मैं देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के पश्चात तीसरी बार 34 साल के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को

लागू किया जा रहा है। पूर्व इसरो प्रमुख कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था जिसे माननीय प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो जमा-दो के आधार पर थी, उसे 5+3+3+4 के रूप में बदला गया है। इसमें काफी सारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। प्राचीन और भारतीय सनातन ज्ञान के विश्व स्तरीय संस्थानों ने अध्ययन के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किये थे, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशीला और वल्लभी जैसे विश्व स्तरीय संस्थानों ने अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया तथा जिसमें चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणिदत्ता, माध्वपाणिनी पतंजलि, नागार्जुन, गौतम पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरूवलुबर जैसे वैज्ञानिकों व विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों में जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा, सिविल इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, नौकायान निर्माण और दिशा ज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि में प्रमाणित रूप से मौलिक योगदान किया है। भारतीय संस्कृति और दर्शन का विश्व में बड़ा प्रभाव रहा है। वैश्विक महत्व की इस समृद्ध विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए न सिर्फ़ सहेज कर संरक्षित रखने की आवश्यकता है बल्कि शिक्षा व्यवस्था द्वारा उस पर शोध कर इसे समृद्ध किया जाना चाहिए और नये-नये उपयोग भी सोचे जाने चाहिए।

16/09/2020/1555/MS/AG/2

उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पांचवीं तक मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाने की भी व्यवस्था की गई है और आठवीं क्लास से आगे भी यह भाषा पढ़ाई जा सकती है। छठी कक्षा से वोकेशनल एजुकेशन भी इसके तहत शुरू करने का प्रावधान है जो कि बहुत अच्छा कदम है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है इसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर इस प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करना है जिसके माध्यम से ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो वैश्विक स्तर पर सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और वैश्वितक उन्नति और राष्ट्रीय एकीकरण संस्कृति संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिकी के विकास की पूंजी हो।

जिसमें देश की समृद्धी और संशोधन का सर्वोत्तम विकास और संम्वर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र तथा विश्व की भलाई के लिए किया जा सके। शिक्षा के माध्यम से ऐसी युवा पीढ़ी का निर्माण हो सके जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण विकसित हो। जो जीवन की आने वाली चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकें। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवसर उपलब्ध करवाने के लिए ही भारत का भविष्य इस पर निर्भर करेगा। ...(घण्टी)उपाध्यक्ष जी, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। विश्व के कई ऐसे देश हैं जो बन्दूक और आर्थिक बल से तथा जिनके वैज्ञानिक वैश्विक महामारी फैलाकर विश्व की सुपर पावर बनना चाहते हैं,
जारी जे0के0 द्वारा----

16.09.2020/1600/JK/AS/1

श्री हीरा लाल :------**जारी**--------

मुझे लगता है कि यह सपना उनका पूरा होने वाला नहीं है। परन्तु हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के सिद्धांत, हमारे देश की विचारधारा, हमारे देश की शिक्षा और हमारे देश की संस्कृति का आधार है, जो पूरे विश्व में जिन्होंने विश्व गुरू के रूप में कहा है और फिर से इस नई शिक्षा नीति के आधार पर फिर से विश्व गुरू बनेगा। हमारी इस शिक्षा का आधार है कि:

सर्वे भवन्तु सुखिनः।
सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु॥
मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

यह हमारी संस्कृति का आधार है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य जी, प्लीज एक मिनट के लिए बैठ जाएं। जो माननीय सदस्य बाहर बैठे हैं उनसे निवेदन है कि हाउस का कोरम पूरा करें। अरूण कुमार जी जो माननीय

सदस्य लोग बाहर बैठे हैं इन्हें कृपया अन्दर लाएं और इन्हें कहें कि बाहर बैठने के लिए नहीं आए हैं। माननीय सदस्य, श्री हीरा लाल जी आप वाइंड अप करें। क्या माननीय सदस्य आपने वाइंड अप कर दिया? प्लीज अब आप बैठिए। ठीक है, आप शुरू करें

श्री हीरा लालः माननीय उपाध्यक्ष जी, जो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य अच्छे इन्सानों का विकास करना, जो तर्कसंगत विचार और कर्म कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करूणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, वैज्ञानिक चिन्तन, रचनात्मक कल्पना शक्ति और नैतिक मूल्य का आधार हो। शिक्षा विद्यार्थियो के जीवन में सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास विज्ञान व गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प मानवीय खेल, भाषा और संस्कृति, सभ्य, साहित्य और मूल्यों का अवश्य ही इस नई शिक्षा में समाधान किया गया है। शिक्षा से चरिण निर्माण होना चाहिए। शिक्षा में नैतिकता, तार्किकता, करूणता और संवेदनशिलता विकसित करनी चाहिए और रोजगार के लिए भी इसे सक्षम बनाना चाहिए।

16.09.2020/1600/JK/AS/2

अंत में मैं प्रधान मंत्री जी का इस नई शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, आपने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः हीरा लाल जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवादी हूं कि एक अर्से के बाद एक विद्यार्थी जिस तरह से निबन्ध याद करता था और जो स्ट्रिक्ट टीचर होता था उसके सामने कैसे डीलिवर होता है, वह आपने बहुत दिनों बात याद दिलाई है। मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

16.09.2020/1600/JK/AS/3

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य, श्री जिया लाल जी चर्चा में भाग लेंगे। आप समय का ध्यान रखेंगे।

श्री जिया लालः(भरमौर)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, नियम-130 के तहत जो प्रस्ताव डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री राकेश जम्वाल जी यहां माननीय सदन में लाए हैं, मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 34 साल बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है। पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी शिक्षा नीति 1986 जिसमें 1992 में कुछ परिवर्तन किए गए थे और तीसरी शिक्षा नीति 2020 में आई है। 29 जुलाई, 2020 में केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है और 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगी। केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के विकास के लिए देश की कुल जी.डी.पी. का 6 परसेंट व्यय किया जाएगा, जो कि पहले 4.43 परसेंट था। माननीय उपाध्यक्ष महोदय बजट की बढ़ौत्तरी के साथ-साथ इसमें शिक्षा का भी सुधार होगा। नई शिक्षा नीति में स्कूलों में शैक्षणिक मॉडल को 5+3+3+4 के आधार पर अपनाया जाएगा, जो कि पहले +2 था। 8 वर्ष की आयु के छात्रों के लिए नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा एन.सी.आर.टी. द्वारा तैयार किया जाएगा। 5वीं क्लास के छात्रों को शिक्षा मातृ भाषा, स्थानीय भाषा में दी जाएगी। अंग्रेजी केवल विषय के तौर पर ही पढ़ाई जाएगी। छठी क्लास में छात्रों को कम्प्युटर कोडिंग सिखाई जाएगी तथा इंटर्नशिप की फैसिलिटी भी दी जाएगी। छठी क्लास से व्यवसायिक शिक्षा दी जाएगी। अगर छात्र बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सामाजिक जीवन जीने के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----------

16.09.2020/1605/SS-AS/1

श्री जिया लाल क्रमागत ः

नौवीं से बारहवीं क्लास के लिए समैस्टर सिस्टम लागू होगा। ग्रैजुएशन कोर्स पहले तीन वर्ष का था अब तीन या चार वर्ष का होगा जिसमें पहले साल में सर्टिफिकेट, दूसरे साल में डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री और चौथे साल में डिग्री के साथ-साथ रिसर्च सर्टिफिकेट भी दिया जायेगा।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में चर्चा न करें। माननीय ध्वाला जी प्लीज़। जम्वाल जी, प्लीज़, यह गम्भीर वक्तव्य है।

श्री जिया लाल : उच्च शिक्षा संस्थानों में संस्कृत को भी बढ़ावा दिया गया है। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रदेश के लिए कॉमन सैंटर एग्जाम का ऑफर दिया जायेगा जोकि कॉमन एप्टीट्यिूट टैस्ट होगा। स्कूल-कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण के लिए भी नीति बनाई जायेगी। ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जायेगा। कम्प्यूटर, लैपटॉप और फोन इत्यादि के जरिये विभिन्न एप्स का इस्तेमाल करके शिक्षा प्रदान करवाई जायेगी। हर जिले में कैरीकुलम और खेल संबंधी गतिविधियों के लिए विशेष बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किये जायेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटियों को भारत में कैम्पस खोलने की अनुमति देंगे और स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार भी किया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो शिक्षा नीति आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी की सरकार और हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार ने तैयार करवाई है उसके लिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके साथ-साथ मैं इन भाइयों से भी आग्रह करना चाहूंगा जोकि कांग्रेस के लोग हैं कि वे भी इस शिक्षा नीति का समर्थन करें। ये अपने समय को भूल जाते हैं। जब इनकी सरकार होती है तो एक, दूसरा व तीसरा स्कूल खोलते हैं और आज जो शिक्षा का स्तर गिरा है उसके लिए ये जिम्मेवार है। उसका कांग्रेस पार्टी की सरकार बेड़ागर्क करती रही है। मैं इनसे भी चाहूंगा कि वे इस शिक्षा नीति का समर्थन करें क्योंकि इनके बच्चे भी स्कूल में पढ़ेंगे।

16.09.2020/1605/SS-AS/2

अंत में उपाध्यक्ष महोदय मैं माननीय प्रधान मंत्री जी, आदरणीय मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और ये जो नयी शिक्षा नीति पर प्रस्ताव इस माननीय सदन में रखा है, मैं इसका पूरजोर समर्थन करता हूं धन्यवाद।

16.09.2020/1605/SS-AS/3

उपाध्यक्ष : जिया लाल जी, आपका धन्यवाद। अब चर्चा में भाग लेने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री जवाहर ठाकुर को आमंत्रित करता हूं।

श्री जवाहर ठाकुर (दरंग) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिंदल जी व श्री राकेश जम्वाल जी द्वारा केन्द्र सरकार की 2020 की नयी शिक्षा नीति पर जो प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं भी अपना मत रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष जी, नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो 34 वर्ष बाद इस देश में लाई गई है शिक्षा का अधिकार (Right to Education) अब तीन साल के बच्चे से शुरू होकर 18 वर्ष के बच्चों को इस नयी शिक्षा नीति से लाभ होगा। इस नयी शिक्षा नीति में बाल्यावस्था से देखभाल, मजबूत बुनियाद से बच्चों का विकास बेहतर होगा और इसमें यह भी ध्यान दिया गया है कि बच्चों का 6 वर्ष की आयु तक जब मस्तिष्क विकास होता है तब उन बच्चों को पोषक आहार की ज़रूरत होती है, इसको भी ध्यान में रखते हुए इस नयी शिक्षा नीति के तहत बच्चों को ब्रेकफास्ट, ड्राई फ्रूट्स, फल, अंडा इत्यादि देना अनिवार्य किया है।

उपाध्यक्ष : माननीय राम लाल जी, आपके सदस्य कहां गायब हो गए हैं? न तो विपक्ष के नेता हैं और न ही आपके सदस्य हैं, वे कहां चले गए हैं? आप उनको सदन में बुलाओ गम्भीर चर्चा चली हुई है।

श्री जवाहर ठाकुर : उपाध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा नीति में पहली से पांचवीं व आठवीं तक अपनी मातृभाषा, स्थानीय भाषा, गृह भाषा की शिक्षा देने पर बल दिया गया है। साथ में लोकल को फोकस करके ग्लोबल को सांझा करने पर भी बल दिया है। इस नयी शिक्षा नीति में बच्चों के स्कूल बैग का बोझ कम किया है। साथ में यह शिक्षा नीति 21वीं सदी में बदलाव की बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी।

जारी श्रीमती के0एस0

16.09.2020/1610/केएस/डीसी/1

श्री जवाहर ठाकुर जारी---

भारत आज 21वीं शताब्दी का विश्व में सबसे बड़ा युवा देश है। भारत का युवा आज किसी भी चुनौती का सामना करके उसका समाधान कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, 21वीं सदी ज्ञान का युग है। यह समय भारत में अच्छी शिक्षा का, रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने का है। हमारा देश एक विकसित देश बनने के साथ-साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए इस नई शिक्षा नीति को लागू करना समय की ज़रूरत है। शिक्षा क्षमतापूर्ण मानव एक न्यायपूर्ण समाज, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकीकरण, सांस्कृतिक संरक्षण, सतत् प्रगति, आर्थिक विकास की पूंजी है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सभी की पहुंच में हो। शिक्षा नीति नौकरी मांगने वाली नहीं बल्कि नौकरी देने वाली हो। आज हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद में पढ़े-लिखे नौजवान हैं लेकिन उनकी पढ़ाई उनके काम के साथ समाज व देश हित में नहीं आती। एक अच्छा पढ़ा-लिखा व्यक्ति अपने आपको अधूरा महसूस करता है। आज दुनिया 21वीं शताब्दी को तेजी से बदल रही है और हमें भी 21वीं शताब्दी के बदले हुए परिवेश में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। हम देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी की सरकार के धन्यवादी हैं कि इस नई शिक्षा नीति से गांव-शहर, अमीर-गरीब का भेदभाव खत्म कर देश में समान शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने से आने वाली युवा पीढ़ी ग्लोबल नॉलेज को सुपर पावर बनाने की क्षमता रख सकेगी। यह पहली शिक्षा नीति इस देश में बुद्धिजीवियों और आम आदमी के सुझावों से तैयार हुई है और हमें इसे लागू करने में प्रभावी भूमिका निभानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी का नारा है "सबका साथ,सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र से मोदी जी की सरकार काम कर रही है और वैश्विक मंच पर भारत का मंत्र जादू जैसा चल रहा है। आज मैं प्रदेश के मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि श्री जय राम जी की सरकार को इस प्रदेश में ढाई वर्ष का समय हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में तभी से काफी परिवर्तन

16.09.2020/1610/केएस/डीसी/2

हुआ है। सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे प्रदेश में यह हुई है कि हर विधान सभा क्षेत्र में एक आदर्श विद्यालय खोला जा रहा है जिसमें आम व्यक्ति का बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। मेरा यह सुझाव है कि प्रदेश में गांव के स्कूलों में माध्यमिक और वरिष्ठ

माध्यमिक पाठशालाओं के साथ जो प्राथमिक पाठशालाओं में अध्यापकों की कमी है, उसको देखते हुए उन अध्यापकों को भी छोटे बच्चों की शिक्षा के पाठ्यक्रमों को पढ़ाने में मदद का प्रावधान किया जाए ताकि हमारी शिक्षा नीति की बुनियाद मज़बूत हो सके।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री जवाहर ठाकुरः उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश में भी इस शिक्षा नीति को जल्दी से जल्दी लागू किया जाए ताकि आने वाले समय में बच्चों को उचित और सुचारू रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके। मैं माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री राकेश जम्वाल जी द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः अब अंतिम वक्ता के रूप में माननीय सदस्य श्री इन्द्र सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ध्यान रखें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

16.9.2020/1615/av/yk/1

श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) : उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी और श्री राकेश जम्वाल जी ने नियम-130 के तहत इस सदन में वर्ष 2020 की नई शिक्षा नीति पर जो प्रस्ताव लाया है मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस सदन में 34 साल के बाद प्रस्तावित हुई है और इस पर हो रही चर्चा में मेरे से पूर्व बहुत सारे वक्ताओं ने भाग लिया। मैं भी इस चर्चा में भाग लेते हुए सुझाव के रूप में कुछ बिन्दु आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। भारतवर्ष को वैश्विक स्तर पर एक सुपर पावर बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है जिसे मैं संक्षेप में आप सबके मध्य रख रहा हूं। इस नीति को

चार चरणों में विभाजित किया गया है जिसमें 5+3+3+4 नींव का चरण 5 वर्ष का है। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक आंगनबाड़ी जैसे केंद्र में बच्चे को रखा जायेगा और वहां उसे प्ले वे मैथड़ से पढ़ाया जायेगा। इसी तरह 6 से 8 वर्ष तक वह प्रथम व द्वितीय कक्षा पढ़ेगा। प्रारम्भिक चरण में 8 वर्ष से 11 वर्ष तक वह कक्षा 3 से 5वीं कक्षा तक पढ़ेगा। मध्य चरण में 12 वर्ष से 14 वर्ष तक वह 6वीं से 8वीं कक्षा तक पढ़ेगा। वरिष्ठ यानी उच्च चरण में 14 वर्ष से 18 वर्ष तक वह 9वीं से 12वीं तक शिक्षा ग्रहण करेगा। प्रथम दो चरणों में बच्चे को उसी की भाषा यानी मातृ भाषा में पढ़ाया जायेगा। यह कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा भी हो सकती है उसमें चाहे हिमाचल की बात हो, पंजाब की बात हो या हरियाणा की बात हो। उस नीति का हम समर्थन करते हैं। वर्ष 2025 तक सार्वभौमिक नींव, साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राथमिक पाठशालाओं तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2030 तक विद्यालयों में 100 प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा। एक ऐसा फंड तैयार करना जिसे राज्य सरकारें अपनी इच्छा से लड़कियों और थर्ड़ जैंडर पर खर्च कर सकेगी। इसके अलावा उसमें विभिन्न सुविधाओं जैसे स्वच्छता, शौचालय और वित्त स्थानांतरण का प्रावधान है। 5 से 10 किलोमीटर की परिधि में जो सेकैंडरी स्कूल व इससे निचले जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं; खोले जायेंगे।

16.9.2020/1615/av/yk/2

उच्च शिक्षा में वर्ष 2018 में जहां 26.3 प्रतिशत बच्चे ही शामिल थे इन्हें बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है और यह एक अच्छी नीति है। तीन वर्ष में स्नातक की उपाधि पाने वालों के लिए 2 वर्ष में एम0ए0, एम0एस0सी0 होगी जबकि उपरोक्त चरण में 5+3+3+4 वर्ष वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक वर्ष में होगी। केंद्र और राज्य सरकारें जी0डी0पी0 जो शिक्षा विभाग की वर्तमान में 4.43 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 6 प्रतिशत किया गया है। बच्चों का चहुंमुखी विकास इस नई शिक्षा नीति के तहत प्राप्त करने का लक्ष्य है। पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के लिए बच्चों के लिए बी0एड0 का जो दो वर्ष का कोर्स हुआ करता था अब 5+3+3+4 वालों के लिए 1 वर्ष का ही कोर्स होगा। व्यावसायिक शिक्षा जो वर्ष 2012 से वर्ष 2017 तक केवल 5 प्रतिशत से भी कम थी; को और ज्यादा बढ़ावा दिया

जायेगा तथा बच्चों में स्वरोजगार के प्रति रूचि को जगाया जायेगा। प्रोफैशनल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी इस नई शिक्षा नीति में प्रावधान है। भारतीय भाषाओं,कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं संवर्धन इस शिक्षा नीति का उद्देश्य है। इसमें डिज़िटल और ऑनलाईन शिक्षा का भी प्रावधान है। अतः यह कहना उचित होगा कि आओ सब इसका इंतजार करें और इस नीति का भरपूर फायदा उठाये।

श्री टी सी द्वारा जारी

16.09.2020/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-1

श्री इन्द्र सिंह ... जारी

देश का यह पहला ऐसा राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को सर्वसम्मति से लागू किया है। इसके लिए मैं देश के आदरणीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्य मंत्री, जय राम ठाकुर जी और माननीय शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं तथा इस शिक्षा नीति का समर्थन करता हूं। धन्यवाद, जयहिन्द।

16.09.2020/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-2

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्या, श्रीमती रीना कश्यप इस चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती रीना कश्यप (पच्छाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने नियम-130 के अंतर्गत माननीय सदस्य, डॉ0 राजीव बिन्दल और श्री राकेश जम्वाल ने जो प्रस्ताव रखा है, मुझे उस पर बोलने का मौका दिया। भारत को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाने की दिशा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस सदी के सबसे महत्वपूर्ण एवं विकासात्मक निर्णयों में से एक है। कहा जाता है कि यदि किसी देश में नया बदलाव करना है तो सबसे पहले उसकी शिक्षा नीति को बदलना चाहिए और आज वह समय आ गया है। 34 साल के बाद आई शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को लेकर उच्च शिक्षा तक बदलाव किए

गए हैं। अब तक भारत की स्कूली व्यवस्था 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी परंतु अब इसे 5+3+3+4 के फॉर्मेट में बदल दिया गया है। इसके तहत स्कूल के पहले पांच वर्ष की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी यानी इस दौरान छात्र के लिए मजबूत नींव तैयार की जाएगी। इसमें प्री-प्राइमरी के तीन वर्ष और पहली व दूसरी के लिए एक-एक वर्ष शामिल है। इसमें बच्चों को खेल-कूद व अन्य गतिविधियों के जरिये पढ़ाई करवाई जाएगी यानी इन छात्रों के लिए किताबों का बोझ पहले की तरह नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि वे छोटे बच्चे जो अब स्कूल जाएंगे और अपनी शिक्षा की यात्रा आरम्भ करेंगे वे बहुत की किस्मत वाले होंगे। इसके बाद अगली तीन साल यानी तीसरी से पांचवीं कक्षा की पढ़ाई के दौरान छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। इसके तहत छात्रों का परिचय विज्ञान, गणित, कला और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों से करवा जाएगा। इसके अलावा अगले तीन साल मिडल स्टेज माने जाएंगे। इसमें कक्षा छह से लेकर आठवीं तक के छात्र शामिल हैं और इस स्टेज में छात्रों के द्वारा तय पाठयक्रम के अनुसार उन्हें पढ़ाया जाएगा। इसके बाद नौवीं से बारहवीं कक्षा तक की फॉर्मेट की चार वाली आखिरी स्टेज है। यह चार साल की जो स्टेज होगी, इसमें छात्रों में किसी विषय को लेकर गहरी समझ पैदा की जाएगी और उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाया जाएगा तथा उन्हें जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब पहले की तरह स्ट्रीम सिस्टम नहीं रहेगा और नौवीं से बारहवीं कक्षा की पढ़ाई समैस्टर के आधार पर ही होगी।

16.09.2020/1620/टी0सी0वी0/एच0के0-3

दूसरा, पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई अब अपनी मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में होगी। यह जो नई शिक्षा नीति है, इसमें बोर्ड की शिक्षा को बहुत आसान कर दिया गया है। इसमें छात्रों की क्षमता व समझ पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा जो डिग्री कार्यक्रमों की अवधि और संरचना है, उसमें भी बदलाव किया गया है। स्नातक उपाधि के लिए तीन से चार वर्ष की अवधि होगी।

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ...

16.09.2020/1625/RKS/HK-1

श्रीमती रीना कश्यप... जारी

जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने इस सदन में बताया कि किसी कारण कोई विद्यार्थी जब बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे किसी प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता था। इस नई शिक्षा नीति के तहत पहली वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट, दूसरे वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष की पढ़ाई पूर्ण करने पर स्नातक की डिग्री और चौथे वर्ष स्नातक प्रोग्राम जिसमें बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा की डिग्री मिलेगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थाओं में संस्कृत विषय को बढ़ावा दिया जाएगा। यह नई शिक्षा नीति देश के भविष्य को बदलेगी और हमारे देश को एक बार पुनः विश्व गुरु बनाएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

16.09.2020/1625/RKS/HK-2

उपाध्यक्षः नियम-130 के अंतर्गत 'नई शिक्षा नीति' पर काफी विस्तार से चर्चा हुई है। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि आप इस चर्चा का उत्तर दें।

शिक्षा मंत्रीः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल इस माननीय सदन में डॉ0 राजीव बिन्दल और श्री राकेश जम्वाल द्वारा नियम-130 के अंतर्गत 'नई शिक्षा नीति' पर चर्चा लाई गई। इस चर्चा में 20 माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी जिसके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात प्रारंभ करने से पहले एक बात अवश्य कहूंगा कि यह सभी कार्य एक कॉटिन्यू प्रोसैस है इसलिए हम इस शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति नहीं कहेंगे। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। देश की आजादी से पहले महात्मा गांधी जी ने इस शिक्षा के सत्य का साक्षात्कार किया था। शिक्षा दर्शन राष्ट्र के विकास दर्शन का अभिन्न अंग होता है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा प्रणाली को 'Beautiful Tree' कहा था। उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश शासन काल से पहले भारतवर्ष में जो शिक्षा व्यवस्था थी, वह सारा

समय एक मनोहर वृक्षत था। 20 अक्तूबर, 1931 को गोलमेज़ सम्मेलन में उन्होंने कहा था कि भारत में जो शिक्षा व्यवस्था का 'Beautiful Tree' था उसको ब्रिटिश शासन के 100 वर्ष के कार्यकाल ने ध्वस्त कर दिया। अंग्रेजी शासन काल के इस 100 साल में भारत के लोग पहले से अधिक निरक्षर हो गए। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा प्रणाली केवल एक सांचा है जिसका कार्य वैसा मनुष्य बनाना है, जैसा आप चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली के संबंध में विचार करने से पूर्व हमें यह निश्चित करना होगा कि हम अपने राष्ट्र में कैसा मनुष्य बनाना चाहते हैं, उसकी जीवन शैली क्या होगी, उसका पारिवारिक व सामाजिक परिवेश क्या होगा अर्थात राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक रचना कैसी होगी?

श्री बी.एस.द्वारा... जारी

16.09.2020/1630/बी0एस0/वाई0के0/-1

शिक्षा मंत्री जारी...

सन 1835 में लार्ड मैकाले ने शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद से जब सरकारी तौर पर अपनी शिक्षा व्यवस्था लागू करने का भारत में निर्णय किया तो उन्होंने कहा कि मुझे भारत में एक काली चमड़ी वाले अंग्रेज पैदा करने हैं जो शक्ल और सूरत से तो भारतीय नजर आएं परंतु वास्तव में वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की महत्वकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए चाहिए। जो अंग्रेजी जानने वाले हों और इस प्रश्न को रोजगार से जोड़ा गया कि रोजगार उसे प्राप्त होगा जो अंग्रेजी जानता होगा। इसलिए हम धीरे-धीरे उस चीज का शिकार होते गए। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कल यहां पर सी0पी0एम0 के माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी ने एक बात कही कि देश तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के समय बना है। मैं कहना चाहता हूं कि भारत कोई नया नहीं यह बहुत पुराना देश है। यदि आप देखें कि चौथी शताब्दी इसापूर्व से यूनानी राजदूत मैक्सरीज और सातवीं-आठवीं शताब्दी में ह्यूनसांग जैसे चीनी यात्री और दसवीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम विद्वान अलबेरूनी तक सभी विदेशी यात्रियों ने यह स्वीकार किया कि सामान्यतः सभी भारतीय लोग विद्या प्रेमी होते हैं। बाद में आने वाले यूरोपियन यात्रियों ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। आश्या में जन्में इरापाबिनो ने सन् 1876-1891 तक 14 वर्ष भारत में बिताने के बाद मैग्निथिज के प्राचीन तथ्य को उद्धृत

करते हुए अपने प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर लिखा कि भारत की शिक्षा तथा लेखन प्रणाली का विकास इसापूर्व हो चुका था और वह अभी तक भी प्रचलित है।

(माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

वह कहते हैं कि शायद इस पृथ्वी पर ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर भारतियों के समान प्राचीन पद्धती का अनुसरण इतनी लंबी अवधि तक रहा हो। यह बात कहना कि भारत इतना प्राचीन राष्ट्र रहा है और हम विश्व गुरू के सिंघासन पर रहे। ज्ञान और विज्ञान की शक्तियां भारत में रही हैं। देश की आजादी के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में भी शिक्षा व्यवस्था का आमूल-चूल परिवर्तन होना चाहिए यह स्वतंत्रता आंदोलन की मूल प्रेरणा में से एक प्रेरणा रही है। स्वतंत्रता संग्राम में कहा जाता था कि देश की आजादी के बाद इसमें कहीं-न-कहीं परिवर्तन की आवश्कयता रहेगी। देश की आजादी के बाद समय-समय पर इसमें प्रयास होते रहे हैं। कोठारी कमिशन आया, डॉ0 राधा कृष्ण कमिशन आया और 1968 में पहली शिक्षा नीति आई, उसके बाद 1986 में आई, उसके बाद 1992 में आई, उसके बाद 2009 में अनिर्वाय शिक्षा अधिनियम आया। विकास कैसे हो इस पर समय-समय पर कुछ-न-कुछ होता रहा। हमने पहले यह जो निवेदन किया कि हम यह नहीं कहेंगे कि यह नई

शिक्षा नीति है यह देश में सतत पक्रिया चलती रहती है। अब लगभग 34 वर्ष के बाद यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बात कही है कि चाहे देश की सुरक्षा व्यवस्था है या रक्षा नीति है वह किसी पार्टी की नहीं है।

श्री एन0 जी0 द्वारा जारी...

16-09-2020/1635/वाई.के.-एन.जी./1

शिक्षा मंत्री जारी.....

वह किसी विशेष वर्ग या क्षेत्र की नहीं है, वह पूरे देश व हम सब की होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के लिए इस माननीय सदन में बहुत अच्छे से चर्चा हुई है और सभी माननीय सदस्यों ने इसमें भाग लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत द्वारा वर्ष

2015 में यूनाइटिड नेशन के सतत विकास एजेंडा-2030 के चार लक्ष्य निर्धारित किए गए। उसके मुताबिक कहा गया कि विश्व में वर्ष 2030 तक "सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन-पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने" का लक्ष्य है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी, ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त किया जा सकें। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020-21 की पहली नीति है जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। यहां नीति भारत की परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें एसडीजी-4 शामिल हैं, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसके नियमन और गवर्नेंस सहित सभी पक्षों के सुधार और पुनर्गठन का प्रस्ताव रखती है। इस शिक्षा नीति में कहा गया है और यह प्रक्रिया आरंभ है कि वर्ष 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी से पीछे नहीं हो। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जहां किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। इसी में एक बात और कही गई है, जोकि वित्त के संबंध में है, कि इस शिक्षानीति को लागू करने के लिए आर्थिक दृष्टि से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए कहा गया है कि यहां नीति शैक्षिक निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि समाज के भविष्य हेतु युवाओं के लिए उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से बेहतर कोई निवेश नहीं होता।

16-09-2020/1635/वाई.के.-एन.जी./2

दुर्भाग्य से भारत में शिक्षा पर होने वाला सार्वजनिक व्यय, कभी भी सरकारी खर्च, कभी भी कुल सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाया, जिसकी 1966 की शिक्षा नीति में अनुशंसा की गई थी और जिसको 1986 की शिक्षा नीति और 1992 में नीति समीक्षा में दोहराया गया था। वर्तमान में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च (केंद्र तथा राज्य सरकारों

द्वारा) जीडीपी (बजटीय व्यय आवंटन 2017-18 के विश्लेषण के अनुसार) के 4.43 प्रतिशत के आसपास है और सरकारी व्यय का केवल 10 प्रतिशत शिक्षा पर किया जाता है, (इकोनामिक सर्वे 2017-18), यह आंकड़ा अधिकांश शिक्षित एवं विकासशील देशों से काफी कम है और इसको बढ़ाया जाएगा यह निश्चित है। इसके अलावा कहा गया है कि विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण मदों और संघटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे-सभी तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना, सीखने के संसाधन, पोषण सहायता, विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या, शिक्षकों का विकास तथा पिछड़े और सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों के लिए समतापूर्ण उच्चतर गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए किए जाने वाले सभी प्रमुख प्रयास। अध्यक्ष महोदय, यह शिक्षा नीति वास्तव में भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर है।

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

16/09/2020/1640/MS/AG/1

शिक्षा मंत्री जारी--------

मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन की ओर से भारत के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी और सबसे बड़ी बात इस शिक्षा समिति की ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कुमारस्वामी कस्तुरीरंगन जी जो इसरो के अध्यक्ष रहे हैं, वे शिक्षाविद्व और वैज्ञानिक भी हैं तथा इस समिति के सभी सदस्यों का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने देश के समक्ष एक ऐसी शिक्षा नीति को लाया है। यह शिक्षा नीति हम सबको विश्व के अंदर आत्म-निर्भर भारत बनाने की ओर अग्रसर करेगी।

अध्यक्ष जी, अभी भारत सरकार ने 29 जुलाई, 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे देश में लागू करने बारे अनुमोदन दिया है और फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री जय राम ठाकुर जी के नेतृत्व में 24 अगस्त, 2020 को मंत्रिमण्डल की बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को प्रदेश में लागू करने के बारे में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। उसके पश्चात माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि इस शिक्षा नीति का जो पॉलिसी डॉक्युमैंट बना है, उसकी प्रति चर्चा से दो-तीन दिन पहले इस माननीय सदन

के हर सदस्य को उपलब्ध करवा दी जाए ताकि सभी सदस्य इसको पढ़कर चर्चा में भाग ले सकें। बहुत से माननीय सदस्यों ने बीच में एक शंका ज़ाहिर की और उन्होंने कई मुद्दों को उठाने का प्रयास भी किया कि इस नीति में यह बात नहीं कही गई है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि नीति केवलमात्र एक डॉक्युमैंट है बाकी जो डिटेल्ड प्लानिंग है यानी एक-एक पार्ट पर कहां क्या होना है, वह इसके बाद तैयार होता है। इस डॉक्युमैंट को बनाने से पहले देश के 1000 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, देश के 2,25000 लोगों के सुझाव तथा लगभग 15 लाख लोगों के शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर इन दिनों सुझाव आये यानी बहुत विस्तृत चर्चा के बाद इसको तैयार किया गया है। लेकिन भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है कि केवलमात्र इतना ही नहीं है इस पर और गहराई से चर्चा करें क्योंकि यह किसी पार्टी, क्षेत्र, वर्ग और दल से संबंधित नहीं है बल्कि यह पूरे देश की शिक्षा नीति है जो पूरे देश के भविष्य का निर्धारण करेगी।

अध्यक्ष जी, पिछले कल जब इस नीति पर चर्चा हो रही थी तो हमारे एक माननीय सदस्य जो अभी सदन में नहीं बैठे हैं, उन्होंने कल कुछ बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वास्तव में धरती पर कुछ नहीं है और सब ऊपर हवा में ही है

16/09/2020/1640/MS/AG/2

और कह रहे थे कि *"हमें मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल को खुश रखने के लिए गालिब यह ख्याल अच्छा है"।* मैंने कल भी कहा था कि नेगी जी बोलते जरूर हैं लेकिन ये मन के बहुत अच्छे हैं।

"तभी सीने में जलन और आंखों में तूफ़ान सा क्यों है,
उस तरफ हर शख्स परेशान सा क्यों है" ।

...(व्यवधान) विपक्ष के नेता जी ने जो कहा, इनका मैं स्वागत करता हूं। इसीलिए तो कहते हैं कि भगवान जो करता है, सब भले के लिए ही करता है और बहुत अच्छा करता है। हम अपने आपको सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे समय में यहां पर जय राम ठाकुर जी की सरकार है और केन्द्र में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जब देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020-21 पहली बार आ रही है। यह सौभाग्य हमें मिलना था इसलिए यह सब हुआ है।
जारी जे0के0 द्वारा----

शिक्षा मंत्रीः-------जारी--------

इसी के साथ-साथ जो बातें माननीय सदस्यों ने यहां पर कही हैं, मुझे लगता है कि उन सब बातों को मैं बार-बार रिपीट नहीं करुंगा, चाहे वह करिकुलम के विषय में है, चाहे 5+3+3+4 के विषय में है, हायर एजुकेशन सिस्टम के विषय में है या व्यवसायिक शिक्षा के विषय में है। इन सब बातों पर मुझे नहीं लगता कि मैं कोई विस्तृत या लम्बा भाषण दूं लेकिन मैं इस माननीय सदन के हर सदस्य से एक बात कहूंगा कि लगभग 20 सदस्यों ने मुझे मिला कर 21 हो गए, इतने सदस्यों ने अपनी बात को इस बारे में रखा है। इसके अतिरिक्त भी किसी को अगर लगता है कि कोई और भी बात करनी है तो लिखित में भी दे सकते हैं और हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में इस शिक्षा नीति में हम और क्या जोड़ सकते हैं, उसके लिए भी खुला निमंत्रण है। माननीय उपाध्यक्ष जी ने एक सुझाव दिया, उस पर विचार कर सकते हैं कि कुछ विधायक भी इस पर यदि कोई अपना काम करना चाहे, यदि मिलकर किसी समिति का गठन हो सकता है तो उसमें कोई हर्ज़ नहीं है क्योंकि वह कम-से-कम हम सब की भलाई के लिए और आने वाले समय के कल्याण के लिए होगा।

अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा नीति के कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में संक्षिप्त में मैं आपसे बात करुंगा। इसकी प्रमुख विशेषता इस प्रकार है कि अपने विज़न और कार्यान्वयन में यह आधुनिक है। विद्यार्थियों की मेधा को खांचे में बांधने की बजाय उन्हें मुक्त आकाश देती है। उन्हें अपनी सम्भावनाओं को पूर्ण रूप से पाने के लिए प्रेरित करती है और इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करती है। यह रोज़गार देने वालों को पैदा करेगी, रोज़गार मांगने वालों को नहीं। यह रोज़गार परक है और यह पूर्ण रूप से पाने के लिए प्रेरित करती है कि हर हाथ को काम मिले और छठी कक्षा से ही विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण मिल सके। इसके विषय में कल चर्चा आई थी तो इसमें केवल मात्र इतना निवेदन है कि बच्चे जब तक बड़े हों, वे हर काम में इतने

प्रशिक्षित हों कि हमारा बच्चा सर्वांगीण उन्नति करने वाला हो, उसको हर तरह का काम आए।

16.09.2020/1645/JK/AG/2

व्यवसायिक तौर पर भी एक टारगेट है कि हम वर्ष 2030 तक लगभग 50 प्रतिशत लोगों को व्यवसायिक दृष्टि से भी खड़ा कर सके। यह विद्यार्थियों के द्वारा किसी भी स्तर पर ली गई शिक्षा को उनके योगदान के अनुसार मान्यता देती है। यह उन करोड़ों शिशुओं की भी चिंता करती है और दोपहर का भोजन प्रदान करने का प्रावधान करती है, जिनकी आयु अभी स्कूली शिक्षा की नहीं हुई है। इसमें एक और विषय है जो बच्चों का 3 से ले कर 5 साल किया है, इसमें एक और विशेषता है कि इसमें वैज्ञानिक आधार पर एक बात सिद्ध है कि 6 साल की उम्र तक बच्चों का 85 प्रतिशत मस्तिष्क विकसित होता है । यानि उसके सीखने की क्षमता 85 प्रतिशत 6 साल तक होती है इसलिए बच्चों पर पढ़ाई का बोझ न हो और खेल-कूद से बच्चा सीख सके, बच्चों मे जो सीखने की योग्यता हो। इसी तरह दोपहर के भोजन के अलावा प्रातःकाल के समय भी छोटा सा कोई नाश्ते का अरेंजमैंट कर सकते हैं जो पौष्टिक हो और बच्चे को ताकत देने वाला हो। यह भारत के बाहर के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---

16.09.2020/1650/SS-AS/1

शिक्षा मंत्री क्रमागत :

भारत में आमंत्रित कर एक स्वस्थ प्रतियोगी और आधुनिक शैक्षणिक वातावरण बनाने को प्रोत्साहित करती है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारे अपने देश के बच्चे दुनिया के किसी ज्ञान में कम न रहें। प्रतियोगिता बढ़े, वे मल्टी-डिसीप्लनरी हों, उस दिशा में यह इसकी अलग से विशेषता होगी। यह भारतीय जीवन मूल्यों, गौरवशाली संस्कृति और परम्पराओं को शिक्षा तंत्र के मूल में रखती है। यानी कुल मिलाकर यह भारत केन्द्रित शिक्षा

व्यवस्था होगी जिसके बारे में कभी महात्मा गांधी ने कहा था कि यह ब्यूटीफुल ट्री है जिसको ब्रिटिश राज ने ध्वस्त कर दिया है। यह उसके संबंध में बात कही गई है। यह कहा गया कि यह समाज शास्त्र और मनोविज्ञान की कसौटियों पर खरी उतरती है और इसके केन्द्र में भारत के शिशु, बाल और युवा हैं। यह प्रौद्योगिकी के महत्व को समझते हुए उसे पूरे शिक्षण तंत्र के साथ समन्वित करती है। यह उच्च शिक्षा के स्तर पर विभिन्न संस्थाओं के तंत्र की जगह एक संस्था की स्थापना कर तंत्र को चुस्त-दुरुस्त और प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। यह उच्च शिक्षा में भारतीय भाषाओं के लिए किये जा रहे प्रयासों को सशक्त करती है और भारतीय भाषाओं को रोज़गार, दैनिक जीवन से जोड़ उनकी प्राण प्रतिष्ठा में वृद्धि करती है।

अध्यक्ष महोदय, कल भी यह प्रश्न आया था कि जो 1968 में त्रिभाषा फार्मूला था वह यथावत् जारी रहेगा। जितने संवैधानिक प्रावधान हैं उनके अनुसार नीति बनती है। वे सब-के-सब प्रावधान संविधान के मुताबिक चलते रहेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि बच्चा अपनी मां बोली में अधिक सीखता है इसलिए यह भी कंडीशन शामिल की है। संस्कृत के विषय में भी कहा गया है कि संस्कृत दुनिया में बहुत अधिक ज्ञान आधारित है लेकिन साथ में कहा है कि बच्चे विदेशी भाषाओं को भी पढ़ेंगे ताकि हमारे देश के बच्चे किसी भी ज्ञान से अलग न रहें। विदेशी भाषाओं को भी बराबर प्रयोग में लिया जाता रहेगा।

इसके साथ-साथ जो हमारा मूलभूत सिद्धांत और विज़न है उसके आधार पर इसको बनाया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने कहा कि कल को मल्टी-डिसीप्लनरी है, मल्टी-लिंग्वल है, इस प्रकार की शिक्षा नीति पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बात को रखा है और हिमाचल प्रदेश में भी इस शिक्षा नीति के संबंध में अनेकों जागरूकता के कार्यक्रम किये जा रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है

16.09.2020/1650/SS-AS/2

कि जितना अधिक शब्दशः हम इस डाक्युमैंट का अध्ययन करके और भी सुझाव दे सकते हैं तो उन सबका स्वागत है।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस पर विस्तृत रूप से अपनी बात रखने का मौका दिया। लेकिन मैंने यह प्रयास किया है कि जो माननीय सदस्यों ने अधिकतर बातें कही हैं उन

बातों की पुनरावृत्ति न करते हुए शिक्षा मंत्री के नाते यहां पर जो कहने का दायित्व था वे बातें रखने का प्रयास किया।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब सदन का समय हो रहा है। ...(व्यवधान)... माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप क्या कहना चाहते हैं?

शहरी विकास मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जो नियम-130 के अंतर्गत अन्य विषय लगा है उसे कल के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए।

अध्यक्ष : ठीक है। श्रीमती आशा कुमारी जी, आप क्या कहना चाहती हैं?

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी) : अध्यक्ष महोदय, नियम-61 का विषय लैप्स हो जाता है इसलिए मेरा मंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि मुझे राइटिंग में भेज दें कि उन बिल्डिंग्स का क्या हुआ। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक वीरवार, दिनांक 17 सितम्बर, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा,**
दिनांकः 16 सितम्बर, 2020 **सचिव ।**